

वित्त विधेयक, 2003

प्रत्यक्ष-कर के संबंध में उपबंध

वित्त विधेयक, 2003 में, प्रत्यक्ष-कर के क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों के संबंध में उपबंध हैं:-

- (?) निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए कर के लिए दायी आय पर, आय-कर की दरों का विहित किया जाना; उन दरों का विहित किया जाना; जिन पर वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान ब्याज (जिसके अन्तर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज भी है), लाटरी या वर्ग पहेली से जीत, घुड़दौड़ से जीत, ताश के खेल और ऐसे अन्य प्रवर्ग की आय पर, जो आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर ऐसी कटौती के दायित्वाधीन है, वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए कुछ दशाओं में चालू आय पर "अग्रिम कर" की संगणना करने, "वेतन" से आय-कर की कटौती करने, कर संदाय करने तथा आय-कर प्रभारित करने के लिए दरों का विहित किया जाना।
- (?) अवसंरचना विकास, काफी उद्योग को प्रोत्साहन, सामाजिक कल्याण के लिए उपाय, पूंजी बाजार के विकास, कर आधार को बढ़ाने, कर अपवंचन और परिवर्जन की जांच करने के लिए उपाय, कतिपय उपबंधों को सुव्यवस्थित करने और करदाताओं के लिए सरल उपाय करने की दृष्टि से, अन्य बातों के साथ-साथ, आय-कर अधिनियम का संशोधन।
- (?) धन-कर अधिनियम, 1957 का संशोधन।
- (?) दान कर अधिनियम, 1958 का संशोधन।
- (=) व्यय-कर अधिनियम, 1987 का संशोधन।

2. ऐसे कुछ अपवादों के अधीन रहते हुए, जिन्हें सुसंगत उपबंधों की व्याख्या करते समय उपदर्शित किया गया है, विधेयक इस सिद्धांत का अनुसरण करता है कि चालू आय के संबंध में कर विधि के उपबंधों में परिवर्तन साधारणतया भविष्यलक्षी प्रभाव से होने चाहिए, न कि विगत वर्षों की आय के संबंध में। प्रत्यक्ष-करों के संबंध में, विधेयक के मुख्य उपबंधों का सार निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट किया गया है:-

आय-कर

I. निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए कराधेय आय की बाबत आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए कर के लिए दायी सभी प्रवर्गों के करदाताओं (निगमित और अनिगमित) की आय की बाबत, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं और ये दरें वही हैं, जो वित्त अधिनियम, 2002 की पहली अनुसूची के भाग 3 में अधिकथित हैं, जो वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान "अग्रिम कर" की संगणना करने, "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने तथा कुछ दशाओं में संदेय कर प्रभारित करने के प्रयोजनों के लिए हैं। यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों के संगम, व्यष्टिकों के निकाय, जिनकी कुल आय 60,000/-रुपए से अधिक है, की दशा में अध्याय 8 के अधीन छूट के पश्चात् इस प्रकार संगणित कर में संघ के प्रयोजनों के लिए पांच प्रतिशत के अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी। कृत्रिम विधिक व्यक्ति, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी, सहकारी सोसाइटी और कंपनी की दशा में, इस प्रकार संगणित कर में पांच प्रतिशत के अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी।

II. वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान 'वेतन' से भिन्न आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें प्रतिभूति पर लाभांश ब्याज, प्रतिभूति पर ब्याज से भिन्न ब्याज, बीमा कमीशन, लाटरी या वर्ग पहेली से जीत, घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय को तथा अनिवासी (जिनके अन्तर्गत अनिवासी भारतीय भी हैं) की आय को लागू होती हैं। ये दरें मोटे तौर पर वही हैं, जो वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2002 की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट हैं। तथापि, अनिवासी भारतीय, ऐसा व्यक्ति जो भारत में निवासी नहीं है और विदेशी कंपनी की दशा में, यूनिट स्कीम, 1964 के यूनितों के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों और किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी के ऐसे साम्या शेयरों के, जिन्हें 1 मार्च, 2003 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 मार्च, 2004 से पूर्व अर्जित किया जाता है, अंतरण पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कटौती का किया जाना आवश्यक नहीं होगा। प्रत्येक मामले में स्रोत पर कर की कटौती में निम्नलिखित रूप में संघ के प्रयोजनों के लिए-

- (?) प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यक्ति निकाय की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर पर जहां आय या ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है, जो 8,50,000 रुपए से अधिक है;
- (?) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकरण और कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से; और
- (?) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

III. वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान 'वेतन' से स्रोत पर आय-कर की कटौती, 'अग्रिम-कर' की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने की दरें

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान, "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें और करदाताओं के सभी प्रवर्गों की दशा में, उस वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना के लिए भी आय-कर की कटौती की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें उन मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, जैसे कि अनिवासियों को भारत में पोत परिवहन से उद्भूत लाभों के अनंतिम निर्धारण, उस वित्तीय वर्ष के दौरान सदैव के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों की दशा में, निर्धारण या ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण, जिनके द्वारा कर, आदि से बचने के लिए सम्पत्ति अन्तरित किए जाने या लघु

अवधि आदि के लिए बनाए गए निकायों का निर्धारण किए जाने की संभावना है, चालू आय पर वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान आय-कर प्रभाविता करने के लिए भी लागू हैं। उक्त भाग 3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य बातें निम्नलिखित पैराओं में उपदर्शित की गई हैं :-

क. व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, आदि

पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों के संगम, आदि के मामले में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है।

दर संरचना में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। तथापि, उन व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय 8,50,000/- से अधिक है, संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर की (अध्याय 8क के अधीन छूट अनुज्ञात करने के पश्चात्) दस प्रतिशत की दर से अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों द्वारा कोई अधिभार संदेय नहीं होगा जिनकी आय 8,50,000/- रुपए या उससे कम है। उपांतिक सहायता का उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि 8,50,000/- रुपए से अधिक आय होने पर, संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम, जिसमें अधिभार भी है, ऐसी रकम तक सीमित है जिसके द्वारा आय 8,50,000/- रुपए से अधिक होती है।

आय-स्लैब और आय-कर की दरें नीचे सारणी में दी गई हैं। स्तंभ (क) विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क में दी गई दरों को विनिर्दिष्ट करता है और स्तंभ (ख) विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क में दी गई दरों को विनिर्दिष्ट करता है:-

सारणी

(क)		(ख)	
आय-स्लैब	विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में यथा विनिर्दिष्ट दरें (अर्थात्, वर्तमान दरें)	आय-स्लैब	विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 में यथा विनिर्दिष्ट दरें (अर्थात्, प्रस्तावित दरें)
50,000 रुपए तक	शून्य	50,000 रुपए तक	शून्य
50,001 रुपए - 60,000 रुपए	10%	50,001 रुपए - 60,000 रुपए	10%
60,001 रुपए - 1,50,000 रुपए	20% ¹	60,001 रुपए - 1,50,000 रुपए	20% ²
1,50,000 रुपए से अधिक	30% ³	1,50,000 रुपए से अधिक	30% ⁴

1. इस स्लैब में व्यक्तियों को अध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर पांच प्रतिशत के अधिभार का संदाय करना अपेक्षित होगा।
2. इस स्लैब में व्यक्तियों को अध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर पांच प्रतिशत के अधिभार का संदाय करना अपेक्षित नहीं होगा।
3. इस स्लैब में व्यक्तियों को अध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर पांच प्रतिशत के अधिभार का संदाय करना अपेक्षित होगा।
4. ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी कुल आय, 8,50,000/- रुपए से अधिक है, इस स्लैब में अध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर दस प्रतिशत के अधिभार का संदाय करना अपेक्षित होगा।

व्यक्तियों, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, आदि की दशा में, छूट सीमा में अधिभार के उद्ग्रहण का प्रभाव विभिन्न आय स्तरों पर निम्न प्रकार से होगा:

कुल आय (रुपए)	विद्यमान कर दायित्व (रुपए)	नया कर दायित्व (रुपए)	अतिरिक्त कर दायित्व (रुपए)	अतिरिक्त कर (%)
50,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
55,000	500	500	शून्य	शून्य
60,000	1,000	1,000	शून्य	शून्य
60,010	1,010 *	1,002	(-)8	(-)0.79
60,020	1,020 *	1,004	(-)16	(-)1.57
60,050	1,050 *	1,010	(-)40	(-)3.81
60,100	1,071	1,020	(-)51	(-)4.76
60,200	1,092	1,040	(-)52	(-)4.76
75,000	4,200	4,000	(-)200	(-)4.76
1,50,000	19,950	19,000	(-)950	(-)4.76
2,00,000	35,700	34,000	(-)1,700	(-)4.76
3,00,000	67,200	64,000	(-)3,200	(-)4.76
5,00,000	1,30,200	1,24,000	(-)6,200	(-)4.76
7,50,000	2,08,950	1,99,000	(-)9,950	(-)4.76
8,00,000	2,24,700	2,14,000	(-)10,700	(-)4.76
8,50,000	2,40,450	2,29,000	(-)11,450	(-)4.76
8,55,000	2,42,025	2,34,000 #	(-)8,025	(-)3.31
8,60,000	2,43,600	2,39,000 #	(-)4,600	(-)1.88
8,65,000	2,45,175	2,44,000 #	(-)1,175	(-)0.47
8,70,000	2,46,750	2,49,000 #	2,250	0.91
8,75,000	2,48,325	2,54,000 #	5,675	2.28
8,80,000	2,49,900	2,59,000 #	9,100	3.64
8,85,000	2,51,475	2,63,450	11,975	4.76
8,90,000	2,53,050	2,65,100	12,050	4.76
10,00,000	2,87,700	3,01,400	13,700	4.76
25,00,000	7,60,200	7,96,400	36,200	4.76
1,00,00,000	31,22,700	32,71,400	1,48,700	4.76

* उपांतिक सहायता का उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि 60,000/- रुपए से अधिक आय होने पर, अतिरिक्त संदेय आय-कर, जिसमें अधिभार भी है, ऐसी रकम तक सीमित है जिसके द्वारा आय 60,000/- रुपए से अधिक होती है।

उपांतिक सहायता का उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि 8,50,000/- रुपए से अधिक आय होने पर, अतिरिक्त संदेय आय-कर, जिसमें अधिभार भी है, ऐसी रकम तक सीमित है जिसके द्वारा आय 8,50,000/- रुपए से अधिक होती है।

ख. सहकारी सोसाइटी

सहकारी सोसाइटी की दशा में, आय-कर की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही हैं जो विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के तत्स्थानी पैरा में विनिर्दिष्ट हैं। संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर के ढाई प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

ग. फर्म

फर्म की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर पैंतीस प्रतिशत ही है। फर्मों द्वारा संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए, संदेय कर के ढाई प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

घ. स्थानीय प्राधिकारी

स्थानीय प्राधिकारियों की दशा में, आय-कर की दर, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर वही है, जो विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के तत्स्थानी पैरा में विनिर्दिष्ट है। संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर के ढाई प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

ङ. कंपनियों

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ङ में विनिर्दिष्ट की गई है। देशी कंपनियों के लिए पैंतीस प्रतिशत और विदेशी कंपनियों के लिए चालीस प्रतिशत की विद्यमान दरों में कोई परिवर्तन नहीं है। सभी कंपनियों द्वारा संदेय कर में, संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर के ढाई प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

[खंड 2 और पहली अनुसूची]

कल्याणकारी उपाय

लाभांशों से और यूनितों से आय पर स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक सीमा में वृद्धि

धारा 194 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी कंपनी द्वारा ऐसे शेयरधारक की दशा में, जो व्यक्ति है, स्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित नहीं है, यदि कंपनी द्वारा लाभांश, पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा संदत्त किया जाता है और, यथास्थिति, ऐसे लाभांश की रकम या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संवितरित या संदत्त अथवा संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य ऐसे लाभांश की रकम का योग एक हजार रुपए से अधिक नहीं है।

और, धारा 194ट में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि या भारतीय यूनित ट्रस्ट के संबंध में, किसी भी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कर की कटौती की जानी अपेक्षित नहीं है, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान पाने वाले के खाते में जमा की गई या उसके द्वारा संदत्त की गई अथवा जमा की जानी या संदत्त की जानी संभाव्य, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की कुल रकम एक हजार रुपए से अधिक नहीं है।

लघु विनिधानकर्ता और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता देने की दृष्टि से, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि स्रोत पर कर की कटौती लाभांशों या यूनितों से आय के रूप में वहां नहीं की जाएगी जहां, यथास्थिति, लाभांशों या आय की रकम दो हजार पांच सौ से अधिक नहीं है।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अगस्त, 2002 से प्रभावी होंगे और 1 अप्रैल, 2003 से पूर्व घोषित, वितरित या संदत्त लाभांशों की बाबत लागू होंगे।

[खंड 67 और खंड 72]

कतिपय दशाओं में स्व-घोषणा भरने पर स्रोत पर कर की कटौती का न किया जाना

धारा 197क में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, स्रोत पर उस समय कर की कोई कटौती नहीं की जाती है यदि कोई व्यक्ति, जो भारत में निवासी है, यह घोषणा प्रस्तुत करता है कि उसकी ऐसे पूर्व वर्ष की, जिसमें ऐसी आय उसकी कुल आय की संगणना में सम्मिलित की जानी है, प्राक्कलित कुल आय पर कर शून्य होगा। पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1ख) यह उपबंध करती है कि धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां राष्ट्रीय बचत स्कीम, आदि के अधीन निक्षेपों को बाबत लाभांशों, संदायों से किसी आय की रकम या प्रतिभूतियों पर ब्याज या प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज या यूनितों से आय की रकम या ऐसी आय की कुल रकम जो उस पूर्व वर्ष के दौरान, जिसमें ऐसी आय सम्मिलित की जानी है, जमा की गई है या संदत्त की गई है या जमा या संदत्त किए जाने की संभावना है, उस अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभाय नहीं है।

वरिष्ठ नागरिकों को सहायता देने की दृष्टि से, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 193 या धारा 194 या धारा 194क या धारा 194ख या धारा 194ट के अधीन कर की कोई कटौती ऐसे किसी भारतीय व्यक्ति निवासी की दशा में नहीं की जाएगी जो वर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की आयु का है और धारा 88ख में निर्दिष्ट अपनी आय पर आय-कर की रकम से कटौती के लिए हकदार है, यदि ऐसा व्यक्ति उन धाराओं में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय का संदाय करने के लिए, उत्तरदायी व्यक्ति को एक घोषणा प्रस्तुत कर देता है कि उस पूर्व वर्ष की, जिसमें ऐसी आय उसकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित की जानी है, उसकी प्राक्कलित कुल आय पर कर शून्य होगा। उपधारा (1ख) में अंतर्विष्ट प्रतिषेध वरिष्ठ नागरिकों की दशा में लागू नहीं होगा।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा।

[खंड 78]

वैयक्तिक प्रयोजन के लिए वृत्तिक सेवाओं हेतु फीस का संदाय करते समय स्रोत पर कर की कटौती का न किया जाना

धारा 194ज की उपधारा (1) के दूसरे परतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई व्यक्ति या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से आवृत्त उस वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें ऐसी राशि वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में जमा या संदत्त की जाती है, आय-कर अधिनियम की धारा 44कख के खंड(क) या खंड(ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमा से अधिक होती है, तो संदाय करते समय स्रोत पर कर की कटौती अपेक्षित है।

विधेयक उक्त उपधारा में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस के रूप में संदेय राशि पर आय-कर की कटौती का दायी नहीं होगा यदि ऐसी राशि व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से जमा या संदत्त की जाती है।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा।

[खंड 71]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन अनुज्ञेय प्रतिकर से प्राप्त रकम पर छूट यदि यह किस्तों में प्राप्य है या प्राप्त की जाती है

धारा 10 के खंड (10ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी अन्य कंपनी या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन स्थापित प्राधिकरण या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सहकारी सोसाइटी या किसी विश्वविद्यालय या किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी ऐसी संस्था, जिसका संपूर्ण भारत या किसी राज्य या राज्यों में अपना महत्व है या ऐसे किसी प्रबंध संस्थान के, जो केन्द्रीय सरकार यदि राजपत्र में अधिसूचित करे, किसी कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति के समय, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी की दशा में, पृथक्करण की किसी स्कीम के अनुसार प्राप्त ऐसी किसी रकम को उस मात्रा तक, जो पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर्मचारी की कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कर्मचारी द्वारा अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति पर प्राप्य या प्राप्त की जा सकने वाली, (अर्थात् चाहे किस्तों में भी प्राप्त की गई हो) पांच लाख रुपए से अनधिक की किसी रकम को, ऐसे कर्मचारी की कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6(ख)]

भूतपूर्व सैनिक कारपोरेशनों को आय से छूट

इस समय भूतपूर्व सैनिक निगमों की आय, कर के अधधीन है।

हमारे सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा दी जा रही आदर्श सेवा को मान्यता देने की दृष्टि से, भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और आर्थिक उत्थान के लिए किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम की किसी आय को आय-कर से छूट देने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6(ग)]

सर्वोच्च संपरीक्षा संस्थाओं के एशियन संगठन को कर छूट

धारा 10 के खंड (23खखघ) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन "एसओएसएआई - सेक्रेटेरिएट" के रूप में रजिस्ट्रीकृत सेक्रेटेरिएट आफ दि एशियन आर्गनाइजेशन आफ दि सुप्रीम आडिट इंस्टिट्यूशन की, 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत तीन पूर्व वर्षों के लिए कोई आय उसकी कुल आय संगणित करने में सम्मिलित नहीं की जानी है।

संगठन ने भारत में अपना सेक्रेटेरिएट दिसम्बर, 2006 तक खोलने का विनिश्चय किया है। अतः, धारा 10 के खंड (23खखघ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे छूट को 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले चार निर्धारण वर्षों की और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6(ड)]

वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती की रकम में वृद्धि

धारा 16 के खंड (?) उपबंधों के अधीन ऐसे निर्धारित को, जिसकी आय वेतन से है, विनिर्दिष्ट रकम की कटौती उपलब्ध है। विद्यमान उपबंधों के अनुसार, किसी ऐसे वेतनभोगी करदाता की दशा में, जिसकी इस खंड के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व वेतन से आय एक लाख पचास हजार रुपए तक है, वेतन के तैंतीस सही एक बटा तीन प्रतिशत के बराबर राशि या तीस हजार रुपए की राशि, इनमें से जो कम हो, उसमें वेतन से कटौती के रूप में अनुज्ञात है। किसी निर्धारित की दशा में, जिसकी इस खंड के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व वेतन से आय एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है किन्तु तीन लाख रुपए से कम है, पच्चीस हजार रुपए की कटौती अनुज्ञात है। किसी निर्धारित की दशा में, जिसकी इस खंड के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व वेतन से आय तीन लाख रुपए से अधिक किन्तु पांच लाख रुपए से कम है, बीस हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात है। ऐसे किसी निर्धारित की दशा में, जिसकी वेतन से आय पांच लाख रुपए से अधिक है, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं है।

वेतनभोगी करदाताओं को कर सहायता प्रदान करने की दृष्टि से, इस धारा के अधीन कटौती की रकम में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, ऐसे किसी निर्धारित को, जिसकी वेतन से आय इस खंड के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, वेतन के चालीस प्रतिशत के बराबर राशि या तीस हजार रुपए की राशि की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी। किसी ऐसे निर्धारित को जिसकी वेतन से आय, इस खंड के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व, पांच लाख रुपए से अधिक है, बीस हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 11]

भरण-पोषण की बाबत कटौती जिसमें आश्रित निःशक्त व्यक्ति या गंभीर निःशक्त व्यक्ति का चिकित्सा उपचार सम्मिलित है

धारा 80घघ में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी निर्धारित को, जो भारत में निवासी है, और व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, चालीस हजार रुपए की कटौती अनुज्ञात की गई है, यदि निर्धारित ने पूर्व वर्ष के दौरान कोई व्यय किसी निःशक्त आश्रित के चिकित्सीय उपचार (जिसके अंतर्गत परिचर्या

भी है), प्रशिक्षण, और पुनर्वास के लिए उपगत किया है या जीवन बीमा निगम या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा निःशक्त आश्रित के भरण-पोषण के लिए बनाई गई किसी स्कीम के अधीन कोई रकम संदत्त की है या जमा की है। इस प्रयोजन के लिए, निःशक्त के पात्र स्तर को परिभाषित करने के लिए विभिन्न मानदंड आय-कर नियम, 1962 के नियम 11क में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। इन नियमों में और निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन निःशक्त को परिभाषित करने वाले नियमों में अंतर है जिसके अधीन निःशक्त से 40% से अधिक निःशक्त अभिप्रेत है।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन विहित मानदंडों के साथ आय-कर नियम के अधीन यथाविद्यमान निःशक्त को परिभाषित करने के लिए मानदंडों को सुमेलित करने और कटौती की रकम में वृद्धि करने की दृष्टि से, विद्यमान धारा 80घघ को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्ति के आश्रित के संबंध में उपगत चिकित्सा व्यय आदि के लिए इस धारा के अधीन पचास हजार रुपए की रकम की कटौती का उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि पचहत्तर हजार रुपए की उच्चतर कटौती वहां अनुज्ञात की जाएगी जहां निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन ऐसा व्यक्ति ऐसा गंभीर निःशक्त व्यक्ति है जिसकी निःशक्तता 80% से अधिक है। आश्रित पद की परिभाषा का भी प्रस्ताव किया जाता है जिससे व्यक्ति की दशा में, पति या पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई और बहनों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, उसके ऐसे सदस्य को, जो पूर्णतया या मुख्यतया निर्धारित पर आश्रित है और जिसने अपनी आय की संगणना करने में धारा 80प के अधीन कोई कटौती का दावा नहीं किया है, सम्मिलित किया जा सके।

कटौती का दावा करने के लिए, निर्धारित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की एक प्रति के साथ धारा 139 के अधीन फाइल की गई आय की विवरणी देगा। जहां निःशक्तता की शर्त में पुनर्निर्धारण अपेक्षित है वहां कटौती का दावा जारी रखने के लिए मूल प्रमाणपत्र पर उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् चिकित्सा प्राधिकारी से एक नया प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना होगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात् वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 31]

निःशक्त व्यक्ति या गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्ति की दशा में कटौती

धारा 80प में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो निवासी है, और पूर्ववर्ष के अंत में किसी ऐसी शारीरिक निःशक्तता से (जिसके अंतर्गत अंधापन भी है) पीड़ित है या मानसिक मंदता से ग्रस्त है और जिसे किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत यथास्थिति, चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, नेत्र रोग विशेषज्ञ या मनःचिकित्सक ने प्रमाणित किया है और जिसका प्रभाव यह है कि सामान्य कार्य अथवा लाभपूर्ण नियोजन या उपजीविका में लगने की उस व्यक्ति की सामर्थ्य पर्याप्त रूप से घट गई है, चालीस हजार रुपए की कटौती अनुज्ञात की जाती है। इस प्रयोजन के लिए, निःशक्तता के पात्र स्तर को परिभाषित करने के लिए विभिन्न मानदंड आय-कर नियम, 1962 के नियम 11घ में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। इन नियमों और निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन निःशक्तता को परिभाषित करने वाले नियमों में अंतर है जिसके अधीन निःशक्तता से 40% से अधिक की निःशक्तता अभिप्रेत है और इसमें शारीरिक निःशक्तता, के अतिरिक्त मानसिक मंदता भी सम्मिलित है।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन विहित मानदंडों के साथ आय-कर नियम के अधीन यथा विद्यमान निःशक्तता को परिभाषित करने के लिए मानदंडों को सुमेलित करने और कटौती की रकम में वृद्धि करने की दृष्टि से, विद्यमान धारा 80प को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन यथा परिभाषित असुविधाग्रस्त व्यक्ति के आश्रित के संबंध में उपगत चिकित्सा व्यय आदि के लिए इस धारा के अधीन पचास हजार रुपए की रकम की कटौती का उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि पचहत्तर हजार रुपए की उच्चतर कटौती वहां अनुज्ञात की जाएगी जहां निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन ऐसा व्यक्ति ऐसा गंभीर निःशक्त व्यक्ति है जिसकी निःशक्तता 80% से अधिक है।

कटौती का दावा करने के लिए, निर्धारित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की एक प्रति के साथ धारा 139 के अधीन फाइल की गई आय की विवरणी देगा। जहां निःशक्तता की शर्त में पुनर्निर्धारण अपेक्षित है वहां कटौती का दावा जारी रखने के लिए मूल प्रमाणपत्र पर उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् चिकित्सा प्राधिकारी से एक नया प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना होगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात् वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 40]

पैंसठ वर्ष या उससे ऊपर के व्यष्टियों की दशा में आय-कर की रिबेट की रकम में वृद्धि

विद्यमान उपबंध के अधीन, पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की आयु समूह के व्यक्ति किसी निर्धारण वर्ष में अपनी कुल आय पर आय-कर की रकम से, ऐसे आय-कर के शत प्रतिशत के बराबर रकम की या पन्द्रह हजार रुपए की रकम की, जो भी कम हो, कटौती के हकदार है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर सहायता का उपबंध करने की दृष्टि से, कर रिबेट की उक्त सीमा को बढ़ाकर बीस हजार रुपए करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, ऐसे वरिष्ठ नागरिक को, जिनकी आय एक लाख तिरपन हजार रुपए तक है और जहां ऐसे वरिष्ठ नागरिक ऐसे पेंशनभोगी हैं या वेतनभोगी कर दाता है जिनकी आय एक लाख तिरासी हजार रुपए तक है, किसी भी प्रकार के आय-कर का संदाय नहीं करना होगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात् वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 42]

कतिपय पुस्तकों के लेखकों की स्वामिस्व आय, आदि की बाबत तीन लाख रुपए तक की कटौती अनुज्ञात करने के लिए नया उपबंध

लेखक नए विचारों को गति प्रदान करने और चिन्तन को सृजित करते हुए किसी भी समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुस्तकों का रचयिता अनेकों वर्ष कठिन कार्य करता है जिसमें उसकी सहयुक्त लागत भी सम्मिलित होती है, जिनमें से अधिकांश को उनकी आय से कटौती योग्य व्यय

अनुज्ञेय नहीं है। दूसरी ओर, लेखकों की आय का स्रोत अनिश्चित है और अनियमित रूप से फैला हुआ है। लेखकों को, लेखक के उनकी वृत्ति से आय की बाबत कर-सहायता का उपबंध करने की दृष्टि से, आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन एक नई धारा 80थथख अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

भारत में व्यष्टिक निवासी किसी व्यक्ति को, जो लेखक है, किसी पुस्तक के प्रतिलिप्यधिकार में उसके किन्हीं हितों के समनुदेशन या मंजूरी के लिए किसी एकमुश्त प्रतिफल या ऐसी पुस्तक की बाबत स्वामिस्व या प्रतिलिप्यधिकार फीस (चाहे एकमुश्त या अन्यथा प्राप्य हो) के मद्दे उसकी वृत्ति में प्रयोग के लिए उसके द्वारा व्युत्पन्न किसी भी आय की बाबत तीन लाख रुपए तक की कटौती के लिए नई धारा 80थथख का उपबंध करने का प्रस्ताव है। किसी पुस्तक, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति की कृति की बाबत कटौती अनुज्ञात की जाएगी। तथापि, यह प्रस्ताव किया जाता है कि स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों, गाइडों, कमेंटारियों, समाचारपत्रों, जर्नलों, पत्रिकाओं, डायरियों, ब्रोसर्स, ट्रैक्टों, पम्पलेटों और उसी प्रकृति के अन्य प्रकाशनों से चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाता हो, आय की बाबत कटौती उपलब्ध नहीं होगी। जहां निर्धारिती इस धारा के अधीन कटौती का दावा करता है वहां उसी आय की बाबत आय-कर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती का दावा नहीं किया जा सकेगा।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि इस धारा के अधीन कटौती की संगणना करने के लिए, पात्र आय की रकम पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय की गई पुस्तकों के मूल्य के 15% से अधिक नहीं होगी। तथापि, यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां स्वामिस्व या प्रतिलिप्यधिकार फीस पुस्तक में लेखक के सभी अधिकारों के बदले एकमुश्त प्राप्य हों। कटौती का दावा करने के लिए, निर्धारिती को विहित रीति और विहित प्ररूप में ऐसे ब्यौरे उल्लिखित करते हुए, जो विहित किए जाएं, आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित एक प्रमाणपत्र देना होगा।

जहां पात्र आय भारत के बाहर से प्राप्त की जाती है वहां कटौती, ऐसी विदेशी मुद्रा में, जो पूर्ववर्ष के अन्त से छह मास के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर, जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, भारत में लाई जाती है, अर्जित आय पर ही अनुज्ञात की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत होगा जो संदायों को विनियमित करने या विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत किया गया है। यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसे मामलों में कटौती का दावा करने के लिए अधिनियम में विद्यमान वैसे ही उपबंधों के आधार पर इस आशय का एक प्रमाणपत्र देना अपेक्षित होगा कि इस धारा के उपबंध के अनुसार कटौती का दावा ठीक प्रकार किया गया है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 38]

किन्हीं दो बालकों की शिक्षा के लिए संदत्त शिक्षण फीस पर रिबेट

धारा 88 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की ऐसी कुल आय, जो संदत्त राशि की नियत प्रतिशतता के बराबर है या विनिर्दिष्ट स्कीमों में जमा है, पर संदेय कर से कटौती के लिए उपबंध है। इस कटौती के प्रयोजन के लिए, ऐसी विनिर्दिष्ट स्कीमों में, जो इस धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र हैं, संदत्त कुल राशि या जमा सत्तर हजार रुपए तक सीमित होती है। जहां ऐसी राशि में साम्या शैयों या डिबेंचरों का अंशदान या पूंजी के पात्र निर्गम के भागरूप पारस्परिक निधियों के यूनिट सम्मिलित हैं वहां एक लाख रुपए की पात्र विनिधान की उच्चतर सीमा उपलब्ध है।

शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु, भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था को निर्धारिती के किन्हीं दो बालकों की पूर्णकालिक-शिक्षा के प्रयोजन के लिए, प्रवेश के समय या उसके पश्चात् अध्यापन फीस के रूप में संदत्त किसी राशि के लिए, जो प्रत्येक ऐसे बालक की बाबत बारह हजार रुपए की रकम से अधिक न हो, धारा 88 के अधीन कर रिबेट की परिधि के भीतर सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया जाता है। तथापि, पात्र रकम में किसी विकास फीस या सदान या उसी प्रकृति के संदायों के मद्दे किसी भी संदाय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस संदाय की बाबत कटौती सत्तर हजार रुपए की पात्रता सीमा के भीतर उपलब्ध होगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 41]

सुव्यवस्थीकरण और सरलीकरण के उपाय

किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन स्थापित इकाइयों द्वारा उपगत व्यय के लिए कटौती

ऐसी इकाइयों का, जो संसद् के किसी अधिनियम के अधीन सृजित की जाती हैं, मूल उद्देश्य और कृत्य उक्त अधिनियमों में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विकासात्मक क्रियाकलाप करना है। वित्त अधिनियम, 2001 और वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संसद् के अधिनियम द्वारा स्थापित कतिपय निकायों से कर छूट को वापस ले लिया गया था। कर से बचाव समाप्त होने के परिणामस्वरूप, यह शंका उत्पन्न हो गई है कि ऐसी इकाइयों द्वारा किए जा रहे ऐसे कुछ क्रियाकलापों को, जिनका कोई लाभप्रद उद्देश्य नहीं है, कारबार नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, ऐसे विकासात्मक क्रियाकलापों पर उपगत व्यय को "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

विधेयक धारा 36 की उपधारा (1) में एक नया खंड (!??) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यय (जो पूंजी व्यय की प्रकृति का नहीं है), जो किसी निगम या किसी निगमित निकाय द्वारा, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, जो किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित है, उस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत ऐसे उद्देश्यों और प्रयोजनों के जिसके अधीन ऐसा निगम या निगमित निकाय गठित या स्थापित किया गया था, उपगत किया गया है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 15]

लाभांश पर कर का उत्सादन और वितरित लाभ पर अतिरिक्त आय-कर का उद्ग्रहण

धारा 115ण में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, देशी कंपनियों उनके द्वारा 31 मार्च, 2002 को या उसके पूर्व वितरित किए गए लाभों पर दस प्रतिशत का अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के लिए दायी हैं। कंपनी द्वारा इस प्रकार संदत्त कर को, लाभांश के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त रकम की बाबत कर का अंतिम संदाय माना जाता था।

1.4.2002 से घोषित, वितरित या संदत्त लाभांश प्राप्तिकर्ता, अर्थात् शेयरधारकों को आय-कर प्रभार्य हो गया था। धारा 80ठ करदाताओं द्वारा प्राप्त लाभांशों की बाबत सकल आय से कटौती के लिए उपबंध करती है।

कंपनी की दशा में क्रमप्रपातीय प्रभाव का निवारण करने की दृष्टि से, धारा 80ड में ऐसी देशी कंपनी के लिए, जो अन्य देशी कंपनी से लाभांश प्राप्त करती है, और पुनः लाभ के रूप में उनका वितरण करती है, छूट का उपबंध किया गया है। किसी देशी कंपनी द्वारा किसी अन्य देशी कंपनी से प्राप्त किए गए लाभांशों पर कटौती की रकम प्राप्तकर्ता कंपनी द्वारा विवरणी फाइल करने की नियत तारीख को या उसके पूर्व वितरित लाभांशों की सीमा तक है।

धारा 194 के उपबंधों के अधीन, ऐसे शेयरधारक की दशा में, जो भारत का निवासी है, स्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, धारा 195 ऐसे शेयर धारक की दशा में, जो अनिवासी है या विदेशी कंपनी है, प्रवर्तन की दरों पर लाभांशों से स्रोत पर कर की कटौती के लिए उपबंध करती है। धारा 196ग के अधीन लाभांश आय की बाबत या बांड या विश्व निक्षेपागार प्राप्तियों की बाबत स्रोत पर कर की कटौती की जानी भी अपेक्षित है। धारा 196घ, धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की बाबत स्रोत पर कर की कटौती के लिए उपबंध करनी है।

यह तर्क दिया गया है कि एकल बिन्दु, अर्थात् कंपनी से, उनके शेयरधारकों से कटौती योग्य कर की संगणना करने में बाध्य करने के बजाय कर संगृहीत करना आसान है।

अतः, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1) को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है कि देशी कंपनी द्वारा लाभांशों के रूप में 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् कंपनी की आय पर प्रभार्य सामान्य आय-कर के अतिरिक्त घोषित, वितरित या संदत्त रकम पर साढ़े बारह प्रतिशत की दर से आय-कर प्रभारित किया जाएगा।

1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् देशी कंपनियों से प्राप्त लाभांशों को आय-कर से छूट देने का प्रस्ताव किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, लाभांशों की बाबत धारा 80ठ और धारा 80ड के अधीन कटौतियों को जारी न रखने का प्रस्ताव है। स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित उपबंधों को पर्याप्त रूप से संशोधित किए जाने का भी प्रस्ताव है जिससे लाभांशों के रूप में आय से स्रोत पर कर की कोई कटौती न करने का उपबंध किया जा सके।

चूंकि, धारा 115ण के उपबंध अब प्रवर्तनीय होंगे इसलिए धारा 10(23चक), धारा 10(23छ), धारा 115क, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ और 115ग में धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न के प्रति निर्देश अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् लाभांश के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त रकमों की बाबत प्रभावी किए जाने का प्रस्ताव है।

[खंड 6, 29, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 67, 73, 75 और 76]

यूनिटों से प्राप्त आय पर कर का उत्सादन और पारस्परिक निधियों द्वारा वितरित आय पर अतिरिक्त आय-कर का उद्ग्रहण

धारा 115द में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि द्वारा उसके यूनिट धारकों को 31 मार्च, 2002 को या उससे पहले वितरित आय की कोई रकम कर से प्रभार्य है और भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि ऐसी किसी वितरित आय पर दस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने का दायी होगा।

1 अप्रैल, 2002 से धारा 115द में निर्दिष्ट यूनिटों से आय, प्राप्तकर्ता, अर्थात् यूनिटधारक के हाथों आय-कर से प्रभार्य होगा। धारा 80ठ भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि के यूनिटों की बाबत प्राप्त आय के संबंध में कुल समग्र आय में से कटौती का उपबंध करती है।

धारा 194ट के उपबंधों के अधीन भारत में निवासी किसी यूनिटधारक के मामले में यूनिटों से प्राप्त आय पर स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है। धारा 196क के अधीन, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि की यूनिटों के संबंध में किसी अनिवासी को, जो कोई कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को संदत्त आय पर भी स्रोत पर कर की कटौती बीस प्रतिशत की दर से अपेक्षित है।

किसी कंपनी द्वारा वितरित लाभांश के मामले में यह प्रस्ताव किया गया है कि ऐसी कंपनी पर अतिरिक्त आय-कर उद्ग्रहीत किया जाए और शेयरधारक के हाथ में लाभांश को इससे छूट दी जाए।

इसलिए आय-कर अधिनियम की धारा 115द को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अन्तरण और निरसन) अधिनियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट किसी कंपनी या पारस्परिक निधि द्वारा उसके शेयरधारकों को वितरित आय की कोई रकम कर से प्रभार्य होगी और विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि साढ़े बारह प्रतिशत की स्पाट दर से अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के दायी होंगे।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अन्तरण और निरसन) अधिनियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक, या पारस्परिक निधि या विनिर्दिष्ट कंपनी से किसी यूनिटधारक द्वारा 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् यूनिटों से प्राप्त आय को आय-कर से छूट देने का प्रस्ताव है। इसके परिणामस्वरूप, धारा 80ठ के अधीन यूनिटों से आय पर छूट समाप्त करने का प्रस्ताव है। यूनिटों से आय की बाबत स्रोत पर कर की कटौती के उपबंधों को यथोचित रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे इस बात का उपबंध किया जा सके कि ऐसी आय से स्रोत पर कर की कटौती न की जाए।

इस बात का भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि विनिर्दिष्ट समय के भीतर अतिरिक्त आय-कर की संदत्त न की गई राशि पर या उसके किसी भाग के लिए प्रत्येक मास के लिए सवा प्रतिशत की दर से ब्याज का संदाय करने के दायी होंगे। इस बात का भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि द्वारा वितरित आय का वितरण करने के लिए दायी व्यक्ति उसके द्वारा संदेय कर के लिए या अतिरिक्त आय-कर की राशि के लिए व्यतिक्रमी माना जाएगा यदि इसका केन्द्रीय सरकार के प्रत्यय में संदाय नहीं कर दिया जाता है।

आय-कर अधिनियम की धारा 10 (23घ) में परिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि इस बात का उपबंध किया जा सके कि किसी पारस्परिक निधि की आय की बाबत छूट अध्याय 12ड के उपबंधों के अधीन होगी।

इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् वितरित आय के संबंध में लागू करने का प्रस्ताव है।

[खंड 6,36,50,51,52,72 और 74]

द्रुक मालिकों को उपधारणात्मक आय से संबंधित उपबंधों का स्पष्टीकरण

धारा 44कड की उप धारा (1) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी ऐसे निर्धारित की दशा में, जिसके स्वामित्व में दस से अधिक माल वाहन नहीं है और जो ऐसे माल वाहनों को चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारखाने में लगा हुआ है, कारखाने या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारखाने की आय पूर्ववर्ष में उसके स्वामित्व में के सभी माल वाहनों से, लाभों और अभिलाभों का योग समझी जाएगी।

विधेयक उपरोक्त उपधारा को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है जिससे इस बात का स्पष्टीकरण हो सके कि इस धारा के उपबंध उस निर्धारिती के जिसके स्वामित्व में पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 10 माल वाहन नहीं हैं, मामले में लागू होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-05 और पश्चात्तवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 21]

आय की परिभाषा का सुव्यवस्थीकरण

धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (!??) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, धारा 28 के खंड (=??) में निर्दिष्ट रकमों को आय की परिभाषा में शामिल किया गया है।

विधेयक उपरोक्त उपखंड को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है जिससे धारा 28 के खंड (V) का प्रति निर्देश किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन, वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा आय-कर अधिनियम की धारा 2 और धारा 28 में से संशोधन का पारिणामिक है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चात्तवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

निम्नतर दर पर कर कटौती प्रमाणपत्र के संबंध में धारा 197 का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 197 यह उपबंध करती है कि, किसी व्यक्ति की किसी आय की दशा में, जहां धारा 192, धारा 193, धारा 194क, धारा 194घ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ट, धारा 194ठ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन आय-कर की स्रोत पर कटौती करना अपेक्षित है और निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्राप्तकर्ता की कुल आय इतनी है कि यथास्थिति आय-कर की कटौती किन्ही निम्नतर दरों के अनुसार करना या आय-कर की कोई कटौती न करना न्यायोचित है तो निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर उसे ऐसा प्रमाणपत्र देगा जो समुचित हो।

विधेयक धारा 194ग में निर्दिष्ट किसी ठेकेदार या उप ठेकेदार को संदत्त किसी रकम को, धारा 194छ में निर्दिष्ट लाटरी टिकटों की बिक्री में दलाली आदि से आय को और धारा 194ज में निर्दिष्ट वृत्तिक और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में संदत्त किसी रकम को उपरोक्त धारा की परिधि में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करता है। विधेयक उपरोक्त धारा में पूंजी आस्तियों के अधिग्रहण पर प्रतिकर के संदाय के प्रति धारा 194ठ में निर्देश का लोप करने का भी प्रस्ताव करता है।

विधेयक आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194छ और धारा 194ज को भी संशोधित करने के लिए है। ये संशोधन उपरोक्त धाराओं को धारा 197 की परिधि में शामिल करने के प्रस्ताव के पारिणामिक हैं।

ये संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होंगे।

[खंड 68,69,71 और 77]

फर्मों के निर्धारण के संबंध में उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 184 की उपधारा (5) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां किसी निर्धारण वर्ष की बाबत, किसी फर्म की ओर से ऐसी कोई असफलता होती है, जो धारा 144 में उल्लिखित है तब उस फर्म का निर्धारण उस रीति से किया जाएगा जिस रीति से किसी व्यक्ति संगम का निर्धारण किया जाता है और तदनुसार, आय-कर अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे।

इसके अतिरिक्त, धारा 185 के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि यदि कोई फर्म किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 184 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है तो फर्म का उस वर्ष के लिए वैसी रीति में निर्धारण किया जाएगा जैसे व्यक्तियों के संगम का और तदनुसार, इस अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे।

फर्मों के निर्धारण से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण करने के उद्देश्य से, विधेयक धारा 184 की उपधारा (5) और धारा 185 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है ताकि इस बात का उपबंध किया जा सके कि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां फर्म की ओर से धारा 144 में निर्दिष्ट कोई असफलता होती है, किसी निर्धारण वर्ष के लिए फर्म धारा 184 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है तो फर्म का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि ब्याज, वेतन, बोनस, दलाली, पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, के द्वारा ऐसी फर्म के किसी भागीदार को ऐसी फर्म द्वारा भुगतान के माध्यम से कोई कटौती “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए अनुज्ञात होगी और ब्याज, वेतन, बोनस, दलाली या पारिश्रमिक की कुल रकम धारा 28 के खंड (v) के अधीन भागीदार के हाथों में कर से प्रभार्य नहीं होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्तवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 63 और 64]

मरम्मत और चालू मरम्मत की लागत के संबंध में स्पष्टीकारक संशोधन

धारा 30 के खंड (क) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किराएदार के रूप में निर्धारिती के अधिभोग में परिसर की मरम्मत पर लागत और निर्धारिती द्वारा किराएदार से भिन्न अधिभोग में परिसर पर चालू मरम्मत के मद्दे संदत्त रकम “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय की संगणना में कटौती के लिए अनुज्ञेय है।

धारा 31 के खंड (i) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के मद्दे, चालू मरम्मत की रकम, “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय की संगणना करने में कटौती के लिए अनुज्ञेय हैं।

इन धाराओं के विद्यमान उपबंध अनावश्यक मुकदमेबाजी की विषयवस्तु रहे हैं। इसलिए यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि मरम्मत और चालू मरम्मत की लागत पर उपगत व्यय में पूंजी व्यय की प्रकृति के किसी व्यय को शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 12 और 13]

उधार ली गई पूंजी पर ब्याज की कटौती के संबंध में स्पष्टीकारक संशोधन

धारा 36 की उपधारा (1) के उपखंड (iii) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए उधार ली गई पूंजी की बाबत, “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय की संगणना करने में ब्याज की कटौती को अनुज्ञात किया गया है।

विद्यमान उपबंध मुकदमेबाजी अधोमुखी रहे हैं।

इसलिए, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि विद्यमान कारबार या वृत्ति (लेखाबहियों में पूंजीकृत हो या नहीं) के विस्तार के लिए नई आस्तियों के अर्जन के लिए उधार ली गई किसी पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की रकम के संबंध में, उस तारीख से, जिसको आस्तियों के अर्जन के लिए पूंजी उधार ली गई थी, उस तारीख तक की अवधि के लिए, जिसको कि ऐसी आस्ति का पहली बार उपयोग किया गया था, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 15]

कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ से हुई आय से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषाओं से संबंधित स्पष्टीकारक संशोधन

धारा 43 के खंड (3) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध, ‘संयंत्र’ पद को समाविष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और इसमें चाय के झाड़ या पशुधन शामिल नहीं है।

‘संयंत्र’ पद की समाविष्टि मुकदमेबाजी की विषयवस्तु रही है विशेषकर इस विषय पर कि क्या भवन या फर्नीचर और सज्जा संयंत्र हैं या नहीं।

आस्तियों, अर्थात् “भवन या फर्नीचर और सज्जा” को ‘संयंत्र’ पद की परिभाषा में शामिल न करने का उपबंध करने का प्रस्ताव है।

इसी प्रकार धारा 43 के खंड (6) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, ‘लेखा बहियों में आने वाले’, पद का प्रयोग अनावधानता था।

इसलिए, स्पष्टीकरण 2ख से ‘लेखा बहियों में आने वाला’ शब्दों का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे इस बात का स्पष्टीकरण किया जा सके कि परिणामी कंपनी के मामले में आस्तियों के खंड का लिखित मूल्य अविलयित कंपनी की अंतरित आस्तियों का लिखित मूल्य होगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 17]

संक्षिप्त निर्धारण के समय दिए गए आधिक्य प्रतिदाय पर ब्याज प्रभारित करना

धारा 143(4) के उपबंधों के अधीन, जहां धारा 143(3) या धारा 144 के अधीन कोई नियमित निर्धारण किया जाता है, वहां धारा 143(1) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई कर या ब्याज, ऐसे नियमित निर्धारण मद्दे संदत्त किया गया समझा जाएगा और यदि नियमित निर्धारण होने पर कोई प्रतिदाय शोध्य नहीं है या धारा 143(1) के अधीन प्रतिदाय की गई रकम नियमित निर्धारण पर प्रतिदेय रकम से अधिक हो जाती है तो इस प्रकार प्रतिदाय की गई सम्पूर्ण या आधिक्य रकम निर्धारिती द्वारा संदेय कर समझी जाएगी।

ऐसे मामले में, जहां निर्धारिती अग्रिम कर या टीडीएस या टीसीएस के सारवान् भाग के प्रतिदाय का दावा करता है जिसे उसके द्वारा धारा 139 के अधीन उसके द्वारा घोषित विवरणी में कुल आय के आधार पर संदत्त किया गया था, वहां धारा 143(1) के अधीन विवरणी पर कार्यवाही करते समय उसे ऐसा प्रतिदाय मंजूर करना होगा। तत्पश्चात्, यदि कुल आय पर, जो विवरणी में दी गई आय से काफी अधिक है, नियमित निर्धारण किया जाता है तो निर्धारिती को पहले दिया गया प्रतिदाय या उसका सारवान् भाग संदेय कर माना जाएगा। परन्तु जहां निर्धारिती निर्धारण वर्ष के पहले दिन से अग्रिम कर के भुगतान में कमी पर ब्याज का संदाय करता है तो वही प्रतिदाय की गई राशि का उपयोग करने पर निर्धारिती से नियमित निर्धारण की तारीख तक कुछ भी प्रभारित नहीं किया जाता है।

अतः, विधेयक, संक्षिप्त निर्धारण के समय दिए गए आधिक्य प्रतिदाय पर ब्याज प्रभारित करने के लिए आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 234घ अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती को कोई प्रतिदाय मंजूर किया जाता है और नियमित निर्धारण पर कोई प्रतिदाय शोध्य नहीं है या धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिदाय की गई रकम, नियमित निर्धारण पर प्रतिदाय रकम से अधिक है, वहां निर्धारिती, प्रत्येक मास या प्रतिदाय की मंजूरी की तारीख से ऐसे नियमित निर्धारण की तारीख तक की अवधि में समाविष्ट किसी मास के भाग के लिए इस प्रकार प्रतिदाय की गई संपूर्ण रकम या उससे अधिक रकम पर दो बटा तीन प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि जहां धारा 154 या धारा 155 या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 या आय-कर अधिनियम की धारा 254घ की उपधारा (4) के अधीन समझौता आयोग के आदेश के परिणामस्वरूप धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम, यथास्थिति, सम्पूर्ण या भाग रूप में सही रूप में अनुज्ञात की गई पाई जाती है वहां उपधारा (1) के अधीन

प्रभार्य ब्याज तदनुसार कम कर दिया जाएगा। यह भी उपबंध किया गया है कि धारा 147 या धारा 153क के अधीन पहली बार किया गया उपबंध उपरोक्त धारा के प्रयोजनों के लिए नियमित निर्धारण माना जाएगा।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा।

[खंड 84]

लघु उद्योगों के लिए प्रत्यय प्रत्याभूत निधि न्यास की बाबत स्पष्टीकरण

धारा 10 के खंड (23ड ख) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, लघु उद्योगों के लिए प्रत्यय प्रत्याभूत निधि न्यास की आय को 1 अप्रैल, 2002 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पांच वर्ष की अवधि के लिए कर से छूट प्राप्त है।

विधेयक उपरोक्त खंड को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि न्यास का नाम “लघु उद्योग प्रत्यय प्रत्याभूत निधि न्यास” है।

यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-03 और 4 पश्चात्तर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

जब कर की कटौती स्रोत पर न की गई हो तब निर्धारिती द्वारा कर के प्रत्यक्ष संदाय से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 191 में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसी आय के मामले में, जिसकी बाबत आय-कर अधिनियम के अध्याय 17क के उपबंधों के अधीन संदाय के समय आय-कर की कटौती के लिए उपबंध नहीं किया गया है और किसी ऐसे मामले में, जहां उक्त अध्याय के उपबंधों के अनुसार आय-कर की कटौती नहीं की गई है, निर्धारिती द्वारा प्रत्यक्षतः आय-कर संदेय होगा।

विधेयक यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव करता है कि धारा 194 में निर्दिष्ट मुख्य अधिकारी या जो कंपनी या धारा 200 में निर्दिष्ट व्यक्ति, सम्पूर्ण या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करता है तो किन्हीं ऐसे अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो वह उपगत करे ऐसे कर की बाबत धारा 201 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा जब तक कि स्वयं निर्धारिती द्वारा ऐसे कर का संदाय प्रत्यक्षतः नहीं कर दिया गया हो।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा।

[खंड 65]

धारा 36(1)(x) के अधीन उपलब्ध कटौती की बाबत स्पष्टीकरण

धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (x) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, “कारबार या वृत्ति से प्राप्त लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में धारा 10 के खंड (23ड) के अधीन अन्तर्विष्ट निधि में अंशदान के रूप में पब्लिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा संदत्त कोई रकम की बाबत कटौती अनुज्ञात है।

विधेयक उपरोक्त खंड (x) को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्थापित किसी विनियम जोखिम प्रशासन निधि में किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा अभिदाय के रूप में संदत्त किसी राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी। यह संशोधन वित्त विधेयक, 2002 द्वारा धारा 10 के खंड 23ड का लोप किए जाने के परिणामस्वरूप है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्तर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 15]

कतिपय दायित्वों की बाबत कटौती के संबंध में उपबंधों का उपांतरण

धारा 43ख में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, निर्धारिती द्वारा कर, शुल्क, उपकर आदि के रूप में संदेय किसी रकम या एक नियोक्ता के रूप में किसी भविष्य निधि में अभिदान या सेवानिवृत्ति निधि या उपदान निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी निधि आदि में संदेय रकम के लिए कटौती उस पूर्व वर्ष की आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाती है जिस वर्ष वह रकम वास्तव में संदत्त की गई है। उक्त धारा का खंड (ड) संदेय उस रकम से संबंधित है जो निर्धारिती द्वारा किसी अनुसूचित बैंक से ऐसे ऋण को अधिशासित करने वाले करार और निबंधनों और शर्तों के अधीन किसी आवधिक ऋण पर संदेय ब्याज के रूप में संदेय है।

उपरोक्त धारा का पहला परन्तुक यह उपबंध करता है कि यह कटौती तब अनुज्ञात की जाएगी यदि रकम का संदाय निर्धारिती द्वारा उसके मामले में ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए, जिसमें ऐसी रकम का संदाय करने का दायित्व उपगत हुआ था, आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए शोध्य तारीख को या उससे पहले कर दिया गया था और ऐसे भुगतान का साक्ष्य निर्धारिती द्वारा ऐसी विवरणी के साथ प्रस्तुत कर दिया जाता है।

उपरोक्त धारा का दूसरा परन्तुक यह उपबंध करता है कि खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी रकम की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी, अर्थात् किसी नियोक्ता द्वारा किसी भविष्य निधि या सेवानिवृत्ति निधि या उपदान निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में संदेय रकम तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि ऐसी रकम रोकड़ में या चेक जारी करके या ड्राफ्ट द्वारा या किसी ऐसे माध्यम से धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (फक) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित शोध्य तारीख को या उससे पूर्व वास्तविक रूप से संदत्त नहीं कर दी जाती है और जहां ऐसा भुगतान रोकड़ के अतिरिक्त किसी और रीति में किया जाता है तो ऐसी रकम शोध्य तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर वसूल ली जाती है।

विधेयक उपरोक्त धारा के खंड (ड) को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है ताकि इस बात का उपबंध किया जा सके कि किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या अग्रिम पर ऐसे ऋण या अग्रिम को शासित करने वाले निबंधनों और शर्तों के अधीन ब्याज की कटौती ऐसे पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी, जिसमें ऐसी रकम का वास्तव में संदाय किया जाता है।

विधेयक यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव करता है कि किसी निर्धारित द्वारा नियोक्ता के रूप में किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि को किए गए भुगतान की कटौती उस वर्ष की आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी, जिस वर्ष ऐसी रकम का वास्तव में संदाय किया गया है। पूर्ववर्ष की आय की विवरणी प्रस्तुत करने की शोध्य तारीख से पहले संदत किए जाने के मामले में यह मोक उस वर्ष के लिए किया जाएगा जिस वर्ष दायित्व उपगत हुआ था।

ये उपबंध 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे

[खंड 18]

धन-कर अधिनियम की धारा 17 और दान-कर अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों का उपांतरण

धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 17 में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसे मामले में जहां कर से प्रभार्य शुद्ध धन निर्धारण से छूट गया है, वहां निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को ऐसी अवधि के भीतर जो तीस दिन से अन्यून नहीं होगी, सूचना में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्धारिती के ऐसे शुद्ध धन की बाबत, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति सूचना में वर्णित तारीख को निर्धारणीय है, विवरणी प्रस्तुत करने के लिए सूचना देगा।

दान-कर अधिनियम, 1958 की धारा 16 में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि जहां कोई व्यक्ति ऐसे कराधेय दान की बाबत, जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति निर्धारणीय है (चाहे यह ऐसे व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो) और निर्धारण से छूट गया है, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को सूचना देगा जो सूचना में यथा-वर्णित अवधि के भीतर, जो तीस दिन से अन्यून होगी, ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना में वर्णित पूर्ववर्ष की बाबत जिसके लिए कि वह निर्धारणीय है कराधेय दानों की बाबत विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

विधेयक धन-कर अधिनियम की धारा 17 और दान-कर अधिनियम की धारा 16 का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है जिससे विवरणी प्रस्तुत करने की तीस दिन से अन्यून अवधि की समय-सीमा का वित्त अधिनियम, 1996 की धारा 148 के संशोधन की रूपरेखा के अनुसार लोप किया जा सके।

ये संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 1989 से लागू होंगे और तदनुसार, 1 अप्रैल, 1989 को या उसके पश्चात् जारी सूचनाओं की बाबत लागू होंगे।

[खंड 93 और 94]

भारत की सुरक्षा से संबंधित सेवा प्रदान करने के लिए करार के अनुसरण में प्राप्त स्वामिस्व के रूप में आय को छूट

खंड (6ग) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी कंपनी को भारत में या भारत से बाहर भारत की सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार से किए गए करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त फीस के माध्यम से उद्भूत आय उसकी कुल आय की संगणना करने में शामिल नहीं की जाएगी। यद्यपि स्वामिस्व के रूप में संदाय इस उपबंध के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

इसलिए, उपरोक्त धारा (6ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी कंपनी को भारत की सुरक्षा से संबंधित भारत सरकार से किए गए करार के अनुसरण में, प्राप्त स्वामिस्व के माध्यम से उद्भूत आय पर इस छूट का विस्तार किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 6 (क)]

जहां किसी न्यास या संस्था का विघटन किया जा रहा हो वहां निर्धारण अधिकारियों को

अन्तः न्यास संदानों को अनुज्ञात करने के लिए सशक्त करना

धारा 11 की उपधारा (3क) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां किसी मामले में आय प्राप्त कर रहे किसी न्यास या संस्था के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण संचित आय का उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सका हो, जिसके लिए वह संचित की गई है या अलग कर दी गई है, वहां ऐसी किसी आय का अन्य पूर्त न्यासों/संस्थाओं को आय का अन्तरण पूर्त प्रयोजनों के लिए आय का उपयोग के रूप में अनुज्ञात नहीं है। इस उपबंध से उन न्यासों और संस्थाओं को वास्तव में कठिनाई हुई है जिनका विघटन कर दिया गया है।

इस कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, धारा 11 की उपधारा (3क) के परन्तुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि निर्धारण अधिकारी को अन्य न्यासों या संस्थाओं को किए गए संदान को उस वर्ष के लिए, जिस वर्ष छूट का दावा करने वाले न्यास या संस्था का विघटन किया गया है, संचित आय के पूर्त प्रयोजनों के लिए उपयोग के रूप में अनुज्ञात करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 10]

दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के लिए भारत से बाहर के स्रोतों से उधार लिए

गए धन पर कंपनी की ब्याज आय पर उपलब्ध छूट का हटाया जाना

धारा 10 के खंड 15(iv)(छ) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, भारत में विरचित और रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसी पब्लिक कंपनी द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में आवास प्रयोजनों के लिए गृहों के विनिर्माण और खरीद के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार करना है, और जो ऐसी कंपनी

है जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित ऋण करार के अधीन भारत से बाहर के स्रोतों से विदेशी मुद्रा में उधार लिए गए किसी धन पर कटौती के लिए पात्र है, संदेय ब्याज को छूट प्राप्त है। इसी प्रकृति की छूटें सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों, आईडीबीआई, एनएचबी, एसआईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आदि के मामले में तारीख 1-6-2001 से वापस ले ली गई है।

इसलिए, धारा 10 के खंड 15(iv)(छ) को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि इस बात का उपबंध किया जा सके कि यह छूट, जो आवास वित्त कंपनियों को अभी भी उपलब्ध है, उन्हें उन मामलों में उपलब्ध नहीं होगी जहां ऋण करार का अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा 31 मई, 2003 के पश्चात् किया है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात् वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 6(घ)]

“जो मामूली तौर से निवासी नहीं है” की परिभाषा में परिवर्तन

धारा 6 के खंड (6) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी व्यक्ति के बारे में यह तब कहा जाता है कि जब वह किसी पूर्व वर्ष में भारत में मामूली तौर से निवासी नहीं है जब वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है, जो उस वर्ष के पूर्व वर्षों में से नौ वर्षों में भारत निवासी न रहा हो या उस वर्ष के पूर्ववर्ती सात पूर्व वर्षों के दौरान ऐसी कालावधि तक या कुल मिलाकर ऐसी कालावधियों तक जो सात सौ तीन दिन या उससे अधिक की हो, भारत में न रहा हो या ऐसा हिन्दू अविभक्त कुटुंब है जिसका कर्ता उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से नौ पूर्ववर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के सात पूर्व वर्षों के दौरान ऐसा कालावधि तक या कुल मिलाकर ऐसी कालावधियों तक, जो सात सौ तीस दिन या उससे अधिक हो, भारत में न रहा हो। यह परिभाषा विभिन्न विधिक निर्वचनों का विषय रही है।

इस संबंध में, किसी सन्देह को दूर करने के लिए, इस परिभाषा के स्थान पर एक नई परिभाषा रखने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में भारत में मामूली तौर से निवासी नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, जो उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्व वर्षों में से नौ वर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के पूर्ववर्ती सात पूर्व वर्षों के दौरान ऐसी कालावधि तक या कुल मिलाकर ऐसी कालावधियों तक, जो सात सौ उनतीस दिन या उससे कम की हो, भारत में न रहा हो या ऐसा हिन्दू अविभक्त कुटुंब है जिसका कर्ता उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्व वर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के सात पूर्व वर्षों के दौरान ऐसी कालावधि तक या कुल मिलाकर ऐसी कालावधियों तक, जो सात सौ उनतीस दिन या उससे कम हो, भारत में न रहा हो। प्रस्तावित संशोधन स्पष्टीकरण प्रकृति का है और 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा।

[खंड 4]

“कारबारी संपर्क” पद की परिभाषा

धारा 9 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, भारत में किसी कारबारी संपर्क के द्वारा या उससे भारत में किसी संपत्ति के द्वारा या उससे या भारत में किसी आस्ति या आय के स्रोत के द्वारा या उससे भारत में स्थित पूंजी आस्ति के अंतरण के द्वारा चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत आय समझा जाएगा। “कारबारी संपर्क” पद को अभिकर्ता के संबंध में, धारा 163 में भी निर्दिष्ट किया गया है। तथापि, यह पद आय-कर अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है।

“कारबारी संपर्क” पद के बारे में शंकाओं को दूर करने के लिए, उक्त उपधारा के खंड (i) में दो स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि “कारबारी संपर्क” पद में ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित किया जाएगा, जो अनिवासी की ओर से कार्य करते हुए, जिसे—

- (i) संविदाओं को अंतिम रूप देने का प्राधिकार है और भारत में अभ्यासतः अनिवासी की ओर से तब तक उसका प्रयोग करता है जब तक कि उसके क्रियाकलाप अनिवासी के लिए भाग या वाणिज्या के क्रय तक सीमित नहीं हैं, या
- (ii) ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है किन्तु अनिवासी की ओर से माल या वाणिज्या का भारत में अभ्यासतः स्टॉक रखता है जिससे वह अनिवासी की ओर से माल या वाणिज्या का नियमित रूप से परिदान करता है, या
- (iii) भारत में अभ्यासतः अनिवासी के लिए या उस अनिवासी और अन्य अनिवासियों की ओर से, जो नियंत्रण करते हैं या उनके द्वारा नियंत्रित है या उसी सम्मिलित नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जो अनिवासी है, पूर्ण या लगभग पूर्ण रूप से आदेश प्राप्त करता है।

तथापि, “कारबारी संपर्क” उन मामलों में स्थापित नहीं समझा जाएगा जहां अनिवासी किसी दलाल, साधारण कमीशन अभिकर्ता या किसी स्वतंत्र प्रास्थिति के किसी अन्य अभिकर्ता के द्वारा कारबार करता है परंतु ऐसा व्यक्ति उसके कारबार के साधारण अनुक्रम में कार्य कर रहा है।

यह स्पष्ट करने के लिए यह और प्रस्ताव है कि कोई दलाल, साधारण कमीशन अभिकर्ता या अन्य अभिकर्ता किसी स्वतंत्र प्रास्थिति का समझा जाएगा जहां ऐसा कमीशन अभिकर्ता अनिवासी के लिए या उस अनिवासी और अन्य अनिवासियों के लिए, जो नियंत्रण कर रहे हैं या नियंत्रणाधीन है या उसी सम्मिलित नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जो उस अनिवासी का है, का कार्य मुख्यतः या पूर्ण रूप से नहीं करता है।

धारा 163 में इस परिभाषा का निर्देश दिए जाने का भी प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात् वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 5]

विनिर्दिष्ट रोगों के चिकित्सीय उपचार, आदि की बाबत कटौती को ऐसे उपचार पर वास्तविक रूप से उपगत व्यय से जोड़ना

धारा 80 घघख के विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी निर्धारित को, जो कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, स्वयं या उसके आश्रित या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य को ऐसे किसी रोग या व्याधि की बाबत, जो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत व्यय के लिए

साठ हजार रुपए की कटौती अनुज्ञात की जाती है। निर्धारिती को विहित प्ररूप में और ऐसे प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इस प्रयोजन के लिए, भारतीय चिकित्सा संगम के पास रजिस्ट्रीकृत स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता वाला कोई भी डाक्टर नियम 11घघ के अधीन विहित प्राधिकारी है।

उपबंधों को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, उक्त धारा के स्थान पर एक नई धारा रखने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन कटौती की रकम वास्तविक रूप से उपगत व्यय की रकम या चालीस हजार रुपए की राशि के, इनमें से जो भी कम हो, उस पूर्व वर्ष की बाबत जिसमें ऐसा व्यय उपगत हुआ था, बराबर होगी। नया उपबंध व्यष्टि की दशा में, पति-पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहन को, और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, की दशा में, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य को सम्मिलित करने के लिए आश्रित पद को परिभाषित करने का प्रस्ताव करता है। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि ऐसी कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती आय-कर विवरणी के साथ ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत किसी तंत्रिका विज्ञानी, किसी अर्बुदविज्ञानी, किसी मूत्र रोग विज्ञानी, किसी रुधिर विज्ञानी, किसी प्रतिरक्षा विज्ञानी या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ का, जो विहित किया जाए, प्रमाणपत्र नहीं देता है। “सरकारी अस्पताल” पद में सरकारी सेवकों के उपचार के लिए अनुमोदित अस्पतालों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इस धारा के अधीन कटौती में से कोई राशि, यदि कोई हो, जो किसी बीमाकर्ता से बीमा के अधीन प्राप्त होती है या निर्धारिती या आश्रित व्यक्ति के चिकित्सा उपचार के लिए किसी नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है, कम कर दी जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्पूर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 32]

ऐसे उपक्रम या उद्यम का अंतरण जो किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है या विकास और प्रचालन करता है या अनुरक्षण और प्रचालन करता है

धारा 80झक की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंध के अधीन, कोई निर्धारिती, उस वर्ष से आरंभ होने वाले पन्द्रह वर्षों में से दस आनुक्रमिक निर्धारण वर्षों के लिए, जिनमें उपक्रम या उद्यम उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (iii) में निर्दिष्ट कोई विशेष आर्थिक जोन विकसित करता है या उसका विकास और प्रचालन करता है या अनुरक्षण और प्रचालन करता है, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कटौतियों का दावा कर सकेगा।

उपबंधों को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां कोई उपक्रम 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है और दूसरे उपक्रम को (अंतरिती उपक्रम) उसके प्रचालन और अनुरक्षण का अंतरण करता है, वहां अंतरिती उपक्रम को दस आनुक्रमिक निर्धारण वर्षों में शेष अवधि के लिए कटौती, ऐसी रीति में उपलब्ध होगी मानो प्रचालन और अनुरक्षण अंतरिती उपक्रम को अंतरित न किया गया हो। “किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है या विकास और प्रचालन करता है या अनुरक्षण और प्रचालन करता है” पद के स्थान पर “विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है” पद को रखकर उपधारा (2) में पारिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया जाता है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्पूर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 33]

ऐसी बीमा पालिसियों की बाबत, जिनकी प्रीमियम की रकम बीमाकृत राशि की वास्तविक पूंजी के बीस प्रतिशत से अधिक है, कर रियायतों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 10 के खंड (10घ) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त किसी भी राशि को, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि भी है (जो धारा 80घघक के अधीन आश्रित असुविधाग्रस्तों के चिकित्सा उपचार, प्रशिक्षण और पुर्नवास के लिए पालिसी या प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी के अंतर्गत प्राप्त किसी राशि से भिन्न है), छूट प्राप्त है।

धारा 88 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, पीपीएफ, जीपीएफ, एनएससी, बीमा प्रीमियम, आदि में संदत्त या जमा किसी राशि की बाबत किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को संदेय आय-कर से छूट अनुज्ञात की गई है। कटौती ऐसी राशि की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता पर अनुज्ञात की जाती है।

उच्च प्रीमियम और न्यूनतम जोखिम बीमा वाली बीमा पालिसियां निक्षेपों या बांडों के समान हैं। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि ऐसी बीमा पालिसियां अन्य विनिधान स्कीमों के समतुल्य समझी जाती हैं, इसलिए ऐसी पालिसियों को उपलब्ध रियायती कर को सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव किया जाता है। अतः, धारा 10 के खंड (10घ) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड के अधीन उपलब्ध छूट किसी ऐसी बीमा पालिसी के, जिसकी बाबत, संदत्त प्रीमियम बीमा की वास्तविक पूंजी राशि के बीस प्रतिशत से अधिक हो जाता है, अधीन प्राप्त की गई किसी राशि को अनुज्ञात नहीं की जाएगी। तथापि, व्यक्ति की मृत्यु पर ऐसी पालिसी के अधीन प्राप्त किसी राशि को छूट जारी रहेगी। यह स्पष्ट करने का भी प्रस्ताव है कि ऐसे किसी प्रीमियम के, जिसे वापस किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, या वास्तविक रूप से बीमा की गई रकम से ऊपर और अधिक बोनस या अन्यथा के रूप में किसी फायदे के, जो पालिसी के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाना है या किया जा सकेगा, मूल्य को इस खंड के अधीन बीमा की वास्तविक पूंजी राशि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा। नया उपबंध यह भी उपबंध करता है कि धारा 80घघ की उपधारा 3 के अधीन प्राप्त रकमों को इस खंड के अधीन छूट नहीं दी जाएगी।

धारा 88 में एक नई उपधारा (2क) को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी बीमा पालिसी के अधीन प्रीमियम के रूप में संदत्त या जमा राशि की बाबत कटौती केवल आस्थगित वार्षिकी के लिए किसी संविदा से भिन्न किसी बीमा पालिसी के संबंध में दिए गए किसी प्रीमियम या अन्य संदाय के उतने भाग को ही उपलब्ध होगी जो वास्तविक बीमा राशि के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

यह स्पष्ट करने का भी प्रस्ताव है कि वापस किए जाने के लिए करार किए गए किन्ही प्रीमियमों के या वास्तविक बीमा राशि से अधिक बोनस या अन्यथा के रूप में किसी फायदे के, जो किसी व्यक्ति द्वारा पालिसी के अधीन प्राप्त किया जाना है या किया जा सकता है, मूल्य को, इस खंड के अधीन वास्तविक बीमा पूंजी राशि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा

[खंड 6 और 41]

प्रतिकर में कमी की दशा में पूंजी अभिलाभ की पुनः संगणना

धारा 45 की उपधारा (5) के विद्यमान उपबंध पूंजी आस्ति के ऐसे अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों की संगणना करने की पद्धति के लिए उपबंध करती है, जो किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन या प्रतिफल के अंतरण के रूप में है, या ऐसा अंतरण है जिसका प्रतिफल केन्द्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित या अनुमोदित किया गया था, और जहां ऐसे अंतरण का प्रतिकर या प्रतिफल किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा वर्धित या और वर्धित किया गया है। उक्त उपधारा यह उपबंध करती है कि पूंजी अभिलाभ, यथास्थिति, प्रतिकर या प्रतिफल अथवा वर्धित प्रतिकर या प्रतिफल लेकर प्रतिफल के पूर्ण मूल्य में संगणित किया जाएगा और ऐसा पूंजी अभिलाभ उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में प्रभावी होगा जिसमें ऐसा प्रतिकर या प्रतिफल निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया जाता है।

कुछ मामलों में निर्धारिती कठिनाई का तब सामना करते हैं जब ऐसे प्रतिकर या प्रतिफल में तत्पश्चात् किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कटौती कर दी जाती है इसलिए, प्रतिकर या प्रतिफल की प्राप्ति के वर्ष में प्रभावी पूंजी अभिलाभ की पुनः संगणना करने का उपबंध करने के लिए कोई उपबंध विद्यमान नहीं है।

इस कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से, एक नए खंड (ग) को अंतःस्थापित करके उपधारा (5) को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां प्रतिकर या प्रतिफल की राशि में तत्पश्चात् किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा कटौती कर दी जाती है वहां उस वर्ष के पूंजी अभिलाभ पर, जिसमें प्रतिकर या प्रतिफल प्राप्त किया गया है, कर लगाया गया था, तदनुसार पुनः संगणित किया जाएगा।

यह उपबंध करने के लिए धारा 155 में एक नई उपधारा (16) को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि निर्धारण अधिकारी, न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार कम किए गए प्रतिकर या प्रतिफल को, प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में लेकर उस वर्ष के उक्त पूंजी अभिलाभ की संगणना को पुनरीक्षित करने के लिए निर्धारण के आदेश को संशोधित करेगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 26 और 60]

ऋणों और निक्षेपों के प्रतिसंदाय के ढंग से संबंधित धारा 269न में स्पष्टीकारक संशोधन

आय-कर अधिनियम की धारा 269न के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक की कोई शाखा और कोई अन्य कंपनी या सहकारी सोसाइटी तथा कोई फर्म या अन्य व्यक्ति, उनको दिए गए किसी ऋण या किए गए किसी निक्षेप का प्रतिसंदाय उन मामलों में, पाने वालों के खाते में देय चैक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही करेगी, अन्यथा नहीं, जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित ऋण या निक्षेप की रकम बीस हजार रुपए या उससे अधिक है। आवधिक "ऋण" वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा इस धारा में सम्मिलित किया गया था।

कारबार चलाने वाले अधिकांश निर्धारिती बैंकों से नकद प्रत्यय खाता, ओवर ड्राफ्ट खाता बिल खाता, पैकेज प्रत्यय खाता आदि जैसी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। ये प्रत्यय सुविधा खाते आवधिक "ऋण" की परिधि में आते हैं। अतः, निर्धारिती इन प्रत्यय सुविधा खातों में अपने नकद विक्रय आगमों को भी जमा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे ऋण का प्रतिसंदाय होगा।

निर्धारितियों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से, एक दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करके पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के उपबंध (i) सरकार; (ii) किसी बैंककारी कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक; (iii) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम; (iv) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 द्वारा स्थापित किसी सरकारी कंपनी; (v) ऐसी अन्य संस्था, संगम या निकाय संस्था, या ऐसी अन्य संस्था, संगम, या निकाय या संरचनाओं, संगमों या निकायों के वर्ग से, जिसे केन्द्रीय सरकार लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित करे, लिए गए या प्राप्त किए गए किसी ऋण या निक्षेप के प्रतिसंदाय की दशा में लागू होगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा।

धारा 269न का वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधन किया गया था और इस धारा को ऋणों पर भी विस्तारित किया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए, धारा 271ड. का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी व्यक्ति पर, यदि वह धारा 269न के उपबंधों के अनुसार किसी निक्षेप या ऋण का प्रतिसंदाय करने में असफल रहता है, शास्ति के उद्ग्रहण के लिए उपबंध किया जा सके। यह प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा।

[खंड 87 और 88]

धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण से संबंधित उपबंधों का उपांतरण

आय-कर अधिनियम की धारा 133क के विद्यमान उपबंधों के अधीन सर्वेक्षण करने वाला कोई आय-कर प्राधिकारी रोकड़ सूची बनाने, स्टॉक या अन्य मूल्यवान चीज का सत्यापन करने तथा किसी व्यक्ति के कथन को अभिलिखित करने, लेखा बहियों या दस्तावेजों का निरीक्षण करने, पहचान चिह्न लगाने, और ऐसा करने के कारण अभिलिखित करने के पश्चात् लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में परिबद्ध करने तथा प्रतिधारित करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है। ऐसी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या आयुक्त या निदेशक के अनुमोदन के बिना केवल 15 दिन के लिए आय-कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिधारित किया जा सकता है।

धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय-कर प्राधिकारी, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त किए बिना दस दिन से अधिक के लिए ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को प्रतिधारित नहीं करेगा।

यह और प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (6) के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण से पूर्व एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा 133क की उपधारा(1) के अधीन, यथास्थिति, संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई कार्रवाई सहायक निदेशक या उप-निदेशक या निर्धारण अधिकारी या किसी कर वसूली अधिकारी या आय-कर निरीक्षक द्वारा नहीं की जाएगी।

धारा के स्पष्टीकरण के खंड(क) में "आय-कर प्राधिकारी" पद की परिभाषा का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि उसमें कर वसूली अधिकारी को सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा।

[खंड 55]

धारा 143 के अधीन परिसीमित पुरोधरणों पर आय के निर्धारण को बंद करना

धारा 143 की उपधारा (2) के खंड (i) के विद्यमान उपबंध के अधीन, यदि किसी निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि निर्धारिता ने किसी ऐसी हानि, छूट, कटौती, मोक या अनुतोष, जो अनुज्ञेय है, का दावा किया है तो वह उक्त खंड के अधीन दावा विनिर्दिष्ट करते हुए तथा उसके समर्थन में साक्ष्य और विशिष्टियों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारिता से अपेक्षा करते हुए सूचना जारी कर सकता है। ऐसे साक्ष्य को सुने जाने तथा ऐसी विशिष्टियों पर विचार करने के पश्चात्, निर्धारण अधिकारी धारा 143 की उपधारा (3) के खंड (i) के अधीन कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (i) में एक परंतुक अंतःस्थापित करके परिसीमित पुरोधरणों पर संवीक्षा निर्धारण स्कीम को बंद करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के खंड (i) के अधीन कोई सूचना 1 जून, 2003 को या उसके पश्चात् निर्धारिता पर तामील नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा।

[खंड 58]

तलाशी के मामलों में निर्धारण-अध्याय 14ख में विशेष प्रक्रिया का उत्सादन और नए उपबंधों को सम्मिलित करना

अध्याय 14ख के विद्यमान उपबंध किसी ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय के एकल निर्धारण के लिए उपबंध करते हैं जिसका अभिप्राय ऐसी अवधि से है, जिसमें ऐसे पूर्व वर्ष से पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्व वर्ष समाविष्ट हैं जिसमें तलाशी ली गई थी और इसमें ऐसी तलाशी के प्रारंभ की तारीख तक की अवधि भी सम्मिलित है और ये ऐसी रीति अधिकथित करते हैं, जिसमें ऐसी आय संगणित की जानी है। अध्याय 14ख को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य विवादों का परिवर्जन, तलाशी निर्धारणों को शीघ्र अंतिम रूप देना और कार्यवाहियों की बहुलता में कमी लाना था। यह विचार लागत प्रभावी, दक्ष और सार्थक तलाशी निर्धारण प्रक्रिया को अपनाने के लिए था।

तथापि, अध्याय 14ख में अंतर्विष्ट तलाशी निर्धारण(ब्लाक निर्धारण) के लिए विशेष प्रक्रिया के कार्यान्वयन संबंधी अनुभव ने यह दर्शाया है कि नई स्कीम तलाशी निर्धारणों के शीघ्र समाधान के अपने उद्देश्य में असफल हो चुकी है। नई प्रक्रिया में निर्धारण के दो समान्तर प्रवाहों की अभिधारणा है, अर्थात् एक नियमित निर्धारण की अभिधारणा और दूसरी उसी अवधि, अर्थात् ब्लाक अवधि के दौरान ब्लाक निर्धारण के लिए अवधारणा। "अप्रकटित आय" के रूप में विशिष्ट आय के निरूपण के प्रश्न पर विवाद खड़े हुए हैं और क्या यह तलाशी आदि के दौरान पाई गई सामग्री से संबंधित हैं जहां तथ्य स्पष्ट भी हैं वहां प्रक्रियात्मक मामलों पर मुकदमेबाजी बनी रहती है। अतः, इस नई प्रक्रिया ने मुकदमेबाजी की नई अभिधारणा को जन्म दिया है।

यह उपबंध करने के लिए प्रस्ताव है कि इस अध्याय के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों को आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 158खइ अंतःस्थापित करके 31 मई, 2003 के पश्चात् धारा 132क के अधीन अधिगृहीत किया जाता है।

आय-कर अधिनियम में तीन नई धाराओं 153क, 153ख तथा 153ग को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे तलाशी या अधिग्रहण करने के मामले में निर्धारण के लिए उपबंध किया जा सके।

प्रस्तावित नई धारा 153क निर्धारण की समाप्ति के लिए प्रक्रिया का वहां उपबंध करती है जहां धारा 152 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या 31 मई, 2003 के पश्चात् धारा 132क के अधीन लेखा बहियों या अन्य दस्तावेज या किन्हीं आस्तियों का अधिग्रहण किया जाता है। ऐसे मामलों में निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए यह सूचना जारी करेगा कि वह ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों की बाबत आय की विवरणी प्रस्तुत करे जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई थी या धारा 132क के अधीन अधिग्रहण किया गया था। निर्धारण अधिकारी इन छह निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक वर्ष कुल आय का निर्धारण या पुनः निर्धारण करेगा। धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने की या धारा 132क के अधीन अधिग्रहण करने की तारीख को लंबित, छह निर्धारण वर्षों की अवधि के भीतर आने वाले किसी निर्धारण वर्ष, से संबंधित यथास्थिति, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का, यदि कोई हो, उपशमन हो जाएगा। प्रस्तावित धारा 153क, धारा 153ख, और धारा 153ग में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध धारा 153क के अधीन किए गए निर्धारण या पुनर्निर्धारण को लागू होंगे। इस धारा के अधीन किसी निर्धारण वर्ष की बाबत किए गए निर्धारण या पुनर्निर्धारण में, कर ऐसे निर्धारण वर्ष को यथा लागू दर या दरों पर प्रभार्य होगा।

प्रस्तावित नई धारा 153ख तलाशी द्वारा निर्धारणों को पूरा करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करती है। इसमें यह उपबंध है कि निर्धारण अधिकारी छह निर्धारण वर्षों के भीतर आने वाले ऐसे प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि के भीतर, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अधिग्रहण के लिए प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार क्रियान्वित किया गया था, धारा 153क के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करेगा। इस धारा में उस पूर्ववर्ती वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष की बाबत निर्धारण को पूरा करने के लिए समय सीमा का भी उपबंध है जिसमें उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि के भीतर धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की

अवधि के भीतर धारा 132क के अधीन अधिग्रहण किया जाता है जिसमें, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अधिग्रहण के लिए प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार क्रियान्वित किया गया था। इसमें यह भी उपबंध है कि ऐसे निर्धारण या पुनर्निर्धारण को पूरा करने के लिए परिसीमन अवधि को संगणित करने में वह अवधि, जिसके दौरान किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा निर्धारण कार्यवाही रोक दी जाती है या उस तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि, जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन उसके लेखों को संपरीक्षित कराने के लिए निर्धारिती को निदेश देता है और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि जिसको निर्धारिती से उस उपधारा के अधीन ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है या धारा 129 के परंतुक के अधीन संपूर्ण कार्यवाही या उसके भाग को पुनःआरंभ करने में निर्धारिती को सुने जाने का अवसर दिए जाने में लिया गया समय या ऐसे मामले में, जहां धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग के समक्ष किया गया आवेदन इसके द्वारा नामंजूर कर दिया जाता है, इसके द्वारा कार्यवाही किए जाने के लिए अननुज्ञात कर दिया जाता है, उस तारीख को प्रारंभ होने वाली अवधि जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि जिसको उस धारा की उपधारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा धारा 245घ की उपधारा (1)के अधीन आदेश प्राप्त किया जाता है, अपवर्जित किया जाएगा। यदि, पूर्वोक्त अवधि के अपवर्जन के पश्चात्, यथास्थिति, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी के लिए उपलब्ध परिसीमन अवधि साठ दिन से कम है तो ऐसी शेष अवधि साठ दिन तक बढ़ाई जाएगी और तदनुसार, परिसीमन अवधि बढ़ाई गई अवधि समझी जाएगी।

प्रस्तावित नई धारा 153ग में यह उपबंध है कि जहां किसी निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि जब्त किया गया या अधिगृहीत कोई धन, बुलियन; आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज लेखा बहियों या दस्तावेज, जो धारा 153क में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के हैं, तब जब्त की गई या अधिगृहीत लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या आस्तियों को ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिया जाएगा और निर्धारण अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और ऐसे अन्य व्यक्ति को सूचना जारी करेगा तथा धारा 153क के उपबंधों के अनुसार, ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा।

धारा 153क के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण के आदेश के विरुद्ध अपील आय-कर आयुक्त(अपील) को की जाएगी।

धारा 153क के प्रतिनिर्देश करने के लिए भी धारा 132, धारा 132ख, धारा 140क, धारा 234क, धारा 234ख, धारा 246क और धारा 276गग में पारिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होंगे।

[खंड 53, 54, 57, 59, 61, 82, 83, 86 और 90]

तलाशी के दौरान स्टॉक व्यापार को अधिगृहीत न किया जाना

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 तलाशी और अधिग्रहण से संबंधित है।

धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iii) के विद्यमान उपबंध तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई किन्हीं लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों, धन, बुलियन, आभूषणों या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज के अधिग्रहण के लिए उपबंध करते हैं।

उक्त खंड में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए कारबार के स्टॉक व्यापार के किसी बुलियन, आभूषण, अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज को अधिगृहीत नहीं किया जाएगा परन्तु प्राधिकृत अधिकारी कारबार के ऐसे स्टॉक व्यापार की सूची या तालिका बनाएगा।

धारा 132 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि जहां किसी मूल्यवान वस्तु या चीज का वास्तविक कब्जा लेना संभव या व्यवहार्य नहीं है और इसे इसके आयतन, भार या अन्य भौतिक लक्षणों के कारण या इसकी खतरनाक प्रकृति के कारण इसे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाता है, तो वहां इसे समझे गए अधिग्रहण के अधीन रखा जा सकता है जिसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तुरंत कब्जा रखने वाले स्वामी या व्यक्ति पर एक आदेश तामील करेगा कि वह प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना इसे नहीं हटाएगा या उसे नहीं ले जाएगा।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के पश्चात् एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात कारबार के स्टॉक व्यापार वाली किसी मूल्यवान वस्तु या चीज को लागू नहीं होगी।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा।

[खंड 53]

अधिगृहीत आस्तियों के लिए आवेदन के लिए समय-सीमा का उपबंध करना

धारा 132ख की उपधारा(1) के खंड (i) के पहले परन्तुक में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध धारा 132क के अधीन तलाशी के दौरान अधिगृहीत या धारा 132क के अधीन अधिपेक्षित किसी आस्ति की निर्मुक्ति के लिए उपबंध करता है, यदि ऐसी आस्ति के अर्जन की प्रकृति और स्रोत, किसी विद्यमान कर दायित्व की उससे वसूली के पश्चात् और मुख्य आयुक्त या आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारण अधिकारी को समाधानप्रद रूप से स्पष्ट करेगा।

उक्त परन्तुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, अन्य बातों के साथ, पहले परन्तुक में निर्दिष्ट आस्ति तब निर्मुक्त की जाएगी जब संबद्ध व्यक्ति उस मास की, जिसमें आस्ति अधिगृहीत की गई थी, समाप्ति से तीन दिन के भीतर निर्धारण अधिकारी को आवेदन करता है।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा।

[खंड 54]

अग्रिम विनिर्णय की परिभाषा में स्पष्टीकरण

धारा 245ड के खंड (क) के उपखंड (ii) के अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, अन्य बातों के साथ, "अग्रिम विनिर्णय" पद से किसी ऐसे संव्यवहार के संबंध में प्राधिकारी द्वारा किए गए आवेदन में विनिर्दिष्ट किसी विधि के प्रश्न या तथ्य का अवधारण अभिप्रेत है जिसे किसी अनिवासी के साथ निवासी आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने के लिए प्रस्तावित है।

उक्त उपखंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि प्राधिकारी द्वारा विधि के किसी प्रश्न या तथ्य का अवधारण किसी संव्यवहार से उत्पन्न अनिवासी के कर-दायित्व के संबंध में होगा जिसे ऐसे अनिवासी के साथ और न कि निवासी के कर दायित्व के संबंध में निवासी आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

यह संशोधन 1 जून, 2000 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

खंड (क)के उपखंड (iii) के पश्चात्, एक परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां अग्रिम विनिर्णय, उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त अधिनियम, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, उक्त खंड(क) के उपखंड (ii) में, जैसा कि वह उस तारीख से ठीक पूर्व था, निर्दिष्ट किसी निवासी आवेदक द्वारा किसी आवेदन की बाबत प्राधिकारी द्वारा सुनाया जाता है वहां ऐसा विनिर्णय धारा 245घ में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों पर आबद्धकर होगा।

यह संशोधन, उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।

[खंड 85]

शास्ति अधिरोपित करने के लिए समय-सीमा

धारा 275 की उपधारा (1) के खंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश उस दशा में, जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश आयुक्त(अपील) या अपील अधिकरण को अपील का विषय है, उस वित्तीय वर्ष की जिसमें वह कार्यवाही पूर्ण हुई है जिसके अनुक्रम में शास्ति के अधिरोपण की कार्यवाही प्रारंभ की गई है या उस मास के अंत से छह मास की, जिसमें, यथास्थिति, आयुक्त अपील या अपील अधिकरण का आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होता है, इन कालावधियों में से जो भी बाद में समाप्त हो, उस कालावधि की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा।

उक्त खंड में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस दशा में, जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश धारा 246 या धारा 246क के अधीन आयुक्त(अपील) को की गई किसी अपील का विषय है और आयुक्त अपील ऐसी अपील का निपटारा करते हुए, 1 जून, 2003 को या उसके पश्चात् आदेश पारित करता है वहां शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें वह कार्यवाही पूर्ण हुई है, जिसके अनुक्रम में शास्ति के अधिरोपण की कार्यवाही प्रारंभ की गई है, समाप्ति से पूर्व या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें आयुक्त(अपील) का आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होता है, अंत से एक वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, पारित किया जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा(1) के खंड(ख) के उपबंधों के अधीन, शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश उस दशा में, जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश आय-कर अधिनियम की धारा 263 के अधीन पुनरीक्षण का विषय है, उस मास के अंत से छह मास की, जिसमें उक्त धारा 263 के अधीन पुनरीक्षण आदेश पारित किया जाता है, समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा।

उक्त खंड(ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस दशा में, जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश आय-कर अधिनियम की धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण के अधीन है वहां शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश उस मास के अंत से, जिसमें धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण आदेश प्राप्त होता है, छह मास के भीतर पारित किया जाएगा।

उक्त खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उन मामलों में, जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश आय-कर अधिनियम की धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण की विषयवस्तु है वहां शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश उस मास, जिसमें धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण आदेश पारित किया जाता है, की समाप्ति से छह मास के भीतर पारित किया जाएगा।

ये संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होंगे।

[खंड 89]

वार्षिक सूचना विवरणी

विद्यमान प्रक्रिया के अधीन, केन्द्रीय सूचना शाखा(के.सू.शा.) विभिन्न स्रोतों से वित्तीय संव्यवहारों से संबंधित जानकारी एकत्रित करती है। जानकारी ऐसे व्यक्तियों से नियम 114घ के अधीन प्रस्तुत विवरण के माध्यम से भी प्राप्त की जाती है जो उन संव्यवहारों को करते हैं जिनके लिए स्थायी लेखा संख्याक अनिवार्यतः कोट किया जाता है। यह देखा गया है कि के.सू.शा. द्वारा जानकारी एकत्रित करने में अनेक बाधाएं हैं और प्रायः स्रोतों का कवरेज अपूर्ण होता है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे तंत्र का उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ किसी करदाता द्वारा किए गए तात्किक वित्तीय संव्यवहारों के बारे में जानकारी का प्रवाह स्वचालित है ताकि इसका, कर आधार को विस्तृत बनाने तथा मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया जा सके।

एक नई धारा 285खक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई निर्धारिती, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी ऐसे वित्तीय संव्यवहार को, जो विहित किया जाए, किसी पूर्व वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए ऐसे वित्तीय संव्यवहारों की बाबत विहित समय के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा।

[खंड 91]

एल्कोहली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रेप, आदि के व्यापार में कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 206ग के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कतिपय माल के विक्रेताओं से उपधारा 1 के नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर क्रेता से कर संगृहीत करने की अपेक्षा की जाती है। सारणी में मानव उपभोग (भारत में बनी विदेशी शराब से भिन्न) के लिए एल्कोहली लिकर और तेन्दु पत्तों के लिए दस प्रतिशत की दर विनिर्दिष्ट है।

धारा के स्पष्टीकरण में यह उपबंध है कि क्रेता में वहां, क्रेता में, अन्य बातों के साथ-साथ, कोई क्रेता सम्मिलित नहीं है जहां उसके द्वारा माल नीलामी के रूप में अभिप्राप्त नहीं किया जाता है और जहां क्रेता द्वारा विक्रीत किए जाने वाले ऐसे माल की विक्रय कीमत किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियत की जाती है।

विधेयक, अन्य बातों के साथ, उपधारा (1) में सारणी को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है जिससे भारत में बनी विदेशी शराब और स्कूप की दशा में, दस प्रतिशत की दर पर स्रोत पर कर संग्रहण के लिए उपबंध किया जा सके।

विधेयक उक्त स्पष्टीकरण का संशोधन करने का भी प्रस्ताव करता है जिससे क्रेता की दशा में, इस धारा के उपबंधों को वहां लागू किया जा सके जहां उसके द्वारा माल नीलामी के रूप में अभिप्राप्त नहीं किया जाता है और जहां क्रेता द्वारा विक्रीत किए जाने वाले ऐसे माल की विक्रय कीमत किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियत की जाती है।

ये संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होंगे।

[खंड 80]

अनिवासियों के कराधान से संबंधित उपबंध

यदि स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं की जाती है तो अनिवासियों को संदत्त ब्याज, आदि की नामंजूरी के लिए उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 40 के खंड (क) के उपखंड(i) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, ब्याज(1 अप्रैल, 1938 से पूर्व लोक अभिदान के लिए निर्गमित ऋण पर ब्याज नहीं है) स्वामिस्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, या आयकर अधिनियम के अधीन प्रभार्य अन्य राशि जो भारत से बाहर संदेय है, कटौती के रूप में तब अनुज्ञात नहीं है जब उस कर का संदाय नहीं किया गया है या स्रोत पर कर कटौती नहीं की गई है। तथापि, किसी पश्चातवर्ती वर्ष में ऐसी रकम की बाबत कर का संदाय किया जाता है या उसकी कटौती की जाती है तो वह रकम उस पश्चातवर्ती वर्ष, जिसमें कर संदत्त किया जाता है या उसकी कटौती की जाती है, में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाती है।

उक्त धारा के खंड(क) के उपखंड(iii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी ऐसे संदाय की बाबत तब किसी कटौती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो "वेतन शीर्ष के अधीन प्रभार्य है, यदि वह भारत से बाहर संदेय है और यदि अध्याय 17ख के अधीन उस पर कर संदत्त नहीं किया गया था और न ही उससे कर कटौती की गई थी।

विधेयक में उक्त उपखंड(i) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी ब्याज की बाबत (जो 1 अप्रैल, 1938 से पूर्व लोक अभिदान के लिए निर्गमित ऋण पर ब्याज नहीं है) स्वामिस्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, या इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य अन्य राशि, जो भारत से बाहर या भारत में किसी ऐसे अनिवासी को, जो एक कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को संदेय है, जिस पर कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात् अध्याय 17ख के अधीन संदत्त नहीं किया गया है, "कारबार या व्यवसाय के लाभ या अभिलाभ शीर्ष के अधीन आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं की जाएगी। यह भी उपबंध है कि जहां किसी ऐसी राशि की बाबत कर अध्याय 17ख के अनुसार नहीं काटा गया है और धारा 200 की उप-धारा (1) के अधीन विहित समय की समाप्ति से पूर्व संदत्त किया गया है, जो पश्चातवर्ती वर्ष के अन्तर्गत आ सकेगा, वहां ऐसी राशि उस पूर्व वर्ष की आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी जिसमें ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उपगत हुआ था और, जहां ऐसी किसी रकम की बाबत, कर की कटौती अध्याय 17ख के अधीन की गई है या किसी पश्चातवर्ती वर्ष में धारा 200 की उपधारा (1) में विहित समय-सीमा के पश्चात् संदत्त किया गया है, वहां ऐसी राशि को, उस पूर्व वर्ष, जिसमें ऐसे कर की कटौती और संदाय किया गया है, की आय संगणित करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

विधेयक में खंड(क)के उपखंड (iii) को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे किसी संदाय की बाबत कोई कटौती नहीं की जाएगी जो "वेतन शीर्ष के अधीन प्रभार्य है, यदि यह भारत से बाहर या भारत में किसी अनिवासी को संदेय है जिस पर अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात् संदत्त नहीं किया गया है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 16]

अनिवासी की दशा में उपधारणात्मक कराधान के लिए कतिपय उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 44 खख की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन किसी ऐसे अनिवासी करदाता की आय जो खनिज तेलों के पूर्वक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन के संबंध में सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करने के या उक्त कार्य के लिए उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी किराए पर देने के कारबार में लगा हुआ है, करदाता या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को, चाहे भारत में या भारत से बाहर ऐसी सेवाओं तथा सुविधाओं के उपबंधों के मद्दे संदत्त या संदेय रकमों के योग के दस प्रतिशत से कर संगणित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, आय-कर की धारा 44खखख में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी विदेशी कंपनी की आय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित और अंतरराष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन वित्तपोषित अद्योपांत विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सिविल निर्माण या परिनिर्माण या संयंत्र या मशीनरी के परीक्षण या चालू करने के कारबार में लगी हुई है ऐसे निर्धारित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को भारत में या भारत से बाहर उपर्युक्त संयंत्र या मशीनरी के सिविल निर्माण, परिनिर्माण या चालू करने की बाबत संदत्त या संदेय रकम को दस प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा।

विधेयक में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 44खखख के अधीन 10% की दर पर उपधारणात्मक कर ऐसी अद्योपांत विद्युत परियोजनाओं को भी लागू होगी जो किसी अंतरराष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन वित्तपोषित नहीं है।

विधेयक में यह उपबंध भी करने का प्रस्ताव है कि निर्धारिती, यथास्थिति, धारा 44खख में या धारा 44खखख में विनिर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों से कम लाभों और अभिलाभों का दावा कर सकेगा यदि वह धारा 44कक की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को रखता है या बनाए रखता है और अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराता है तथा धारा 44 कख के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और तदुपरि निर्धारण अधिकारी धारा 143 की उपधारा(3)के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने की कार्यवाही करेगा।

इन परिणामिक संशोधनों को धारा 44कक तथा 44कख में किए जाने का प्रस्ताव है जिससे लेखा बहियों तथा दस्तावेजों को रखने तथा उन्हें बनाए रखने की ऐसे निर्धारितियों से अपेक्षा की जाए, जो निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसकी कुल आय की संगणना करने में समर्थ बना सकेंगे और ऐसे व्यक्तियों से उनके लेखाओं की संपरीक्षा कराने की अपेक्षा की जा सकेगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 19, 20, 22 और 23]

अनिवासियों को किए गए संदायों से स्रोत पर कर कटौती के कतिपय उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 193 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह पाने वाले के खाते में ऐसी आय के प्रत्यय के समय स्रोत पर कर कटौती या उसको नकद में, बैंक या ड्राफ्ट जारी करके किसी अन्य ढंग से उसका संदाय करते समय प्रवृत्त दरों पर कर की कटौती करे और, धारा 94झ में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति से जो किसी व्यक्ति को किराए के रूप में किसी आय का संदाय करने का उत्तरदायी है, विनिर्दिष्ट दरों पर स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है इसलिए, इन धाराओं के उपबंध अनिवासियों तथा निवासियों दोनों, को किए गए संदायों के संबंध में लागू होंगे।

धारा 195 में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई व्यक्ति, जो किसी अनिवासी को जो कंपनी नहीं है या विदेशी कंपनी को किसी ब्याज का (जो प्रतिभूतियों पर ब्याज नहीं है) या आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी राशि का (जो "वेतन शीर्ष के अधीन प्रभाय है आय नहीं है) प्रवृत्त दरों पर स्रोत पर कटौती करने का उत्तरदायी है।

विधेयक में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि प्रतिभूतियों तथा किराए पर ब्याज से धारा 193 और धारा 194 झ के अधीन कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से केवल निवासियों को किए गए संदायों की दशा में, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

विधेयक धारा 195 की परिधि का विस्तार करने के लिए है जिससे कि इसमें प्रतिभूतियों के ब्याज के रूप में किए गए संदायों को सम्मिलित किया जा सके।

ये संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होंगे।

[खंड 66, 70 और 73]

स्वामिस्वों आदि के रूप में आय की संगणना से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 44घ सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से विदेशी कंपनियों द्वारा प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व तथा फीसों के रूप में आय संगणित करने के लिए विशेष उपबंध अधिकथित करती है। जहां ऐसी आय 1 अप्रैल, 1976 से पूर्व भारतीय समुत्थान या सरकार के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, प्राप्त की जाती है वहां ऐसी आय के उपार्जन के लिए उपगत व्ययों की बाबत कटौती ऐसी आय की कुल रकम की 20% की अधिकतम सीमा तक सीमित है। यदि ऐसा करार 31 मार्च, 1976 से पूर्व किया जाता है तो धारा 44ख यह उपबंध करती है कि ऐसी आय की संगणना करने में उक्त धाराओं में से किसी धारा के अधीन किसी व्यय या मोक की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी। दूसरे शब्दों में, 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किए गए करारों के अधीन, सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से विदेशी कंपनियों द्वारा प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस के रूप में आय की कुल रकम धारा 115क में विहित दरों पर कर के लिए प्रभाय है।

धारा 115क यह उपबंध करती है कि विदेशी कंपनियों द्वारा प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व/फीस पर 20% की रियायती दर पर केवल तब कर लगाया जाएगा जब ऐसे भारतीय समुत्थान के साथ किए गए करार जिसके अधीन तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसा स्वामिस्व या फीस प्राप्त की जाती है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है या ऐसे विषय से संबंधित है जो औद्योगिक नीति के अन्तर्गत आता है।

विधेयक में धारा 44घ के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यय या मोक की बाबत कोई कटौती वहां अनुज्ञात की जाएगी जहां ऐसा करार 31 मार्च, 2003 को विदेशी कंपनी या सरकार के साथ या भारतीय समुत्थान के साथ किया गया है।

व्यवसाय के नियत स्थान या विभिन्न दोहरे कराधान परिवर्जन करार में समान उपबंधों सहित भारत में किसी स्थायी स्थापन के फलस्वरूप तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस से आय से संबंधित उपबंधों को सुमेलित करने की दृष्टि से, विधेयक में यह उपबंध करने के लिए एक नई धारा 44घक अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि 31 मार्च, 2003 के पश्चात् सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ जो किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी कंपनी द्वारा किए गए करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय की, जहां ऐसा अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोई विदेशी कंपनी भारत में वहां स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारबार करती है या वहां स्थित वृत्ति के निश्चित स्थान से वृत्तिक सेवाएं प्रदान करती हैं और अधिकार, संपत्ति या संविदा, जिसके संबंध में स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस संदत्त की जाती है, यथास्थिति, ऐसा स्थायी स्थापन या वृत्ति के निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से जुड़े हुए हैं, संगणना इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार "कारबार या वृत्ति के लाभ या अभिलाभ" शीर्ष के अधीन की जाएगी। तथापि, यह उपबंध किया गया है कि ऐसे किसी व्यय या मोक की बाबत, जो भारत में ऐसे स्थायी स्थापन के कारबार या वृत्ति के निश्चित स्थान के लिए पूर्णतः या अनन्यतः उपगत नहीं हुआ है, या ऐसी रकमों, यदि कोई हों, की बाबत जो स्थायी स्थापन द्वारा अपने मुख्यालय या अपने कार्यालयों में से किसी कार्यालय को संदत्त (वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति से अन्यथा भिन्न मद्दे) की गई हैं, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

प्रस्तावित धारा में यह भी अपेक्षित है कि प्रत्येक अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी धारा 44कक के उपबंधों के अनुसार, लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेज रखेगी और उन्हें बनाए रखेगी तथा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराएगी और आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट देगी।

धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (ख) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे इसे अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी तथा धारा 44घघ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय से भिन्न तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस के रूप में आय को लागू किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 24, 25 और 44]

आर्थिक विकास को तीव्र करने के उपाय

कॉफी उद्योग के लिए कर प्रोत्साहन

धारा 33 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन यदि कोई निर्धारिती, जो भारत में चाय उगाने और उसका विनिर्माण करने का कारबार करता है, पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे निर्धारिती द्वारा उस बैंक में चाय बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में, किसी विशेष खाते में कोई राशि, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में जमा की जाती है या यदि कोई निर्धारिती केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, चाय बोर्ड द्वारा बनाई गई किसी स्कीम के अनुसरण में, चाय निक्षेप खाते के नाम से ज्ञात कोई खाता खोलता है तो ऐसे निर्धारिती को पूर्ववर्ष के दौरान इस प्रकार जमा की गई राशि की कटौती या भारत में चाय उगाने या विनिर्मित करने के कारबार से लाभ के चालीस प्रतिशत तक, इनमें से जो भी कम हो, अनुज्ञात की जाएगी।

विधेयक में उक्त धारा के अधीन उपलब्ध फायदे को कॉफी उद्योग पर विस्तारित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन के पश्चात्, यदि भारत में चाय उगाने या इसके विनिर्माण का कारबार करने वाले किसी निर्धारिती के पूर्व वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में कुछ निक्षेप हैं, कॉफी बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित स्कीम के अनुसार उस बैंक के साथ ऐसे निर्धारिती द्वारा बनाए रखे गए विशेष खाते में कोई रकम या निर्धारिती केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से कॉफी बोर्ड द्वारा बनाई गई स्कीम के अनुसार निक्षेप खाते के नाम से ज्ञात कोई खाता खोलता है तो ऐसे निर्धारिती को पूर्व वर्ष के दौरान इस प्रकार जमा की गई रकम की कटौती या भारत में कॉफी उगाने या इसके विनिर्माण के कारबार से लाभों का चालीस प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुज्ञात की जाएगी।

यह भी उपबंध किया गया है कि भारत में कॉफी उगाने और उसका विनिर्माण करने के कारबार में लगे किसी निर्धारिती की दशा में, उस दशा में जहां निर्धारिती के प्रत्यय में बकाया राशि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निर्मुक्त की जाती है या निक्षेप खाते से निकाली जाती है और किसी मशीनरी, अतिथि गृहों सहित किसी कार्यालय परिसरों या आवासीय आवास में संस्थापित किए जाने वाले संयंत्र के क्रय के लिए उपयोग की जाती है, कम्प्यूटरों से भिन्न कोई कार्यालय साधित्र; कोई अन्य संयंत्र या मशीनरी, जो आय-कर अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट निम्न प्राथमिकता वाली मदों का उत्पादन करने वाले उपक्रम में संस्थापित की जाती है या संयंत्र तथा मशीनरी की एक ऐसी मद है, जिसकी सम्पूर्ण वास्तविक लागत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाती है (चाहे अवक्षयण या अन्यथा के रूप में हो), इस प्रकार उपयोजित ऐसी सम्पूर्ण रकम उस वर्ष के कराधेय लाभों के रूप में मानी जाएगी और तदनुसार, कर लगाया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 14]

होटल और कतिपय बैंकों के समामेलन के लिए प्रोत्साहन का विस्तार

किसी अन्य कंपनी के साथ होटल की स्वामित्व वाली कंपनी के समामेलन या किसी विनिर्दिष्ट बैंक के साथ बैंककारी कंपनी के समामेलन की दशा में, धारा 72क के अधीन अग्रनीत फायदों तथा संचयित हानियों के मुजरे का तथा अनामेलित अवक्षयणों का विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस धारा का फायदा लेने के लिए समामेलक कंपनी के द्वारा पूरी की जाने वाली अतिरिक्त शर्तों को अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है। शर्तें ये हैं कि समामेलक कंपनी कम से कम तीन वर्ष तक कारबार में लगी रही हो जिसके दौरान संचयित हानि हुई है या अनामेलित अवक्षयण संचयित हुआ है और समामेलन की तारीख को, समामेलन की तारीख के पूर्व दो वर्षों तक इसके द्वारा धारित स्थिर आस्तियों के कम से कम तीन बटा चार बही मूल्य को लगातार प्रतिधारित किया हो। इस धारा के अधीन फायदा लेने के लिए समामेलक कंपनी हेतु लागू शर्तें उपधारा (2) में विद्यमान उपबंधों के अनुरूप हैं। “विनिर्दिष्ट बैंक” से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित कोई समनुषंगी बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित तत्समान नया बैंक अभिप्रेत है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 30]

वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास का कार्य कर रही किसी कंपनी को धारा 80झख के अधीन

कर अवकाश के प्रयोजन के लिए समय-सीमा का विस्तार

धारा 80झख की उपधारा (8क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास का कार्य कर रही किसी कंपनी को ऐसे कारबार से लगातार इस निर्धारण वर्ष की अवधि के लिए लाभों और अभिलाभों पर शत-प्रतिशत कटौती अनुज्ञात है यदि ऐसी कंपनी विहित प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च, 2000 के पश्चात् परन्तु 1 अप्रैल, 2003 से तत्समय अनुमोदित है। इस प्रयोजन के लिए, विहित अधिकारी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार है।

देश में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक और अनुसंधान तथा विकास का कार्य कर रही उन कंपनियों को कटौती अनुज्ञात करने का प्रस्ताव है जिन्हें विहित प्राधिकारी द्वारा 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व अनुमोदित कर दिया गया है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-05 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 34]

अनुमोदित आवास परियोजनाओं के लिए धारा 80झख के अधीन कर अवकाश के प्रयोजनों के लिए समापन से संबंधित

शर्तों को शिथिल करना तथा अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए समय-सीमा बढ़ाना

धारा 80झख की उपधारा (10) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, आवास परियोजनाओं के विकास और विनिर्माण में लगे उपक्रमों को लाभ के शत-प्रतिशत

के बराबर कटौती अनुज्ञात है। यह कटौती स्थानीय निकाय द्वारा 31 मार्च, 2003 से पहले अनुमोदित आवास परियोजनाओं को और जो 31 मार्च, 2003 से पहले पूरी की गई हैं, को अनुज्ञात हैं।

इस उपबंध के अधीन आवास परियोजनाओं को कर अवकाश का फायदा अनुज्ञात करने के उद्देश्य से, स्थानीय प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने की समय-सीमा का विस्तार 31 मार्च, 2005 तक करने का प्रस्ताव किया जाता है। परियोजना पूरी करने की समय-सीमा को हटाने का भी प्रस्ताव किया जाता है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 34]

धारा 80इख के अधीन कर अवकाश के प्रयोजन के लिए कृषि उत्पाद के लिए शीतागार श्रृंखला सुविधा स्थापित करने और उसका प्रचालन करने के लिए समय-सीमा का विस्तार

धारा 80इख की उपधारा (11) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, कृषि उत्पाद के लिए शीतागार श्रृंखला सुविधा स्थापित करने और उसके प्रचालन के कारबार से लाभ व्युत्पन्न करने वाले औद्योगिक उपक्रम को पांच वर्ष के लिए ऐसे लाभों को शतप्रतिशत और पश्चात्वर्ती अगले पांच वर्ष के लिए पच्चीस प्रतिशत (कंपनियों की दशा में तीस प्रतिशत) की कटौती अनुज्ञात है, यदि ऐसा उपक्रम ऐसी सुविधा का प्रचालन 31 मार्च, 2003 से पूर्व आरंभ करता है।

इस सेक्टर को बढ़ावा देने की दृष्टि से, इस उपबंध के प्रयोजन के लिए किसी शीतागार श्रृंखला सुविधा का प्रचालन आरंभ करने के लिए समय-सीमा को 31 मार्च, 2004 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 34]

धारा 80इक के अधीन कर अवकाश के प्रयोजन के लिए दूरसंचार सेवाओं, आदि को उपलब्ध कराने के लिए समय-सीमा का विस्तार

धारा 80इक की उपधारा (4) के खंड (ii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसे किसी उपक्रम को, जिसने 31 मार्च, 2003 से पूर्व, दूरसंचार सेवाएं, चाहे वे आधारीक हों अथवा सेलुलर, जिनके अंतर्गत रेडियो पेजिंग, घरेलू उपग्रह सेवा, ट्रकिंग का नेटवर्क, ब्राडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं भी सम्मिलित हैं, उपलब्ध कराना आरंभ कर दिया है अथवा आरंभ करता है, उस वर्ष से आरंभ करते हुए, जिसमें उपक्रम दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराना आरंभ करता है, किन्हीं लगातार दस निर्धारण वर्षों के लिए कटौती अनुज्ञात की जाएगी। कटौती की रकम पहले पांच वर्ष के लिए लाभ का शत प्रतिशत है और तत्पश्चात् अगले पांच वर्षों के लिए लाभ का तीस प्रतिशत है।

नई दूरसंचार सेवाओं या घरेलू उपग्रह सेवाओं, आदि के प्रचालन के लिए प्रोत्साहन देने के विचार से, उस समय-सीमा को, जिसके पूर्व, पात्र उपक्रम को दूरसंचार सेवाएं, आदि उपलब्ध कराना आरंभ करना है, 31 मार्च, 2004 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-05 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 33]

औद्योगिक पार्क या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के कारबार में “उपयुक्त पूंजी प्रोद्धारण” के उपयोग को अनुज्ञात करना

धारा 88 के विद्यमान उपबंध इस बात के लिए उपबंध करते हैं कि किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की कुल आय पर संदेय कर में से ऐसी कटौती की जाए जो विनिर्दिष्ट स्कीमों में संदत्त या निक्षेप की गई राशियों के नियत प्रतिशत के समतुल्य है। इस कटौती के प्रयोजन के लिए, इस धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र, विनिर्दिष्ट स्कीमों में संदत्त या निक्षेप की गई कुल रकम सत्तर हजार रुपए की सीमा के अधीन है। तथापि, उपधारा (2) के खंड (xvi) और (xvii) के उपबंधों के अनुसार, जहां ऐसी रकमों के अंतर्गत साम्या शेष्यों या डिबेंचरों, उपयुक्त पूंजी प्रोद्धारण का भाग बनने वाली परस्पर निधि के यूनितों में अभिदान भी है, वहां पात्र विनिधान के लिए एक लाख रुपए की उच्चतर सीमा उपलब्ध है।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए “उपयुक्त पूंजी प्रोद्धारण” पद को एक ऐसे प्रोद्धारण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी पब्लिक कंपनी या किसी पब्लिक वित्तीय संस्था द्वारा लाया गया है और प्रोद्धारण के संपूर्ण आगमों को पूर्णतः और अनन्य रूप से या तो किसी अवसंरचना सुविधा के विकास, अनुसंधान और प्रचालन या विद्युत के उत्पादन या उत्पादन और वितरण के लिए या दूरसंचार सेवाएं, चाहे वे आधारीक हों अथवा सेलुलर, उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के माध्यम से निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के विचार से, यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि “उपयुक्त पूंजी प्रोद्धारण” के अंतर्गत भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी पब्लिक कंपनी या पब्लिक वित्तीय संस्था द्वारा लाया गया ऐसा प्रोद्धारण भी है जिसके संपूर्ण आगमों को पूर्णतः और अनन्य रूप से किसी औद्योगिक पार्क या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास, विकास और प्रचालन, या प्रचालन और अनुसंधान के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 41]

पेटेंटों पर स्वामिस्व के रूप में आय से कटौती अनुज्ञात करने के लिए नया उपबंध

अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप अत्यधिक लागत-परक, जोखिम भरे और समय लेने वाले होते हैं और इनमें सफलता दर प्रायः कम होती है। नई खोजें करने के लिए व्यक्ति पहलों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, भारत में रजिस्ट्रीकृत पेटेंटों के उपयोग से होने वाली स्वामिस्व आय के संबंध में कर प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। इस संबंध में, एक नई धारा 80ददख को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जो यह उपबंध करती है कि जहां किसी निवासी व्यक्ति के मामले में, पूर्व वर्ती वर्ष की सकल कुल आय में पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किसी पेटेंट की बाबत स्वामिस्व के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां ऐसी आय से ऐसी संपूर्ण रकम के बराबर या तीन लाख रुपए की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

यह कटौती भारत में निवासी किसी ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध होगी, जो किसी खोज के संबंध में सही और प्रथम खोजकर्ता के रूप में, इसके अंतर्गत पेटेंट का सह-स्वामी भी है, पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। प्रस्तावित कर फायदा उन पेटेंटियों को उपलब्ध नहीं है जो पेटेंट में किसी या सभी अधिकारों के संबंध में समनुदेशिती या बंधकदार हैं।

प्रस्तावित कटौती पेटेंट के कार्यकरण या उपयोग से होने वाली स्वामिस्व आय पर अनुज्ञात की जाएगी और इसमें किसी पेटेंट में सभी या किसी एक अधिकार (जिसके अंतर्गत अनुज्ञात की मंजूरी भी है) के अंतरण के लिए या भारत में उसके कार्यकरण या उपयोग से जुड़ी कोई जानकारी देने के लिए या उपर्युक्त से जुड़ी कोई सेवा देने के लिए प्रतिफल सम्मिलित है। तथापि, केवल वाणिज्यिक उपयोग के लिए पेटेंटीकृत प्रक्रिया या पेटेंटीकृत वस्तु के उपयोग से विनिर्मित उत्पाद के विक्रय के लिए किसी प्रतिफल पर कोई कटौती उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई प्रतिफल जो “पूँजी लाभ” शीर्ष के अधीन प्रभाय है, कटौती के लिए पात्र नहीं होगा। जहां पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन किसी पेटेंट की बाबत कोई अनिवार्य अनुज्ञात जारी की गई है, वहां इस धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र आय, अधिनियम के अधीन नियंत्रक द्वारा परिनिर्धारित किसी अनुज्ञात के निबंधनों और शर्तों के अधीन स्वामिस्व की रकम से अधिक नहीं होगी।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि जहां ऐसी कोई आय, जिसके लिए प्रस्तावित धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, भारत से बाहर किसी स्रोत से उपार्जित की जाती है, वहां केवल उतनी आय को गणना में लिया जाएगा, जिसे निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से, पूर्ववर्ती वर्ष के अंत के छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जिसे सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में भारत में लाया जाता है। इस प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है, जिसे संदायों और विदेशी मुद्रा में व्यौहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत किया गया है।

जहां कोई आय भारत के बाहर स्रोतों से उपार्जित की जाती है, वहां विहित प्ररूप में यह प्रमाणित करते हुए कि कटौती का दावा इस धारा के उपबंध के अनुसार ठीक रूप से किया गया है, एक प्रमाणपत्र अपेक्षित है।

इस धारा के अधीन कटौती का दावा करने के लिए, निर्धारिती को विहित प्ररूप में, विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ यथा विहित विशिष्टियों को उपवर्णित करते हुए, आय कर विवरणी भी होगी।

यह भी प्रस्तावित किया जाता है कि उस मामले में, जहां पेटेंट को तत्पश्चात् नियंत्रक या उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिसंहृत किया जाता है या तत्पश्चात् निर्धारिती के नाम को उस पेटेंट की बाबत पेटेंटी के रूप में पेटेंट रजिस्टर से अपवर्जित किया जाता है, वहां उस अवधि के लिए, जिसकी बाबत पेटेंटी का दावा विधिमाम्य नहीं था, स्वामिस्व से संबंधित कटौती को वापस लिया जाएगा और तदनुसार निर्धारण को परिशोधित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, धारा 155 के अधीन समुचित संशोधन करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा

[खंड 39]

समामेलन या निर्विलयन के मामले में धारा 10क और धारा 10ख के अधीन कटौती अनुज्ञात करना

धारा 10क की उपधारा (9) और धारा 10ख की उपधारा (9) में विद्यमान उपबंधों के अधीन धारा 10क और धारा 10ख के अधीन निर्धारिती को वहां कटौती अनुज्ञात नहीं है जहां उपक्रम में स्वामित्व या फायदाप्रद हित को किसी उपाय द्वारा अंतरित किया जाता है। तथापि, यह शर्त वहां लागू नहीं है, जहां धारा 10क की उपधारा (9क) और धारा 10ख की उपधारा (9क) के कारण किसी कारबार, फर्म या एकमात्र स्वामित्व समुत्थान के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कोई कंपनी उसकी उत्तराधिकारी होती है। उपधारा (9क) के नीचे दिया गया स्पष्टीकरण-1, वहां इस फायदे को जारी रखने की अनुज्ञा देता है, जहां स्वामित्व में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, परिणामी इकाई कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी या कोई उद्यम पूंजी कंपनी है।

निर्यातान्मुख विकास को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि विलयनों और अर्जनों तथा कारबार पुनःसंरचना के अन्य ढंगों में आने वाली रुकावटों को दूर किया जाए। तदनुसार, यह उपबंध करने के लिए धारा 10क में एक नई उपधारा (7क) और धारा 10ख में एक नई उपधारा (7क) को, अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि जहां भारतीय कंपनी के किसी उपक्रम को किसी समामेलन या निर्विलयन की किसी स्कीम के अधीन किसी दूसरी कंपनी को अंतरित किया जाता है, वहां कटौती समामेलित या परिणामी कंपनी को अनुज्ञेय होगी। तथापि, इन धाराओं के अधीन समामेलित कंपनी या निर्विलयित कंपनी को, किसी ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए, जिसमें समामेलन या निर्विलयन किया जाता है, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, धारा 10क और धारा 10ख की उपधारा (9), उपधारा (9क) और तदुपरान्त स्पष्टीकरण अनावश्यक हो जाता है और इन्हें लोप करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि पात्र उपक्रम के स्वामित्व में परिवर्तन पर कर फायदे का नुकसान न हो।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-05 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उपधारा (4) में उपधारा (1क) के प्रति निर्देश और धारा 10क में उपधारा (1) की बजाय “इस धारा” का प्रतिनिर्देश अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं और 1 अप्रैल, 2003 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 7 और 8]

धारा 10क और धारा 10ख के अधीन कटौती के फायदों को बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्नों को तराशने और पालिश करने के कारबार पर विस्तारित करना

धारा 10क में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित किसी ऐसे उपक्रम के, जो वस्तुओं या चीजों या कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विनिर्माण या उत्पादन में लगा है, निर्यात लाभों पर कटौती अनुज्ञात है। यह कटौती किसी उपक्रम को लगातार दस निर्धारण वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञात है। निर्धारण वर्ष 2009-2010 के पश्चात् किसी उपक्रम को कोई कटौती अनुज्ञात नहीं है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित किसी इकाई के लिए कटौती, पांच वर्ष के लिए निर्यात लाभ के शत प्रतिशत के और तत्पश्चात अगले दो वर्ष के लिए निर्यात लाभों के पचास प्रतिशत के समतुल्य है और निर्धारण वर्ष 2009-2010 के पश्चात् भी उपलब्ध है। धारा 10ख के अधीन, कोई

ऐसी शतप्रतिशत निर्यातोनमुख इकाइयां, जो वस्तुओं, चीजों या कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विनिर्माण में लगी हुई है, निर्धारण वर्ष 2009-2010 तक दस लगातार निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए कटौती की पात्र हैं।

बहुमूल्य या कम मूल्य के रत्नों के निर्यात को राजकोषीय समर्थन देने की दृष्टि से, अंत में एक नया स्पष्टीकरण 4 अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्माण या उत्पादन” पद के अंतर्गत बहुमूल्य या कम मूल्य के रत्नों को तराशना और पालिश करना भी सम्मिलित होगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-05 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 7 और 8]

हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में कतिपय उपक्रमों की बाबत दस वर्ष का कर अवकाश अनुज्ञात करने के लिए नए उपबंध

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के विशेष वर्ग के राज्यों को, इन राज्यों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, राजकोषीय और अराजकोषीय रियायतों का एक पैकेज देने की घोषणा की है। इन राज्यों की बाबत केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित इन नए पैकेजों को प्रभावी करने के लिए एक नई धारा 80झक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में नए उपक्रमों या उद्यमों के विद्यमान उपक्रमों या उद्यमों के उनके द्वारा इन राज्यों में तात्त्विक रूप से विस्तार करने पर, लाभों से दस वर्ष के लिए कटौती अनुज्ञात की जाए। इस प्रयोजन के लिए तात्त्विक विस्तार को, उस पूर्ववर्ती वर्ष के पहले दिन, जिसमें तात्त्विक विस्तार आरंभ किया जाता है, संयंत्र और मशीनरी में किये जाने वाले निवेश में संयंत्र और मशीनरी के बही मूल्य (किसी वर्ष में अवक्षयण की गणना करने से पूर्व) के कम से कम 50% की वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है।

ऐसे उपक्रमों और उद्यमों को कटौती उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जो ऐसी किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण अथवा उत्पादन करते हैं, जो तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज नहीं हैं और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई स्कीमों के अनुसरण में, बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित किसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्र या औद्योगिक वृद्धि केन्द्र या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या औद्योगिक क्षेत्र या थीम पार्क में प्रचालन आरंभ करते हैं। चौदहवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उन सेक्टर के उद्योगों को भी, जिन पर बल दिया जा रहा है, भी समान कटौतियां उपलब्ध होंगी। सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के उपक्रमों या उद्योगों के मामले में कटौती की रकम दस निर्धारण वर्षों के लिए उपक्रम या उद्यम के लाभ का शत प्रतिशत होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों के उपक्रमों या उद्यमों के मामले में, कटौती की रकम पांच निर्धारण वर्षों के लिए उपक्रम के लाभ का शत प्रतिशत होगी और तत्पश्चात्, पांच निर्धारण वर्षों के लिए लाभ का पच्चीस प्रतिशत (कंपनियों के लिए पैंतीस प्रतिशत) होगी।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां, यथास्थिति, इस धारा या धारा 80झख या धारा 80ग के अधीन कटौती की अवधि सहित कटौती की कुल अवधि दस निर्धारण वर्ष से अधिक है, वहां किसी उपक्रम या उद्यम को इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि निर्धारित की कुल आय की संगणना में, उपक्रम या उद्यम के लाभों और अभिलाभों के संबंध में, अध्याय 6क में अंतर्विष्ट किसी धारा या धारा 10क या धारा 10ख के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

आय-कर अधिनियम में तेरहवीं और चौदहवीं अनुसूची अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है। उक्त अनुसूचियां, इस धारा के अधीन कटौती का लाभ लेने के प्रयोजन के लिए वस्तुओं और चीजों तथा राज्यों की सूची को विनिर्दिष्ट करेंगी। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 2004 से धारा 80झग के अधीन कटौती के लिए पात्र उपक्रमों या उद्यमों की बाबत धारा 10ग और धारा 80झख की उपधारा (4) के उपबंधों को, अप्रवर्तनीय बनाने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 9, 34, 35 और 92]

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपाय

वर्तमान में व्यय-कर अधिनियम, 1987, किसी ऐसे होटल में, जिसमें वास-सुविधा की किसी इकाई के लिए कक्ष प्रभार प्रतिदिन 3000 रुपए या इससे अधिक है, उपगत प्रभार्य व्यय पर शुल्क उदग्रहण करने का उपबंध करता है।

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और होटल उद्योग पर आपतन कर में कमी करने के लिए यह उपबंध करते हुए व्यय-कर को उत्सादित करने का प्रस्ताव है कि 31 मई, 2003 के पश्चात् किसी होटल में प्रभार्य व्यय पर कोई व्यय-कर प्रभारित नहीं होगा।

यह संशोधन 1 जून, 2003 को प्रभावी होगा और तदनुसार, उस तारीख को या उसके पश्चात् उपगत व्यय के संबंध में लागू होगा।

[खंड 95 और 96]

वित्तीय सेक्टर के लिए प्रोत्साहन

अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों के मामले में डूबंत और शंकास्पद ऋणों की बाबत व्यवस्था के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन

धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (vii) के उपखंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई अनुसूचित बैंक (जो भारत के बाहर निगमित बैंक नहीं है) या कोई गैर-अनुसूचित बैंक, उक्त खंड के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व उसकी सकल कुल आय के साढ़े सात प्रतिशत से अनधिक और डूबंत तथा शंकास्पद ऋणों के लिए की गई व्यवस्था की बाबत ऐसे बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिमों के दस प्रतिशत से अनधिक रकम की कटौती का हकदार है। उपखंड (क) के पहले परंतुक के अधीन, ऐसे बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शंकास्पद आस्तियों या हानि आस्तियों के रूप में उसके द्वारा वर्गीकृत किसी आस्ति के लिए किसी व्यवस्था की बाबत, ऐसी आस्तियों की रकम के पांच प्रतिशत से अनधिक कटौती का दावा करने का विकल्प है। उपखंड (क) का दूसरा परंतुक, पहले परंतुक के अधीन उपलब्ध वैकल्पिक कटौती की राशि को बढ़ाकर, पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन ऐसे बैंक की लेखा बहियों में दर्शित शंकास्पद आस्तियों या हानि आस्तियों की रकम को दस प्रतिशत करता है।

विधेयक उपखंड (क) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उस उपखंड में निर्दिष्ट किसी अनुसूचित बैंक या किसी और गैर-अनुसूचित बैंक को उसके विकल्प पर, पूर्वगामी उपबंधों में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई

गई किसी स्कीम के अनुसरण में प्रतिभूतियों के मोचन से उत्पन्न आय से अनधिक रकम के लिए कटौती अनुज्ञात की जाएगी। यह उपबंध भी किया गया है कि तीसरे परंतुक के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक ऐसी आय “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय की विवरणी में प्रकट नहीं कर दी जाती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-05 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 15]

कतिपय प्रतिभूतियों, लाभांशों, आदि के संबंध में कटौती में वृद्धि करना

धारा 80ठ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसे किसी व्यक्ति को जो कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, जो कतिपय विनिर्दिष्ट निक्षेपों पर ब्याज के रूप में कोई आय या कतिपय परस्पर निधियों से आय या भारतीय कंपनी से लाभांश प्राप्त कर रहा है, नौ हजार रुपए से अनधिक की रकम की कटौती अनुज्ञात है। केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज की बाबत तीन हजार रुपए की अतिरिक्त कटौती उपलब्ध है।

कटौती की उक्त सीमा को नौ हजार रुपए से बढ़ाकर बारह हजार रुपए करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज की बाबत तीन हजार रुपए की विद्यमान कटौती जारी रहेगी। प्रस्तावित उपाय से विशिष्ट रूप से छोटे करदाताओं और सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को फायदा देने के लिए प्रत्याशित है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 36]

स्टाक एक्सचेंजों का अपरस्पीकरण और निगमीकरण

भारत में अधिकांश स्टाक एक्सचेंजों में, उनके सदस्यों के लिए सदस्यता-पत्रों की व्यवस्था है। किसी स्टाक एक्सचेंज के सदस्यता-पत्र में व्यापार करने और स्टाक एक्सचेंज के स्वामित्व में अतिरिक्त हित के दोहरे अधिकारों को निहित किया गया है। स्टाक एक्सचेंज के अपरस्पीकरण की प्रक्रिया में, इन दोहरे अधिकारों का दो पृथक् और स्वतंत्र अधिकारों, अर्थात्:- (i) नए निगमित निकाय में शेयर जारी करके स्टाक एक्सचेंज की आस्तियों के स्वामित्व में भागीदारी करने का अधिकार; (ii) और स्टाक एक्सचेंजों में व्यापार का अधिकार, में पृथक्करण अंतर्वलित होगा। इस प्रकार सदस्यता-पत्र का विनिमय शेयरों और स्टाक एक्सचेंज में व्यापार करने के अधिकार के लिए किया जाएगा।

स्टाक एक्सचेंज के अपरस्पीकरण और निगमीकरण की प्रक्रिया को कर शून्य बनाने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2, धारा 47 और धारा 55 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

धारा 47 का खंड (xiii) यह उपबंध करता है कि जहां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अनुसार भारत में किसी मान्यता-प्राप्त स्टाक एक्सचेंज के निगमीकरण के अनुक्रम में व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टिकों का कोई निकाय किसी कंपनी का उत्तराधिकारी बनता है तो वहां किसी पूंजी आस्ति के किसी अंतरण को पूंजी अभिलाभों के प्रयोजनों के लिए अंतरण के रूप में नहीं समझा जाएगा।

पूर्वोक्त धारा में एक नया खंड (xiii) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जो भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज के किसी सदस्य द्वारा उस स्टाक एक्सचेंज में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 द्वारा अनुमोदित अपरस्पीकरण या निगमीकरण की किसी स्कीम के अनुसार, शेयरों और व्यापार या समाशोधन अधिकारों के अर्जन के लिए, किसी ऐसी पूंजी आस्ति के, जो स्टाक एक्सचेंज के सदस्य द्वारा धारित सदस्यता अधिकार है, अंतरण को पूंजी अभिलाभों के प्रयोजनों के लिए अंतरण के रूप में नहीं माना जाएगा।

धारा 2 के खंड (42क) के स्पष्टीकरण 1 में दो नए उपखंड (ज) और (जक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो धारा 47 के खंड (xiii) में यथानिर्दिष्ट भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के अपरस्पीकरण या निगमीकरण के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित किसी स्टाक एक्सचेंज के साम्या शेयर या व्यापार अथवा समाशोधन अधिकार है, ऐसे अधिकारों को धारण करने की अवधि की संगणना करते समय वह अवधि सम्मिलित की जाएगी, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति ऐसे अपरस्पीकरण या निगमीकरण के ठीक पूर्व मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज का सदस्य था।

धारा 55 की उपधारा (2) के खंड (कख) के विद्यमान उपबंध किसी ऐसी पूंजी आस्ति के संबंध में, जो भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज के किसी शेयरधारक को, निगमीकरण के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन आबंटित साम्या शेयर या शेयर है, “अर्जन की लागत” का अर्थ बताते हैं।

उक्त खंड (कख) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूंजी आस्ति की लागत को, जो किसी ऐसे शेयर धारक द्वारा, जिसे अपरस्पीकरण या निगमीकरण की ऐसी स्कीम के अधीन साम्या शेयर या शेयर आबंटित किए गए हैं, अर्जित किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के व्यापार या समाशोधन अधिकार है, शून्य समझा जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 27, 3 और 28]

सूचीबद्ध साम्या शेयरों के अंतरण पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों को छूट

साम्या शेयरों में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए, धारा 10 में एक नया खंड (36) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसी दीर्घकालिक आस्ति के, जो भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी कंपनी का साम्या शेयर है और जिसे 1 मार्च, 2003 को इसके पश्चात् किन्तु 1 मार्च, 2004 से पूर्व अर्जित किया गया है, अंतरण से उद्भूत होने वाली किसी आय को कर से छूट प्राप्त होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

यूनिट स्कीम, 1964 (यू एस 64) के किसी यूनिट के अंतरण पर पूंजी अभिलाभों की छूट

धारा 10 में एक नया खंड (33) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूंजी आस्ति के, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट यूनिट स्कीम, 1964 की यूनिट है, अंतरण से उद्भूत होने वाली

किसी आय को कर से छूट तब प्राप्त होगी, जब ऐसा अंतरण 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

करदाताओं की सहायता के लिए उपाय

केवल कतिपय मामलों में कर समाशोधन प्रमाणपत्र की अपेक्षा

धारा 230 की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंध, किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से भारत के राज्यक्षेत्र को छोड़ता है, कर समाशोधन प्रमाणपत्र की अपेक्षा के लिए उपबंध करता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अपेक्षा के लिए कतिपय अपवाद विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

धारा 230 की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जाने वाले अपवादों के अधीन रहते हुए, ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत का अधिवासी नहीं है और जो किसी कारबार, वृत्ति या नियोजन के संबंध में भारत में आया है और जिसे भारत में किसी स्रोत से आय व्युत्पन्न हुई है, तब तक भारत के राज्यक्षेत्र को भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह वचनबंध प्रस्तुत नहीं करता। उक्त वचनबंध को उक्त व्यक्ति के नियोजक द्वारा या ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जिससे ऐसा व्यक्ति आय प्राप्त कर रहा है, विहित प्ररूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है और यह वचनबंध इस प्रभाव का होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर नियोजक या उस व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा, जिसके माध्यम से आय प्राप्त की जा रही है और विहित प्राधिकारी, वचनबंध प्राप्त होने पर तुरंत ऐसे व्यक्ति को भारत छोड़ने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देगा। यह और उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि प्रतिस्थापित उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जो भारत का अधिवासी नहीं है, किन्तु विदेशी पर्यटक के रूप में या कारबार, वृत्ति अथवा नियोजन से असंबद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए भारत आता है।

एक नई उपधारा (1क) को और अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अपवादों के अधीन रहते हुए ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो, अपने प्रस्थान के समय भारत का अधिवासी है, आय-कर प्राधिकारी को या विहित किए जाने वाले किसी अन्य प्राधिकारी को धारा 139क के अधीन उसे आर्बिटित स्थायी खाता संख्यांक प्रस्तुत करेगा या ऐसे मामले में, जहां उसे स्थायी खाता संख्यांक आर्बिटित नहीं किया गया है या उसकी कुल आय आय-कर से प्रभार्य नहीं है या जिससे इस अधिनियम के अधीन स्थायी खाता संख्यांक अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र; और अपनी यात्रा का प्रयोजन; और अपनी भारत के बाहर ठहरने की प्राक्कलित अवधि को प्रस्तुत करेगा।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो अपने प्रस्थान के समय भारत का अधिवासी नहीं है और जिसके संबंध में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो किसी आय-कर प्राधिकारी की राय में उससे इस धारा के अधीन एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने को आवश्यक बनाती है, भारत के राज्यक्षेत्र को भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से तब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक कि वह आय-कर प्राधिकारी को यह बताते हुए एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता है कि इस अधिनियम, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 या व्यय-कर अधिनियम, 1987 के अधीन उसकी कोई दायित्व नहीं है या यह कि ऐसे सभी या किसी कर के संदाय के लिए समाधानप्रद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, जो उस व्यक्ति द्वारा संदेय हैं या संदेय हो सकते हैं। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कोई आय कर प्राधिकारी, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए, जो भारत का अधिवासी है, इस धारा के अधीन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना तब तक अनिवार्य होगा, जब तक कि वह उसके लिए कारण अभिलिखित नहीं करता है और मुख्य आय कर आयुक्त का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लेता है।

यह संशोधन 1 जनू, 2003 से प्रभावी होगा।

[खंड 81]

सूचकीय संचार माध्यम पर स्रोत पर कटौती किए गए कर की विवरणियां फाइल करना

धारा 206 की उपधारा (1) के अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन सरकार के हर कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति, हर कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी, हर स्थानीय प्राधिकरण या अन्य लोक निकाय या संगम की दशा में विहित व्यक्ति, हर प्राइवेट नियोजक और कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी हर व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह ऐसी विवरणी, ऐसे प्ररूप में तैयार करके और ऐसी रीति में सत्यापित करके तथा ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जैसा विहित किया जाए, विहित आय-कर अधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर परिदत्त करे या कराए।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह और उपबंध करती है कि स्रोत पर कटौती किए गए कर की विवरणियां, फ्लामी, डिस्कैट, मैग्नेटिक कार्टरिज टेपों, आदि जैसे कम्प्यूटर पठनीय, ऐसे संचार माध्यम पर, जिन्हें बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, फाइल की जा सकेंगी और ऐसी विवरणियों में सूचना को अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में साक्ष्य में स्वीकार किया जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (3) निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरणी की जांच और अधिप्रमाणन की अपेक्षा का उपबंध करती है और यह भी अपेक्षा करती है कि उसके द्वारा आंकड़ों की क्षति पहुंचाए बिना ऐसे कम्प्यूटर संचार माध्यम को अनुलिपि, अंतरण, चित्रांकन या भंडारण करके बनाए रखने में सम्यक् सावधानी बरती जाएगी।

विधेयक यह उपबंध करने के लिए उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है कि आय-कर अधिनियम के अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जो कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति होगा, अपने विकल्प पर, ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, विहित आयकर प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय पर या उससे पूर्व किसी फ्लामी, डिस्कैट, मैग्नेटिक कार्टरिज टेप, सी डी रोम या किसी अन्य कम्प्यूटर संचार माध्यम पर और ऐसी रीति में, जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, परिदत्त करेगा या कराएगा।

उक्त उपधारा में प्रस्तावित परंतुक यह और उपबंध करता है कि प्रत्येक कंपनी की दशा में कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रधान अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर उक्त स्कीम के अधीन कम्प्यूटर संचार माध्यम पर ऐसी विवरणियां परिदत्त करेगा या कराएगा। अतः, कंपनियों के लिए स्रोत पर कर की कटौती की विवरणियों को कम्प्यूटर संचार माध्यम पर फाइल करने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है।

विधेयक यह उपबंध करने के लिए उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने के लिए और प्रस्ताव करता है कि कम्प्यूटर संचार माध्यम पर फाइल की गई किसी विवरणी को इस धारा और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए विवरणी समझा जाएगा और वह उसके अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, भूल को प्रस्तुत करने के और सबूत के बिना भूल की किन्हीं अंतर्वस्तुओं के या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी।

प्रस्तावित नई उपधारा (4) यह प्रस्ताव करती है कि जहां निर्धारण अधिकारी का यह विचार है कि उपधारा (2) के अधीन परिदत्त की गई या परिदत्त कराई गई विवरणी दोषपूर्ण है, वहां वह, यथास्थिति, कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी को दोष के बारे में सूचित कर सकेगा और ऐसी सूचना की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर निर्धारण अधिकारी, अपने विवेकानुसार से अनुज्ञात करे, दोष का परिशोधन करने का उसे अवसर दे सकेगा और यदि, यथास्थिति, पंद्रह दिन की उक्त अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात की गई और अवधि के भीतर दोष को परिशोधित नहीं किया जाता है तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी ऐसी विवरणी को अविधिमाम्य विवरणी माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति विवरणी परिदत्त करने में असफल रहा हो।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा।

[खंड 79]

निर्धारिती द्वारा विवरणी फाइल करने को सुकर बनाने के लिए उपाय

धारा 139 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रत्येक कंपनी, चाहे उसकी आय या हानि हो और कंपनी से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति से, यदि उसकी कुल आय, जिसकी बाबत वह पूर्व वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, नियत तारीख को या उससे पूर्व विहित प्ररूप और रीति में ऐसी आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है।

करदाता को अपनी आय की विवरणी, विभाग का सामना किए बिना कम्प्यूटर पठनीय संचार माध्यम से फाइल करने में समर्थ बनाने के लिए धारा 139 में एक नई उपधारा(1ख) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि यह उपबन्ध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, अपने विकल्प पर, ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, नियत तारीख या उससे पूर्व ऐसे प्ररूप में, जिसके अंतर्गत कोई कम्प्यूटर पठनीय संचार माध्यम भी है, अपनी आय की विवरणी देगा और ऐसी विवरणी को धारा 139(1) के अधीन दी गई विवरणी समझा जाएगा और तदनुसार, अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों को लागू होगा।

[खंड 56]

औद्योगिक विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए उपाय

होटलों और अस्पतालों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन

धारा 10 के खंड (23ठ) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी अवसंरचना, उपक्रम, विद्युत उत्पादन परियोजना, दूरसंचार सेवाओं, आवास परियोजना, आदि में शेरों या दीर्घकालिक वित्त द्वारा किए गए निवेशों से किसी अवसंरचना पूंजी निधि या अवसंरचना पूंजी कंपनी या किसी सहकारी बैंक के लाभार्थों, ब्याज या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में कोई आय उसकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं की जाती है।

सरकार और स्वास्थ्य सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से, होटलों और अस्पतालों के निर्माण की परियोजनाओं को, इस खंड के अधीन पात्र कारबारों की सूची में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए पात्र होने के लिए, कोई होटल परियोजना कम से कम तीन सितारा प्रवर्ग के होटल का संनिर्माण करने के लिए, और कोई अस्पताल परियोजना रोगियों के लिए कम से कम सौ बिस्तर वाले अस्पताल के संनिर्माण के लिए होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) और (ख) में यथा उपबंधित किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या किसी अवसंरचना पूंजी निधि की परिभाषाओं को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे कि उन्हें मुख्य खंड के उपबंधों के साथ-साथ मिलाया लाया जा सके। अवसंरचना पूंजी कंपनी या किसी, अवसंरचना पूंजी निधि को ऐसी कंपनी या निधि के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव है, जिसने इस खंड, अर्थात्, धारा 80झक की उपधारा(4) में निर्दिष्ट कारबार, किसी आवास परियोजना, किसी होटल परियोजना या किसी अस्पताल परियोजना में पूर्णतः लगे हुए किसी उद्यम के शेर अर्जन करने या उसे दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के रूप में विनिधान किए हैं।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

दोहरे कराधान परिवर्जन करार -

परस्पर व्यापार और विनिधान को विकसित करने के लिए करारों को सम्मिलित करने के लिए परिधि का विस्तार

विद्यमान धारा 90 के अधीन, केन्द्रीय सरकार, भारत के बाहर किसी देश की सरकार से ऐसी आय की वाबत राहत के लिए, जिस पर आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर और उस देश में आय-कर दोनों संदत्त किए जा चुके हैं या इस अधिनियम के अधीन और उस देश में प्रवृत्त तत्समान विधि के अधीन आय के दोहरे कराधान, आदि का परिवर्जन करने के लिए करार कर सकती है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए, धारा 90 की उपधारा (1) में एक नया उपखंड (1) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार, भारत से बाहर किसी देश की सरकार से परस्पर आर्थिक संबंधों, व्यापार और विनिधान के संवर्धन के लिए, इस अधिनियम या उस देश में प्रवृत्त तत्समान विधि के अधीन प्रभार्य आय-कर की बाबत राहत अनुदत्त करने के लिए भी करार कर सकती है।

दोहरे करार के परवर्जन संबंधी करारों में प्रयुक्त किए गए कतिपय पदों को न तो करारों में और न ही आय-कर अधिनियम में परिभाषित किया गया है। ऐसे पदों के परस्पर विरोधी निर्वचनों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार को, इन पदों को राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से परिभाषित करने के लिए सशक्त बनाने वाले एक नए उपबन्ध को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों को लागू होंगे।

[खंड 43]

सीमाशुल्क

- टिप्पण :** (क) "सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्गृहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है।
(ख) "प्रतिशुल्क" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।
(ग) "एसएडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3क के अधीन उद्गृहीत विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

सीमाशुल्क के बारे में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

क. मूल्यानुसार सीमाशुल्क की उच्चतम दर में कमी

- सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 30% से कम करके 25% कर दिया गया है। तथापि, कृषि और दुग्ध उत्पादों पर कोई कटौती नहीं की गई है।

ख. अलौह धातुएं:

- (1) आयातकर्ता के वर्ग पर ध्यान न देते हुए, निकिल पर सीमाशुल्क को एकीकृत करके 5% और 15% से 10% कर दिया गया है।
(2) सीसे पर सीमाशुल्क को 25% से कम करके 20% कर दिया गया है।

ग. सूचना प्रौद्योगिकी:

- (1) सूचना प्रौद्योगिकी करार की प्रतिबद्धता के अनुसार, 12 विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटकों पर सीमाशुल्क में कमी की गई है।
(2) विनिर्दिष्ट दूरसंचार पूंजी उपकरणों पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 15% कर दिया गया है।
(3) प्रकाशिक तन्तु केबलों पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 20% कर दिया गया है।
(4) आधारिक टेलीफोनी, सेलुलर मोबाइल टेलीफोनी, आदि के लिए विनिर्दिष्ट दूर संचार उपकरण पर 5% के रियायती सीमाशुल्क को तारीख 31.3.2004 तक जारी रखा गया है।
(5) ई-ग्लास रोविंग के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर सीमाशुल्क 30% से कम करके 15% कर दिया गया है।
(6) राउटर्स मोडमों और स्थिर वायरलेस टर्मिनलों पर सीमाशुल्क 15% से कम करके 10% कर दिया गया है।

घ. विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क:

- शैल फास्फेट और कच्चे या अपरिष्कृत सल्फर को भी विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट दी गई है।

ङ. पेट्रोलियम:

- (1) एलएनजी के पुनः गैसीकरण संयंत्रों पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 5% कर दिया गया है।
(2) मोटर स्प्रिट और उच्च गति डीजल तेल पर सीमाशुल्क के अतिरिक्त सीमाशुल्क को 1 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 1.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।

च. स्वास्थ्य:

- (1) विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियों और जीवन रक्षक उपकरणों पर सीमाशुल्क कम करके 5% कर दिया गया है। इन मदों पर प्रतिशुल्क को उन्हें उत्पाद-शुल्क से छूट देकर शून्य कर दिया गया है।
(2) 88 विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियों और जीवन रक्षक चिकित्सीय उपकरणों, जिन पर इस समय 5% का सीमाशुल्क है, को उत्पाद-शुल्क से छूट देकर शून्य कर दिया गया है।
(3) ग्लुकोमीटर और ग्लुकोमीटर परीक्षण पट्टियों पर सीमाशुल्क 10% से कम करके 5% कर दिया गया है।
(4) रूख नेत्र प्रदाह ब्लैंक पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 5% कर दिया गया है।
(5) विनिर्दिष्ट पशु चिकित्सीय औषधियों पर सीमाशुल्क 15% से कम करके 10% कर दिया गया है।
(6) भेषजी उद्योग द्वारा सन्दर्भ मानकों के आयात पर सीमाशुल्क कम करके 5% कर दिया गया है।
(7) सीएपीडी द्रव प्रणाली के पुर्जों पर सीमाशुल्क कम करके 5% कर दिया गया है।
(8) नैदानिक परीक्षणों के लिए औषधियों और सामग्रियों को सीमाशुल्क से छूट दी गई है।
(9) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के पास रजिस्ट्रीकृत क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्रों द्वारा विनिर्दिष्ट माल का आयात 5% के सीमाशुल्क की रियायती दर पर अनुज्ञात किया गया है।
(10) श्रवण सहायक और उनके पुर्जों पर सीमाशुल्क 15% से कम करके 5% कर दिया गया है। इन्हें विशेष अतिरिक्त शुल्क से भी छूट दी गई है।
(11) निःशक्त व्यक्तियों के लिए क्रचों, पहिएदार कुर्सियों, घुमावदार फ्रेमों और तिपहिया साइकिलों (चाहे उनमें मोटर लगी है अथवा नहीं) पर सीमाशुल्क 5% से कम कर दिया गया है। इन्हें विशेष अतिरिक्त शुल्क और प्रतिशुल्क से भी छूट दी गई है।
(12) पहिएदार कुर्सियों के पुर्जों पर सीमाशुल्क कम करके 5% कर दिया गया है। इन्हें विशेष अतिरिक्त शुल्क और प्रतिशुल्क से भी छूट दी गई है।
(13) ब्रेलरों और कृत्रिम अंगों पर सीमाशुल्क कम करके 5% कर दिया गया है। इन्हें विशेष अतिरिक्त शुल्क से भी छूट दी गई है।

छ. टेक्सटाइल:

- (1) परिधान श्रेणी की कच्ची ऊन पर सीमाशुल्क 15% से कम करके 5% कर दिया गया है।
(2) विनिर्दिष्ट टेक्सटाइल मशीनों और उनके पुर्जों पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 5% कर दिया गया है।
(3) पैराजाइलीन पर सीमाशुल्क 10% से कम करके 5% कर दिया गया है।

ज. अन्तरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं:

- (1) लिकर पर सीमाशुल्क को 182% से घटा कर विश्व व्यापार संगठन की 166% की आबद्ध दर पर लाया गया है।
(2) शुष्कित द्राक्षों और सुगन्धित पदार्थों पर आधारित निर्मितियों पर, जिन्हें एल्कोहलिक सुपेयों के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, सीमाशुल्क विश्व व्यापार संगठन की आबद्ध दर से कम 5 प्रतिशत के निकटतम गुणज तक कम किया गया है।
(3) बैंकाक करार तथा अधिमानी क्षेत्र करार के अधीन, सीमाशुल्क की अधिमानी दरें, उन मालों की बाबत वहां कम की गई हैं जहां शुल्क की एमएफएन दर कम की गई है।

झ. मद्यसारिक सुपेय

*मद्यसारिक सुपेयों पर प्रतिशुल्क निम्नवत् उपांतरित किया गया है :-

लिकर		शराब और बीयर	
सीआईएफ कीमत प्रति केस (9 लीटर)	प्रतिशुल्क की दर	सीआईएफ कीमत प्रति केस (9 लीटर)	प्रतिशुल्क की दर
1. 10 \$ से अनधिक	150%	1 25 \$ से अनधिक	75%
2. 10 \$ से अधिक किन्तु 20 \$ से अनधिक	100% (न्यूनतम 40 \$)	2 25 \$ से अधिक किन्तु 40 \$ से अनधिक	50% (न्यूनतम 37 \$)
3. 20 \$ से अधिक किन्तु 40 \$ से अनधिक	50% (न्यूनतम 53.2 \$)	3 उपरोक्त 40 \$	20% (न्यूनतम 40 \$)
4. उपरोक्त 40 \$	25% (न्यूनतम 53.2 \$)		

ञ. जैव-प्रौद्योगिकी:

- 1) अनुसंधान और विकास के लिए विनिर्दिष्ट औषधीय और जैव-प्रौद्योगिकी उपस्कर को उनके वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से रजिस्ट्रीकृत होने के अद्यधीन छूट दी गई है। 20 करोड़ रुपए के न्यूनतम निर्यात आवर्त की शर्त, और निर्यात मूल्य के केवल 1% तक छूट की उपलब्धता पर निर्बंधन को हटा दिया गया है।
- 2) किसी ऐसे विनिर्माता, जिसके पास रजिस्ट्रीकृत अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है, द्वारा आयातित विनिर्दिष्ट औषधीय तथा जैव-प्रौद्योगिकी उपस्कर पर सीमाशुल्क को उसके निर्यात आवर्त के 25% तक छूट दी गई है।

ट. यात्री सामान:

- यात्री सामान पर सीमाशुल्क 60% से घटाकर 50% कर दिया गया है।

ठ. विद्युत:

- 1) विनिर्दिष्ट मेगा विद्युत परियोजनाओं पर सीमाशुल्क छूट को सभी मेगा विद्युत परियोजनाओं पर विस्तारित किया गया है।
- 2) उच्च वोल्टता विद्युत परेषण के लिए विनिर्दिष्ट उपस्करों पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 5% कर दिया गया है।

ड. चाय:

- 1) संघ के प्रयोजनों के लिए चाय और चाय अपशिष्ट पर 1 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से अतिरिक्त सीमाशुल्क को उद्गृहीत किया गया है।

ढ. निर्यात संवर्धन उपाय:

- 1) क्रमशः संख्यांकित स्वर्ण ईंटों, जिनका भार मीट्रिक इकाइयों में उपदर्शित किया गया है और स्वर्ण सिक्कों पर सीमाशुल्क प्रति 10 ग्राम 250 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दिया गया है। 100 रुपए की घटी दर तोला छड़ों पर लागू नहीं होगी।
- 2) कर्तित तथा पालिशकृत हीरकों/रत्नों पर सीमाशुल्क 15% से कम करके 5% कर दिया गया है।
- 3) कच्चे रंजित रत्नों और अर्द्ध-प्रसंस्कृत आधे कटे या टूटे हीरकों को सीमाशुल्क से छूट दी गई है।
- 4) प्रशीतित ट्रकों पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 20% कर दिया गया है।

ण. परिवहन:

- 1) सीकेडी प्रकार के सिवाय सभी अन्य प्रकारों की कारों पर, जिनमें पूर्णतः निर्मित यूनिट भी है, 60% की दर से सीमाशुल्क लगेगा। पुरानी कारों पर 105% की दर से सीमाशुल्क जारी रहेगा।
- 2) लोको अनुरूपकों पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 5% कर दिया गया है।
- 3) डीजल लोकोमोटिव के लिए पुर्जों, डीसी लोको से एसी लोको में संपरिवर्तन के लिए पुर्जों पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 15% कर दिया गया है।

त. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि:

- उपरोक्त निधि की पुनःपूर्ति के लिए, आयातित अपरिष्कृत तेल पर 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन का शुल्क अधिरोपित किया गया है। पालिएस्टर फिलामेंट सूत, दोपहिया मोटर यानों और बहुउपयोगिता वाले यानों पर 1% शुल्क अधिरोपित किया गया है। यह शुल्क 1 वर्ष (29.2.2004 तक) के लिए विधिमान्य होगा।

थ. प्रकीर्ण:**अधिसूचनाओं/नियमों के माध्यम से परिवर्तन**

- 1) वायु प्रचालित विद्युत जनरेटरों के चार विनिर्दिष्ट पुर्जों पर 5% का रियायती सीमाशुल्क वापस ले लिया गया है।
- 2) शंख सीपों पर सीमाशुल्क 30% से कम करके 5% कर दिया गया है।
- 3) लाक्षा बीजों पर सीमाशुल्क 30% से कम करके 5% कर दिया गया है।
- 4) ओलियो देवदार रेजिन पर सीमाशुल्क 15% से कम करके 10% कर दिया गया है।
- 5) गुटिका में झींगी लारवा खाद्य और मत्स्य खाद्य पर सीमाशुल्क 30% से कम करके 5% कर दिया गया है।
- 6) आर्टिमिया कृमिकोष, जिसमें आद्र आर्टिमिया भी है, पर सीमाशुल्क 15% से कम करके 5% कर दिया गया है।

- 7) सिलिकान शिलिकाएं उत्पादित करने के लिए सिलिकान वेफरों तथा उच्च विशुद्धता वाले ग्रेफाइट सहित/ग्रेफाइट पैक को विभाजित करने के लिए विनिर्दिष्ट श्रेणी के सौर संग्राहियों/हीटर्स, इस्पात तारों में उपयोग के लिए उच्च पारगम्यता वाली कांच की प्लेटों पर सीमाशुल्क कम करके 5% कर दिया गया है।
- 8) सेकरोपोलिस्परा स्पिनोसा पर आधारित जैव-नाशकजीवमर पर सीमाशुल्क 30% से कम करके 5% कर दिया गया है।
- 9) मेटकाक पर सीमाशुल्क को 10% की दर पर सुव्यवस्थित किया गया है। पहले यह सीमाशुल्क इस्पात/लौह मिश्र धातु बनाने में उपयोग के लिए 5% और अन्य के लिए 10% था।
- 10) रोकड़ वितरकों पर सीमाशुल्क 30% से कम करके 15% कर दिया गया है।
- 11) कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 20% कर दिया गया है।
- 12) वास्तविक वाणिज्यिक नमूनों और उपहारों पर सीमाशुल्क के लिए छूट संबंधी मूल्य सीमा 5000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है।
- 13) कास्टिक सोडा उद्योग में प्रयोग होने वाले एक या द्वि-ध्रुवीय झिल्ली इलेक्ट्रोलाइजर्स, उनके भागों, झिल्ली प्रकोष्ठ पर सीमाशुल्क 15% से कम करके 5% कर दिया गया है।
- 14) पारदर्शिका के रूप में आयातित पुस्तकों, मैनुअलों को सीमाशुल्क से छूट दी गई है।
- 15) सिनेमेटोग्राफिक फिल्मों (डेवेलप की गई) पर सीमाशुल्क का निर्धारण, प्रिन्ट की बाबत उपगत प्रिन्ट, मालभाड़ा और बीमा प्रभारों की लागत के आधार पर करने का प्रस्ताव है।
- 16) हवाई यात्री रज्जू मार्ग परियोजनाओं को परियोजना आयात स्कीम के अधीन अधिसूचित किया गया है और इन पर कुल सीमाशुल्क 5% है।

वित्त विधेयक के माध्यम से परिवर्तन:

- 1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि सीमाशुल्क पतनों/विमान पतनों/अन्तरदेशीय आधान डिपो, आदि को नियत करने के लिए केंद्रीय सरकार की शक्तियों को बोर्ड को प्रत्यायोजित किया जा सके।
- 2) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 15 (1)(ख) में संशोधन किया जा रहा है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि भांडागार में रखे गए मालों की देशी निकासी पर शुल्क की दर का अवधारण करने की सुसंगत तारीख वह होगी, जिस तारीख को देशी उपभोग के लिए एक्स-बांड प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
- 3) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25(2) का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों में केंद्रीय सरकार की तदर्थ छूट आदेश जारी करने की शक्तियों को प्रत्यावर्तित किया जा सके।
- 4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 को यह उपबंध करने के लिए संशोधित किया जा रहा है कि यदि उदग्रहणीय शुल्क की कुल रकम 100 रु. या उससे कम है तो शुल्क का संग्रहण नहीं किया जाएगा।
- 5) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 27(2) को किसी निर्यातकर्ता को, अनुचित समृद्धि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शुल्क और ब्याज के प्रतिदाय का दावा करने में समर्थ बनाने के लिए संशोधित किया जा रहा है।
- 6) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा कारण बताओ सूचना के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा को समाप्त किया जा सके।
- 7) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ड और धारा 28ज का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अधीन सभी अधिसूचनाओं और सीमाशुल्क के रूप में प्रभार्य किसी अन्य शुल्क की बाबत अग्रिम विनिर्णय भी प्राप्त किया जा सकेगा। किसी विदेशी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी भारतीय कंपनी को अग्रिम विनिर्णय का फायदा उठाने की अनुज्ञा देने का भी प्रस्ताव किया जाता है।
- 8) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 30 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि जलयान या वायुयान के पहुंचने से पूर्व और किसी यान के पहुंचने के 12 घंटे के भीतर आयात सूची देने का और यदि विलंब के लिए पर्याप्त कारण न हो तो 50,000 रु. से अनधिक की शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध किया जा सके।
- 9) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 61(1) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों में उपयोग के लिए आशयित मालों (पूंजी मालों से भिन्न) की बाबत भांडागार में रखने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किया जाएगा।
- 10) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 61(2) का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि भांडागारित मालों के लिए ब्याज मुक्त अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन किया जा सके।
- 11) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 68 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि किसी भांडागारित माल के स्वामी को, देशी उपभोग के लिए इन मालों की निकासी के लिए कोई आदेश किए जाने से पूर्व किसी समय किराया, आदि के संदाय पर माल पर अपने हक का त्याग करने में समर्थ बनाया जा सके। आयातकर्ता, अपने हक का ऐसा त्याग करने पर ऐसे माल पर शुल्क का संदाय करने का दायी नहीं होगा।
- 12) इस समय, आयातकर्ताओं को ब्याज केवल तभी संदेय है जब अनुज्ञेय शुल्क वापसी का संदाय, वापसी का दावा फाइल करने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75क(1) का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि दो मास की इस अवधि को घटाकर एक मास किया जा सके।
- 13) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 113 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि शुल्क वापसी और यात्री सामान के मामलों में गलत घोषणा के मद्दे निर्यात मालों के अधिहरण के लिए विद्यमान उपबंध को अन्य मामलों पर भी विस्तारित किया जा सके। यह ऐसे निर्यात मालों के अधिहरण के लिए भी उपबंध करता है, जिनकी बाबत मूल्य अन्य तात्विक विशिष्टियों के संदर्भ में कोई गलत घोषणा की गई है।
- 14) धारा 114 का, प्रतिषिद्ध और अप्रतिषिद्ध दोनों प्रकार के मालों को अंतर्वलित करने वाले निर्यात संबंधी अपराधों के लिए शास्ति अधिरोपित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।
- 15) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 122 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि सीमाशुल्क सहायक आयुक्त/उपायुक्त की न्यायनिर्णयन की शक्तियों को, 50,000 रुपए की विद्यमान सीमा से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा सके। इसी प्रकार सीमाशुल्क सहायक आयुक्त से निम्न पंक्ति के किसी सीमाशुल्क राजपत्रित अधिकारी की न्यायनिर्णयन की शक्तियों को 2500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का प्रस्ताव है।

- 16) सीमाशुल्क अधिनियम का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के तारीख 1 जुलाई, 2003 को या उसके पश्चात् पारित आदेशों के विरुद्ध फाइल की जाने वाली अपीलों की बाबत, उच्च न्यायालय, मामले को अधिकरण को निर्दिष्ट करने की बजाय विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा।
- 17) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि मूल्य की गलत घोषणा और कपटपूर्ण निर्यात के मामलों में अभियोजन का उपबंध किया जा सके।
- 18) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 136 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि ऐसे अधिकारियों के अभियोजन के लिए उपबंध किया जा सके जो ऐसे किसी कार्य या बात को मौनानुमति देते हैं जिसके द्वारा कोई कपटपूर्ण निर्यात किया जाता है।
- 19) जहां अनुज्ञप्तिधारक गुजरात में भूकम्प से प्रभावित हुए थे वहां विनिर्दिष्ट निर्यात संवर्धन पूंजी माल अनुज्ञप्ति के निबंधनों में निर्यात बाध्यताओं को पूरी करने की समयावधि को 31.3.2004 तक बढ़ाया जा रहा है।
- 20) निर्यात संवर्धन स्कीमों के संबंध में, विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं की बाबत ब्याज दर को भूतलक्षी प्रभाव से कम करके 15% किया जा रहा है।
- 21) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 का, तारीख 1.3.2002 से यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि अतिरिक्त सीमाशुल्क की संगणना के लिए, केवल आयातित माल का मूल्य, जिसके अंतर्गत उतराई प्रभार और उक्त माल पर प्रभार्य सीमाशुल्क भी है, गणना में लिया जाएगा। प्रतिपाटन शुल्क, सुरक्षा शुल्क, आदि जैसे अन्य शुल्कों को गणना में नहीं लिया जाएगा।
- 22) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3क का, तारीख 1.3.2002 से यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क की संगणना के लिए, केवल आयातित माल का मूल्य, जिसके अंतर्गत उतराई प्रभार, उक्त माल पर प्रभार्य सीमाशुल्क और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रभार्य अतिरिक्त सीमाशुल्क भी है, गणना में लिया जाएगा। प्रतिपाटन शुल्क, सुरक्षा शुल्क, आदि जैसे अन्य शुल्कों को गणना में नहीं लिया जाएगा।

उत्पाद-शुल्क

टिप्पण: वि.उ.शु. से विशेष उत्पाद-शुल्क अभिप्रेत है।

अ.उ.शु. (वि.म.मा.) से अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम के अधीन उदगृहीत अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अभिप्रेत है।
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के संबंध में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

क. मूल्यानुसार दर संरचना:

- (I) 8%, 16% और 24% की त्रिस्तरीय शुल्क संरचना (पेट्रोलियम उत्पाद, तम्बाकू- उत्पाद, पान मसाला, टेक्सटाइल और विनिर्दिष्ट-दर के उत्पादों के सिवाय)
- (II) निम्नलिखित मदों पर वि.उ.शु. 16% से कम करके 8% किया गया है;
 - 1) टायरों
 - 2) वातित मृदु पेय और उनके सांद्र
 - 3) पालिएस्टर फिलामेंट सूत
 - 4) वातानुकूलक और संघटक
 - 5) मोटर कारें

ख. सहायता उपाय:

(I) निम्नलिखित मदों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है:-

- 1) बाइसिकल और उसके पुर्जे
- 2) खिलौने
- 3) मोजाइक टाइलें
- 4) धातुओं के बर्तन और रसोई घर की वस्तुएं
- 5) छुरियां, चम्मचे और रसोई के बर्तन/खाने पीने के बर्तन की वैसी ही मदें
- 6) ब्रांडीकृत शल्यचिकित्सीय पट्टियां
- 7) रिकार्डेड श्रव्य सी.डी
- 8) काष्ठ की वस्तुएं
- 9) नकली जरी
- 10) आसंजक टेप
- 11) तापदीप्त गैस आवरण में उपयोग के लिए बुने हुए नलिकाकार गैस आवरण फ़ैब्रिक
- 12) छतरियां
- 13) टहलने की छड़ियां, घोड़े के चाबुक और वैसे ही वस्तुएं
- 14) अभ्रक की वस्तुएं
- 15) किरोसिन दाब लालटेनें
- 16) दोष निवारक ऐनक के लिए शीशे, फ़िल्ट बटन
- 17) रजिस्टर, लेखा बहियां आदि
- 18) लौह और इस्पात के विनिर्माण में उत्पन्न धातुमल।
- 19) ताम्र/जिक के प्रगलन के अनुक्रम में उत्पन्न होने वाला स्वर्ण

(II) निम्नलिखित मदों पर उत्पाद-शुल्क को 16% से कम करके पूर्ण केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय सहित 8% किया गया है:

- 1) प्रेशर कूकर
- 2) बिस्कुट
- 3) क्वथनित मिष्ठान, चीनी कन्फेक्शनरी (सफेद चाकलेट को छोड़कर)
- 4) रूक्ष नेत्रप्रदाह ब्लैंक
- 5) दंत कुर्सी
- 6) इलैक्ट्रिक यान
- 7) सुगंधित सुपारी
- 8) निकोटिन पोलाक्रिलेक्स गम

(III) निम्नलिखित मदों पर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के बिना 4% या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय सहित 16% के वर्तमान शुल्क को केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर सहित 8% पर सुव्यवस्थित किया गया है:

- 1) कम भार के कंकरीट भवन ब्लाक। वातित और सेलुलर कम भार के कंकरीट ब्लाकों और स्लेबों पर 8% की दर पर विस्तारित किया गया है।
- 2) प्रयोगशाला के कांच के सामान
- 3) सिलार्ड मशीनों के लिए क्रैकशाफ्ट
- 4) प्रहस्तन जल के लिए विद्युत चालन पम्प
- 5) चिकित्सा उपस्कर
- 6) पूर्व संविरचित निर्माण

ग. शुल्क का अधिरोपण:

निम्नलिखित मदों पर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय सहित 8% का उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया गया है:

- 1) परिष्कृत खाद्य तेल (खुदरा विक्रय के लिए ब्रांडीकृत और पैक किया हुआ)*
 - 2) वनस्पति, मारगरीन और अन्य वैसी ही खाद्य निर्मितियां (खुदरा विक्रय के लिए ब्रांडीकृत और पैक किए हुए)*
 - 3) आड़ी चपटी ट्यूबिंग
 - 4) विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए रसायन अभिकर्षक
 - 5) कृषि अपशिष्ट से बनाए गए काष्ठ मुक्त कण या फाइबर बोर्ड
 - 6) कम से कम 75% अघोषित कच्ची सामग्रियों से विनिर्मित कागज और कागज बोर्ड
 - 7) श्वेत-श्याम टेलीविज़नों के लिए सस्ता मुद्रित सर्किट बोर्ड
- * इन उत्पादों के संबंध में, आधानों पर लेबल लगाने या पुनः लेबल लगाने और माल को विपण्य बनाने के लिए पुनः पैक करना या कोई उपचार करने को विनिर्माण करने की प्रक्रिया घोषित किया गया है।

घ. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (रा.आ.आ.शु.):

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि की पुनःपूर्ति के लिए निम्नलिखित मदों पर शुल्क अधिरोपित किया गया है:

- 1) पालिएस्टर फिलामेंट सूत, मोटरकारों, बहु उपयोगिता यानों और दोपहियों पर 1%
- 2) देशी कच्चे तेल पर 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन। तथापि, उत्पाद शेरिंग संविदा के अधीन या तो खोजे गए क्षेत्रों में या नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन प्रस्तावित खोज ब्लॉकों में उत्पादित कच्चे तेल को ऐसे उद्ग्रहण से छूट दी जाएगी। यह उद्ग्रहण एक वर्ष (29-2-2004 तक) के लिए विधिमान्य होगा।

ङ. अ.उ.शु. (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957:

1.5% के कुल कर राजस्व को अस्वीकर किए बिना, 4% से अनधिक दर पर चीनी, टेक्सटाइल और तम्बाकू उत्पादों पर बिक्री कर उद्ग्रहण करने में राज्यों को समर्थ बनाने के लिए उपर्युक्त अधिनियम में समुचित संशोधन किए गए हैं। यह बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा।

च. पेट्रोलियम उत्पाद:

- 1) मोटर स्प्रीट और उच्च गति डीजल तेल (सड़क विकास के लिए) पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क एक रुपया प्रति लीटर से बढ़ाकर 1.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है।
- 2) हल्के डीजल तेल (ह.डी.ते.) पर उत्पाद-शुल्क 1.50 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाया गया है।
- 3) इथानोल मादित पेट्रोल के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित मोटर स्प्रीट पर अधिभार से तीस पैसे प्रति लीटर की रियायत को एक और वर्ष, अर्थात् 29-2-2004 तक जारी रखा गया है।
- 4) हल्के डीजल तेल पर संदत्त शुल्क की बाबत केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं होगा।

छ. चाय:

चाय को 1 रुपए प्रति किलोग्राम के उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है और इसके स्थान पर, चाय बागान सेक्टर के विकास के लिए अधिभार के रूप में 1 रुपए प्रति किलो ग्राम का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आरंभ किया गया है।

ज. स्वास्थ्य:

- 1) निम्नलिखित मदों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है:
 - क) विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियां और जीवन रक्षक उपस्कर
 - ख) ग्लूकोमीटर और ग्लूकोमीटर परीक्षण पट्टियां
 - ग) साइक्लोसपोरिन
 - घ) सीएपीडी द्रव प्रणाली, उसके उपसाधन और पुर्जे
 - ङ) नैदानिक परीक्षणों के लिए औषधियां और सामग्रियां
 - च) पहिएदार कुर्सी के पुर्जे
2. कारखाने के उत्पादन में बंधित रूप से प्रयुक्त मध्यवर्ती औषधि को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

झ. लघु उद्योग छूट स्कीम:

- 1) 1.4.2003 से लघु उद्योग छूट के अधीन पात्रता के लिए 3 करोड़ रुपए की पात्रता सीमा को संगणित करने हेतु छूट प्राप्त माल के मूल्य को (निर्यात को छोड़कर) सम्मिलित किया जाएगा।
2. निम्नलिखित मदों पर 1.4.2003 से लघु उद्योग छूट वापस ले ली गई है:
 - (क) चीनी मिट्टी की टाइलों। कारखाने से बाहर शुल्क संदत्त टाइलों से बनाई गई मुद्रित चीनी मिट्टी की टाइलों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।
 - (ख) स्टेनलैस स्टील पट्टियां/पट्टे।

ञ. सीमेंट:

- 1) सीमेंट पर उत्पाद-शुल्क 350 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया गया है।
- 2) सीमेंट क्लिंकर पर उत्पाद-शुल्क 200 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया गया है।
- 3) छोटे सीमेंट संयंत्रों द्वारा बनाए गए सीमेंट पर उत्पाद-शुल्क 200 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 250 प्रति मीट्रिक टन किया गया है।
- 4) स्थूल में निकासी किए गए सीमेंट पर उत्पाद-शुल्क 332 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 382 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया गया है।

ट. औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां:

- 1) 1 मार्च, 2003 उस तारीख के रूप में अधिसूचित की गई है जिस तारीख को वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा किए गए, औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 के संशोधन प्रभावी होंगे।
- 2) ऐल्कोहल या स्वापक पदार्थ से युक्त प्रसाधन निर्मितियों पर शुल्क 50% से कम करके 16% किया गया है।

- 3) ऐल्कोहल या स्वापक पदार्थों से युक्त औषधियों पर शुल्क 20% या विनिर्दिष्ट दर से कम करके 16% दर पर लाया गया है।
- 4) स्व-जनित ऐल्कोहल से युक्त और जो ऐल्कोहालिक सुपेय के रूप में उपयोग किये जाने के लिए समर्थ नहीं हैं, ऐसी आयुर्वेदिक/यूनानी/स्वदेशी औषधियों पर पूर्ण छूट प्रतिधारित की गई है।
- 5) ऐल्कोहल या स्वापक पदार्थों से युक्त प्रसाधन निर्मितियां खुदरा विक्रय कीमत पर 40% के उपशमन सहित, खुदरा विक्रय कीमत आधार पर निर्धारित की जाएगी।

ठ. दियासलाई:

- 1) मशीनीकृत या अमशीनीकृत सेक्टर में विनिर्मित दियासलाईयों पर विनिर्दिष्ट शुल्क दर को केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के बिना 8% के एक समान उत्पाद-शुल्क द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
- 2) अमशीनीकृत सेक्टर द्वारा बनाई गई दियासलाईयों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।
- 3) उत्पाद स्टांप के माध्यम से दियासलाईयों पर शुल्क के संदाय के लिए विशेष प्रक्रिया को मूल्यानुसार उद्ग्रहण को आरंभ किए जाने के परिणामस्वरूप समाप्त किया जा रहा है।

ड. खुदरा विक्रय कीमत आधारित निर्धारण:

I. निम्नलिखित मदों को खुदरा विक्रय कीमत आधारित निर्धारण स्कीम में सम्मिलित किया गया है:

1. निर्धारणीय मूल्य निकालने के लिए खुदरा विक्रय कीमत के 35% के उपशमन सहित नाशकजीवमर और कीटनाशी।
2. निर्धारणीय मूल्य निकालने के लिए खुदरा विक्रय कीमत के 50% के उपशमन सहित चबाने वाला तम्बाकू और चबाने वाले तम्बाकू से युक्त निर्मितियां

II. स्वच्छता सामान और चीनी मिट्टी के फिक्सचरों को खुदरा विक्रय कीमत आधारित उद्ग्रहण की परिधि से अपवर्जित किया गया है।

III. उत्पाद-शुल्क में कमी के परिणामस्वरूप, उपशमन की दरों में परिवर्तन

- 1) वातित जल पर उपशमन को खुदरा विक्रय कीमत के 50% से घटाकर 45% किया गया है।
- 2) वातानुकूलक पर उपशमन को खुदरा विक्रय कीमत के 40% से घटाकर 35% किया गया है।
- 3) बिस्कुटों पर उपशमन को खुदरा विक्रय कीमत के 40% से घटाकर 35% किया गया है।
- 4) क्वथनित मिष्ठान, चीनी कन्फेक्शनरी (सफेद चाकलेट को छोड़कर) पर उपशमन को खुदरा विक्रय कीमत के 40% से घटाकर 35% किया गया है।
- 5) सुगंधित सुपारी (सुपारी के रूप में ज्ञात सुपारी चूर्ण) पर उपशमन को खुदरा विक्रय कीमत के 35% से घटाकर 30% किया गया है।
- 6) प्रेशरकुकरों पर उपशमन 35% से कम करके 30% कर दिया गया है।

IV. खुदरा विक्रय मूल्य की परिभाषा में परिवर्तन

- 1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4क के स्पष्टीकरण 1 में यथावर्णित खुदरा विक्रय मूल्य की परिभाषा को इस प्रकार उपांतरित किया जा रहा है जिससे कि इसका विस्तार उन मामलों में भी किया जा सके जहां अधिशासी विधि ऐसे माल पर कर रहित खुदरा विक्रय कीमत की घोषणा करने की अनुज्ञा देती है।
- 2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की धारा 2(च) का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि इस बात का उपबंध किया जा सके कि वर्तमान में धारा 4क के उपबंधों के अधीन आने वाली वस्तुओं की पैकिंग, पुनः पैकिंग, माल के लेबलीकरण या पुनः लेबलीकरण, उन्हें इकाई आधारों में डालने की कोई प्रक्रिया, या तत्पश्चात मालों पर कोई खुदरा मूल्य की घोषणा या उसमें किसी परिवर्तन को विनिर्माण माना जाएगा।
- 3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की धारा 4क के उपबंधों का संशोधन किया जा रहा है ताकि-
 - क) निम्न खुदरा विक्रय मूल्य पर शुल्क के संदाय पर माल की निकासी के पश्चात उच्चतर खुदरा मूल्य नियत करने के मामलों में यह उपबंध किया जा सके कि उत्पाद-शुल्क इस प्रकार बाद में नियत किए गए ऐसे उच्चतर खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर उद्ग्रहणीय होगा।
 - ख) सरकार को ऐसे मालों के, जिन पर खुदरा विक्रय मूल्य घोषित नहीं किया गया है या घोषित किए गए खुदरा मूल्य में छेड़छाड़ की गई है, उसे मिटाया गया है या परिवर्तित किया गया है, खुदरा विक्रय मूल्य अभिनिश्चित करने में समक्ष बनाने के लिए शक्तियां ग्रहण करना और
 - ग) ऐसे अभिनिश्चय के लिए नियम बनाने के लिए शक्तियां ग्रहण करना।

द. सेवा कर:

- 1) सेवा कर की दर को 5% से बढ़ाकर 8% किया जा रहा है।
- 2) निम्नलिखित सेवाओं पर 8% की दर से सेवा कर अधिरोपित किया जा रहा है (अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होने वाला)
 - क) वाणिज्यिक व्यावसायिक संस्थाएं, कोचिंग सेंटर और निजी ट्यूटोरियल।
 - ख) तकनीकी जांच और विश्लेषण (स्वास्थ्य और नैदानिक जांच शामिल नहीं है), तकनीकी जांच और प्रमाणन।
 - ग) अनुस्क्षण और मरम्मत सेवाएं, अर्थात् वार्षिक अनुस्क्षण संविदाएं (एएमसी) और प्राधिकृत अनुस्क्षण और मरम्मत सेवाएं।
 - घ) कमीशनिंग और प्रतिष्ठापन सेवाएं।
 - ङ) उपभोक्ता देखरेख सेवाओं सहित कारखार संवर्धन और समर्थन सेवाएं। इन सेवाओं में उत्पादों का आरम्भ, उपभोक्ता शिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियों का आयोजन, डाटा भांडागारण, सहायता डैस्क सेवाएं, फ्रंट कार्यालयों का प्रबंधन, जांच ब्यूरो इत्यादि शामिल हैं। यद्यपि, कम्प्यूटर समर्थ सेवाएं, अर्थात् डाटा प्रसंस्करण, नेटवर्किंग, बैंक आफिस प्रसंस्करण, कम्प्यूटर प्रसुविधा प्रबंधन सेवा कर के अधीन नहीं होगी।
 - च) इंटरनेट कैफे।
 - छ) मताधिकारी विक्रेता सेवाएं।
- 3) पत्तन सेवाओं पर सेवा कर का लघु पत्तनों पर विस्तार।
- 4) प्राधिकृत ऑटोमोबाइल सेवाओं पर सेवा कर का बहु उपयोगिता यानों पर विस्तार।

- 5) बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं पर सेवा कर का सभी विदेशी मुद्रा दलालों पर विस्तार। इस समय बैंकों और निगमित निकायों द्वारा विदेशी मुद्रा के संबंध में दी गई सेवाएं, सेवा कर के अन्तर्गत आती हैं। इसका सांपतिक, भागीदारी और ऐसी ही सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति समुत्थानों पर विस्तार करने का प्रस्ताव है।
- 6) होटलों पर सेवा कर से वर्तमान छूट को 31.3.2003 के आगे बढ़ाया गया है।
- 7) यदि संदाय संपरिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए जाते हैं तब दी जाने वाली सेवा कर से छूट अब वापस ले ली गई है।
- 8) निर्गत सेवाओं पर सेवा कर के संदाय के लिए निवेश सेवाओं पर संदत्त सेवा कर के प्रत्यय को अब सभी सेवाओं पर विस्तारित किया जा रहा है।
- 9) सेवा कर के संबंध में प्रतिदाय दावे को नामंजूर करने के विरुद्ध अपील के लिए उपबंध किया जा रहा है।
- 10) विक्रय, विलयन, समामेलन आदि की दशा में सेवा कर प्रत्यय के अन्तरण के लिए उपबंध किया जा रहा है।
- 11) यदि प्रदान की गई सेवाओं की बाबत सेवा उपयोक्ता द्वारा संदाय किया गया हो तो सेवा कर के प्रत्यय को अनुज्ञात करने के लिए उपबंध किया जा रहा है।
- 12) धारा 68, धारा 71 में भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है और वित्त अधिनियम, 1994 में एक नई धारा 71क अन्तःस्थापित की गई है जिससे 16-10-1998 से पूर्व की अवधि के लिए माल तथा परिवहन प्रचालक सेवाओं और सी एंड एफ सेवाओं के सेवा प्राप्तकर्ता से संगृहीत सेवा कर को विधिमाम्य ठहराया जा सके।
- 13) अधिसूचना सं. 43/97-सेवा कर, तारीख 5-11-1997 को भूतलक्षी रूप से संशोधित किया जा रहा है जिससे कि 16.11.2002 से 1.6.2002 की अवधि के लिए लघु उद्योग इकाइयों, व्यापारियों और प्राइवेट लिमिटेड व्यापार कम्पनियों के लिए माल तथा परिवहन प्रचालकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर की छूट दी जा सके।

ज. टेक्सटाइल:

1. सूत:

- 1) 8% उत्पादन शुल्क ऐसे कपास सूत के लिए प्रतिधारित किया जा रहा है जिसमें कोई अन्य टेक्सटाइल सामग्री अन्तर्विष्ट नहीं है।
- 2) पालिएस्टर सूत, सूत विस्कोस और सभी अन्य कठे हुए सूत पर 12% उत्पाद शुल्क की एक समान दर को विहित किया गया है (वर्तमान में कुछ कपास सूतों विस्कोस सूतों के लिए दर 8% और अन्य के लिए 16% है)।
- 3) पालिएस्टर फिलामेंट सूत पर उत्पाद-शुल्क 32% से घटाकर 24% कर दिया गया है।
- 4) सभी अन्य फिलामेंट सूतों (जैसे विस्कोस फिलामेंट सूत नाइलान फिलामेंट सूत) पर उत्पाद-शुल्क 16% से घटाकर 12% कर दिया गया है।
- 5) विरंजन, रंजन तथा कठे हुए और फिलामेंट सूत पर की गई अन्य प्रक्रियाओं पर विनिर्दिष्ट शुल्क दरें वापस ले ली गई हैं। ऐसे सूतों पर तत्समान सूतों को लागू दरों पर शुल्क लगेगा*।
- 6) स्वतंत्र कपड़ा बुनकरों द्वारा पालिएस्टर फिलामेंट सूत पर की गई बुनावट या इसकी ऐंठन पर विनिर्दिष्ट शुल्क दरें वापस ले ली गई हैं। ऐसे फाइबरों पर 24%* का शुल्क लगेगा।
- 7) लघु उद्योग छूट फायदा मोटे कपड़े और ऊनी सूत के लिए वापस ले लिया गया है*
*उपरोक्त परिवर्तन 1.4.2003 से प्रभावी होंगे।

2. फैब्रिक:

- 1) सभी व्यूतित सूत, मानवनिर्मित तथा ऊनी फैब्रिकों पर उत्पाद-शुल्क 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।
- 2) सूती बुने हुए/क्रोशियाकृत फैब्रिकों पर शुल्क 12% से घटाकर 8% कर दिया गया है।
- (3) गैर-सूती बुने हुए/क्रोशियाकृत फैब्रिकों पर शुल्क 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।
- (4) सभी ऐसे औद्योगिक वस्त्रों, जिनमें बुने हुए या क्रोशियाकृत रबड़ीकृत टेक्सटाइल फ़ैब्रिक हैं, जिन पर इस समय शून्य, 21%, 16% तथा 16% धन विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क लग रहा है, पर 16% की दर पर शुल्क प्रभारित किया जाएगा।
- (5) व्यूतित, क्रोशियाकृत या बुने हुए फैब्रिकों पर वैकल्पिक छूट 1.4.2003 से वापस ली जा रही है।
- (6) समझी गई प्रत्यय स्कीम, जिसके अधीन शुल्क संदाय दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बिना प्रत्यय लिया जा सकता है, 1.4.2003 से वापस ली जा रही है;
- (7) कशीदाकृत फैब्रिकों पर प्रशमित उद्ग्रहण (इस समय प्रति शिफ्ट मशीन के 45 रुपए प्रति मीटर लम्बाई पर प्रभारित) की प्रणाली को 10% के मूल्यानुसार शुल्क द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यह परिवर्तन 1.4.2003 से प्रभावी होगा।
- (8) 1.4.2003 से निम्नलिखित छूटों को हटाया जा रहा है:
 - (क) हस्त प्रसंस्करणकर्ता को छूट, यदि किसी भी प्रक्रिया में विद्युत या भाप का उपयोग किया जाता है।
 - (ख) सूत अवशोषक लिट के विनिर्माण में प्रयुक्त सूती फैब्रिक (लघु उद्योग छूट के अन्तर्गत लाया जाएगा);
 - (ग) रबड़ीकृत टेक्सटाइल फैब्रिक;
 - (घ) व्यूतित अप्रसंस्कृत सूत पट्टा;
 - (ङ) संकीर्ण व्यूतित फैब्रिक;
 - (च) शुल्क संदत्त प्रसंस्कृत फैब्रिकों से बनाए गए चुनट, समुद्भूत फैब्रिक;
 - (छ) ड्यू-ड्राप प्रक्रिया के अधीन क्रिया किए गए फैब्रिक;
 - (ज) बंधित रूप से उपभोग किए गए मुद्रित फ्रेम;
 - (झ) कशीदाकृत फैब्रिकों का प्रसंस्करण;
 - (ञ) व्यूतित स्थूणा और शनील फैब्रिक, टैरिटावलिंग फैब्रिक, गुच्छेदार फैब्रिक, महीन रेशमी मलमल और जाल फैब्रिक पर लघु उद्योग छूट हटा दी जानी है;
 - (ट) मोटे कम्बलों के विनिर्माण के लिए मोटी सूत, आदि से बने प्रसंस्कृत ऊनी फैब्रिक (150 रुपए प्रति वर्ग मीटर से निम्न)।
- (9) अलाभ पूर्ण संस्थाओं द्वारा विनिर्मित फैब्रिक और वस्त्रों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

3. वस्त्र और अन्य तैयार वस्तुएं:

- 1) सभी व्यूतित (सूत सहित) वस्त्रों और तैयार किए गए वस्त्रों पर उत्पाद-शुल्क 12% से घटाकर 10% किया गया है;
- 2) सूत से बुने वस्त्रों पर शुल्क को घटाकर 8% किया जा रहा है जबकि अन्य बुने हुए वस्त्रों पर शुल्क को घटाकर 10% किया गया है;
- 3) बुने हुए और क्रोशियाकृत वस्तुओं पर शुल्क 16% से घटाकर 12% किया गया है;
- 4) निम्नलिखित छूटें 14.2003 से वापस ली जा रही हैं;
 - (क) बरसाती, अंदर के कपड़े और वस्त्र उपसाधन जैसे रूमाल, टाइयां और दस्ताने। ये माल लघु उद्योग छूट के अधीन आएंगे।
 - (ख) हस्तकरघा फैब्रिकों से बनाई गई टेक्सटाइल वस्तुएं (लघु उद्योग छूट उपलब्ध होगी)।
 - (ग) तैयार वस्त्रों पर लघु उद्योग छूट।
 - (घ) कतिपय कीमत से निम्न ऊन या मोटी सूत के कम्बल।
- 5) नियत कार्य के आधार पर, ग्राहकों के वैयक्तिक उपयोग के लिए दर्जियों द्वारा सिले गए वस्त्रों को, जो विक्रय के लिए आशयित नहीं हैं, उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।
- 6) नियत कार्य सुविधा संपूर्ण टेक्सटाइल सेक्टर पर विस्तारित की जाएगी। यदि फाइबर, सूत, फैब्रिकों का प्रदायकर्ता उत्पाद शुल्क संदाय करने का वचन देता है तो नियत कार्य करने वाले के पास उत्पाद रजिस्ट्रीकरण के अधीन न होने का विकल्प होगा। यह 1.4.2003 से प्रभावी होगा।
- 7) केन्द्रीय मूल्यवर्धित प्रत्यय नियम, 2002 केन्द्रीय मूल्यवर्धित शुल्कों तथा विशेष उत्पाद-शुल्क के संदाय के लिए संदत्त अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (अ.उ.शु.) (वि.म.मा.) के प्रत्यय को अनुज्ञात करने के लिए संशोधित किए गए हैं।

4. टेक्सटाइल मशीनरी:

बारह टेक्सटाइल मशीनरी मर्दों को, जिन्हें इस समय अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है, उत्पाद-शुल्क से छूट दी जा रही है।

त. प्रकीर्ण:

- (1) कम्प्यूटरों पर उत्पाद-शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए पूर्व भारित साफ्टवेयर के मूल्य को अपवर्जित किया जाएगा।
- (2) शैक्षिक प्रकृति की सीडी-रोम आदि तथा सेलफोन और उनके पुर्जों पर उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।
- (3) तट-रक्षकों के लिए पोतों के संनिर्माण के लिए प्रदाय किए गए मालों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।
- (4) रज्जू, सुतली और उसी प्रकार की मर्दों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी जा रही है।
- (5) मोटर यानों की चेसिस पर उत्पाद-शुल्क प्रति चेसिस 16% से बढ़ाकर 16% धन 10,000 रुपए कर दिया गया है।
- (6) पशुचालित यानों के टायरों पर उत्पाद-शुल्क छूट वापस ले ली गई है। ऐसे टायरों पर 24% की दर से उत्पाद-शुल्क लगेगा।
- (7) शीर्ष 73.04 या शीर्ष 73.05 के सीमेंट या पालिथिलीन या अन्य प्लास्टिक सामग्रियों से पाइपों या नलिकाओं के विलेपन को विनिर्माण के तुल्य घोषित किया गया है।
- (8) कारखाना द्वार कीमत पर उत्पाद-शुल्क का संदाय करने के लिए एकीकृत इस्पात विनिर्माताओं को तब भी दी गई सुविधा, जब उनका माल उनके डिपो से ही विक्रीत किया जाता है, वापस ली जा रही है। एकीकृत इस्पात विनिर्माता डिपो पर प्रसामान्य संव्यहार मूल्य पर उत्पाद-शुल्क का संदाय करेंगे।
- (9) शीर्ष 11.03 के अधीन आने वाले स्टार्चों के लिए आधानों पर लेबल लगाना, उन पर पुनः लेबल लगाना और प्रपुंज से खुदरा पैकों तक पैकिंग करने या उपभोक्ता के लिए उत्पाद को विपणनीय बनाने के लिए किसी अन्य उपचार के अंगीकरण को विनिर्माण के तुल्य घोषित किया गया है।

थ. अधिनियम और नियमों में संशोधन:

- (1) यह उपबंध किया गया है कि विनिर्माता से केवल उस प्रत्यय के उस भाग को प्रतिवर्तित करने की अपेक्षा तब की जाएगी, जिसका उसने अपने कारखाने में निवेश/पूँजी माल की प्राप्ति के समय लाभ उठाया था, जब ऐसे निवेश या पूँजी माल की कारखाने से उस रूप में निकासी की जाती है।
- (2) केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का लाभ लेने के लिए, रक्षा परियोजनाओं को प्रदाय किए गए माल, विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त कच्ची नाप्था और भ्राष्ट तेल को, तब तक केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 6 की परिधि में सम्मिलित किया जाएगा, जब तक कि उनके निवेशों की बाबत लिए गए प्रत्यय को प्रतिवर्तित नहीं कर दिया गया हो।
- (3) केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय तब भी अनुज्ञेय होगा जब स्वर्ण या चांदी, जो छूट प्राप्त हैं, ताम्र या जस्ता के प्रगलन के अनुक्रम में उत्पन्न होता है।
- (4) केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 8(2) के अधीन आयुक्त की शक्तियां प्रत्यय के अंतरण को अनुज्ञात करने के लिए, उपायुक्त/सहायक आयुक्त को प्रत्यायोजित की गई हैं।
- (5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 2(च)(iii) को, जो केन्द्रीय सरकार को किसी प्रक्रिया को "विनिर्माण" के रूप में घोषित करने में समर्थ बनाती है, विखंडित किया जा रहा है।
- (6) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4(3)(ग) का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि हटाने के स्थान के अन्तर्गत कोई डिपो, परेषण अधिकर्ता का परिसर या कोई अन्य ऐसा स्थान भी है, जिसमें उत्पाद-शुल्क माल कारखाने से निकासी के पश्चात् विक्रीत किए जाते हैं। "हटाने का समर्थ" की परिभाषा को भी तदनुसार उपांतरित किया गया है।
- (7) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि यह माना जाएगा कि किसी निर्धारिती से प्राप्त कुल रकम में निर्धारण के लिए मूल्य धन ऐसे मूल्य पर संदेय शुल्क सम्मिलित है और यह भी माना जाएगा कि सह-शुल्क मूल्य के अतिरिक्त प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल में मूल्य धन शुल्क सम्मिलित हैं।
- (8) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क(2) के अधीन आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों में तदर्थ छूट आदेश जारी करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को प्रत्यावर्तित किया जा रहा है।
- (9) "सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण(नियंत्रण) अपील अधिकरण" की नाम पद्धति को परिवर्तित करके "सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा- कर अपील अधिकरण" किए जाने का प्रस्ताव है।
- (10) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की धारा 11क(1) का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि, यथास्थिति, आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा शुल्क की मांग के लिए कारण बताओ सूचना के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा का लोप किया जा सके।

- (11) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क(2ख) के अधीन कम उद्गृहीत राशि का ब्याज सहित संदाय किए जाने पर कारण बताओ सूचना और न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों का अभिमोचन करने के उपबंध को उन मामलों पर भी विस्तारित किया जा रहा है, जहां विभाग को कम उद्ग्रहण का पता चलता है।
- (12) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11घ के अधीन वसूलनीय रकमों पर ब्याज की वसूली को समर्थ बनाने के लिए नई धारा 11घघ को अंतःस्थापित किया जा रहा है।
- (13) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 13 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया गया है कि निरीक्षक से अन्यून पंक्ति के किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा केवल आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ही गिरफ्तार करने की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।
- (14) अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी द्वारा दिए गए अग्रिम विनिर्णय के विस्तार को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि वित्त अधिनियम, केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के अधीन सभी अधिसूचनाओं को और सेवा-कर के मामलों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके और किसी विदेशी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी भारतीय कंपनी को भी अग्रिम विनिर्णय का फायदा उठाने की अनुज्ञा दी जा सके।
- (15) उपायुक्त/सहायक आयुक्त को, निर्धारिती की ओर से तकनीकी गलतियों या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर का फायदा उठाने के लिए प्रक्रियात्मक अतिलंघनों को, जब तक कि निवेशों/पूंजी मालों की शुल्क संदेय प्रकृति और उपयोग संदेह से परे हैं, उपमार्षित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- (16) अधिकारिता रखने वाले उपायुक्त/सहायक आयुक्त को, विनिर्माता को, ऐसे निवेशों को, जिनकी बाबत शुल्क का प्रत्यय लिया गया है, समुचित सुस्क्षोपायों के अधीन रहते हुए, कारखाने से बाहर भंडार करने की अनुज्ञा देने के लिए अनुज्ञात किया गया है।
- (17) विदेश जा रहे किसी वायुयान के पटल पर उपभोग के लिए भंडार के रूप में निर्यातित पेट्रोलियम उत्पादों पर संदत्त उत्पाद-शुल्क पर पूर्ण रिबेट की अनुज्ञा दी गई है।
- (18) पाक्षिक आधार पर उत्पाद-शुल्क के संदाय की वर्तमान स्कीम के स्थान पर मासिक आधार पर संदाय की स्कीम को रखा जा रहा है। अब निर्धारिती से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह किसी विशिष्ट मास के लिए संदाय आगामी मास की 5 तारीख तक करे। तथापि, मार्च मास के लिए शुल्क का संदाय 31 मार्च तक किया जाना होगा। यह उपबंध तारीख 1.4.2003 से प्रभावी होगा।
- (19) बैंक में बैंक या अन्य समान लिखतें जमा कराने की तारीख को, बैंक की वसूली के अधीन रहते हुए, उत्पाद-शुल्क के संदाय की तारीख माना जाएगा।
- (20) यह उपबंध किया गया है कि निर्धारित शुल्क का संदाय करने में व्यतिक्रम के मामले में, मासिक किरस्तों में शुल्क का संदाय करने की सुविधा का न तो प्रत्याहरण किया जाएगा और न ही निर्धारिती को केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर के प्रत्यय का उपयोग करने से विवर्जित किया जाएगा। तथापि, निर्धारित शुल्क के संदाय के अतिरिक्त, उस तारीख से जिस तारीख को शुल्क का संदाय अपेक्षित था, उस तारीख तक जब तक कि भुगतान नहीं कर दिया जाता, 2% मासिक ब्याज या 1000 रुपए प्रतिदिन, इनमें से जो भी अधिक हो (इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ब्याज शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगा), का भुगतान करना होगा। यह उपबंध 1.4.2003 से प्रभावी होगा।
- (21) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में यह उपबंध करने के लिए उपबंध किए जा रहे हैं कि 1 जुलाई 2003 को या उसके पश्चात् पारित सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क, स्वर्ण(नियंत्रण) अपील अधिकरण के किन्हीं आदेशों के विरुद्ध सभी अपीलों की बाबत मामलों को अधिकरण को निर्दिष्ट करने की बजाए उच्च न्यायालय विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा।
- (22) मूल्य निर्धारण के सामान्यतः मान्य सिद्धांतों के अनुसार, अवधारित औसत माल-भाड़ा, हटाए जाने के स्थान से परे, परिवहन के संबंध में कटौती के लिए वहां अनुज्ञेय होगा जहां हटाए जाने के स्थान पर मूल्य का पता नहीं है।
- (23) क्रेता के विनिर्देश के अनुसार तैयार किए गए माल के मामले में अग्रिम निक्षेप पर ब्याज को तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक कि इस बात का विनिर्दिष्ट साक्ष्य न हो कि ऐसे निक्षेप के कारण मूल्य में कमी हो सकती है।
- (24) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उस समय दंड देने का उपबंध करने के लिए वित्त अधिनियम, 1989 का संशोधन किया जा रहा है, जब वाहक यात्रियों से संगृहीत अंतरदेशीय वायु यात्रा कर का केन्द्रीय सरकार के प्रत्यय में संदाय करने में असफल रहता है।

द. भूतलक्षी संशोधन:

- (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 23.7.1996 से भूतलक्षी रूप से संशोधित किए जा रहे हैं जिससे कि नियम 57द में विनिर्माता द्वारा आय-कर अधिनियम के अधीन राजस्व व्यय के रूप में पूंजी माल पर संदत्त शुल्क के प्रत्यय की कटौती के दावे के प्रतिनिर्देश का लोप किया जा सके। तदनुसार, पूंजी माल पर संदत्त शुल्क का प्रत्यय, पूंजी माल पर संदत्त शुल्क के केवल उस भाग पर अनुज्ञात किया जाएगा जिस पर विनिर्माता आय-कर अधिनियम की धारा 32 के अधीन अवक्षयण का दावा करता है।
- (2) केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम (और पूर्व अवधि के लिए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम) भूतलक्षी रूप से यह उपबंध करने के लिए संशोधित किए जा रहे हैं कि तारीख 8.7.1999 की अधिसूचना सं.32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क दोनों, के अधीन निकासी किए गए अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त निवेश पर संदत्त शुल्कों के प्रत्यय का केवल उक्त अधिसूचनाओं के अधीन छूट प्राप्त करने के पश्चात् ही निकासी किए गए अंतिम उत्पादों पर शुल्क के संदाय के लिए उपयोग किया जाएगा।
- (3) तारीख 8.7.1999 की अधिसूचना सं.32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को 8.7.1999 से भूतलक्षी रूप से संशोधित को किया जा रहा है जिससे कि इन अधिसूचनाओं के अधीन प्रतिदायों को, संदत्त शुल्क की ऐसी रकम तक निर्बंधित किया जा सके, जिसमें से छूट प्राप्त उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त निवेशों पर प्रत्यय की रकम को कम कर दिया गया है।
- (4) तारीख 8.7.1999 की अधिसूचना सं. 32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के अधीन अध्याय 24 के अधीन आने वाले तम्बाकू से युक्त सिगरेटों, पान मसालों और अन्य मालों की बाबत उत्पाद-शुल्क से छूट के फायदे को भूतलक्षी रूप से वापस लिया जा रहा है।
- (5) तारीख 8.7.1999 की अधिसूचना सं.32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के अधीन (i) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, (ii) बोंगईगांव रिफाइनरीज एंड पेट्रोलियम लिमिटेड (iii) इंडियन आयल कारपोरेशन, गुवाहाटी और (iv) असम आयल डिवीजन, इंडियन आयल कारपोरेशन, डिगबोई द्वारा विनिर्मित और निकासी किए गए मालों की बाबत उत्पाद-शुल्क में छूट के फायदे को तारीख 12.2.2002 से भूतलक्षी रूप से वापस लिया जा रहा है। ऐसी इकाइयों को अन्य अधिसूचनाओं के अधीन दी गई शुल्क पर 50% की छूट जारी रहेगी।